# v/;k;&1

## tuin dk ,frgkfld ifjp; ,oa HkkSxksfyd fLFkfr

उत्तराखण्ड राज्य के मध्य हिमालय की गोद में स्थित कुमाऊँ भौगौलिक, ऐतिहासिक व राजनैतिक दृष्टि से भारत के भू–भाग का महत्वपूर्ण केन्द्र रहा है, जो पौराणिक कथाओं के अनुसार उत्तराखण्ड, केदारखण्ड व मानस–खण्ड में विभक्त है। जहॉ केदारखण्ड में वर्तमान गढवाल सम्मिलित है। हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित जनपद अल्मोड़ा के उत्तर में बागेश्वर, पूरब में पिथौरागढ़, दक्षिण में नैनीताल तथा पश्चिम में चमोली जनपद की सीमायें हैं। कोसी एवं सुयाल नदी के मध्य स्थित काषायः पर्वत के पश्चिमी भाग में स्थित विष्णु क्षेत्र को अल्मोड़ा के नाम से जाना जाता है। अल्मोड़ा की स्थापना के संदर्भ में इतिहासकारों के मत में विभिन्नता है। इतिहासकार ई0 टी0 एटकिन्सन के अनुसार चन्दवं”ा के 43वें राजा भीष्मचन्द ने सन् 1530 ई0 में अल्मोड़ा नगर बसाया था तथा 1563 ई0 में राजा बालोचन्द ने चम्पावत से राजधानी स्थानान्तरित कर आल्मोड़ा को अपनी राजधानी बनाया। ब्रिटि”ा शासनकाल में यहॉ पर छावनी, सर्किट हाउस, गिरजाघर आदि बने। सन् 1864 में स्थापित अल्मोड़ा नगर पालिका को उत्तराखण्ड की सबसे प्राचीन नगर पालिका होने का गौरव प्राप्त है। अल्मोड़ा नगर के अन्तर्गत फोर्टमायरा किला, लालाबाजार तथा नंन्दादेवी का प्रसिद्ध मंदिर द”ार्नीय है। अल्मोड़ा नगर आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक चेतना का केन्द्र रहा है। यहॉ प्रख्यात संगीतकार और नृत्य सम्राट उदय”ांकर नाट्य”ाला चलाया करते थे। वर्तमान में उदय”ांकर राष्ट्रीय संगीत एवं नाट्य अकादमी की स्थापना फलसीमा में की गई है। अल्मोड़ा नगर के आसपास, चितई मंदिर, कसारदेवी मंदिर, ब्राइट एंड कार्नर आदि पर्यटकों के आकर्षण के केन्द्र हैं।

इस जनपद का कुमाऊँ मण्डल में चन्द्रवंशीय राजाओं की राजधानी होने के कारण, अपनी प्राचीन परम्पराओं तथा संस्कृति के लिए एक विशेष स्थान है। अल्मोड़ा में चंद राजधानी की स्थापना के साथ समाज के विविध वर्गों के लोग यहॉ बसते गये। धार्मिक प्रवृति के होने से चन्द्र राजाओं ने कई धार्मिक उपासना केन्द्र यहॉ स्थापित किये थे। यहॉ की सांस्कृतिक उपलब्धि में अवरोध सन् 1744 में आया, जब रोहिला आक्रमण के फलस्वरूप महत्वपूर्ण स्थलों को समाप्त करने के प्रयास हुये। सन् 1815 में यह क्षेत्र ब्रितानवी शासन के अधीन आ गया। ब्रिटिश काल में जनपद अल्मोड़ा को कुमायूँ कमिश्नरी मुख्यालय बनाया गया था, कालान्तर में कमिश्नरी मुख्यालय को नैनीताल स्थानान्तरित कर दिया गया। देवभूमि हिमालय की संस्कृति में अल्मोड़ा का विशिष्ट स्थान रहा है। यह क्षेत्र एक धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में विद्वत समाज का आकर्षण का केन्द्र रहा है। इस क्षेत्र की पर्वत मालायें विविध प्रागैतिहासिक सांस्कृतिक अवशेषों के प्रमाणों से भरी हैं। यह जनपद सांस्कृतिक एवं धार्मिक दृष्टि से भी अतीत से लेकर वर्तमान तक अनेक रूपों से विख्यात है तथा अनादि काल से महापुरूषों, सिद्धों एवं साधकों का प्रेरणाश्रोत भी रहा है। जनपद अल्मोड़ा सांस्कृतिक परम्पराओं के लिये विश्वविख्यात है। गॉधी जी, रवीन्द्रनाथ टैगोर, मोतीलाल नेहरू, एनीबेसेन्ट एवं मीरा बहन जैसे विचारक ब्रूस्टर जैसे चित्रकार, उदयशंकर जैसे सांस्कृतिक कर्मी इसी अल्मोड़ा से प्रभावित हुए।

जनपद का भौगोलिक भू–भाग सिन्धुतल से 750 मीटर से प्रारम्भ होकर 2000 मीटर से ऊपर है। सरयू ,कोसी, रामगंगा, गगास तथा सुयाल यहॉ की प्रमुख नदियॉ हैं। प्राकृतिक बनावट के आधार पर जिले को मुख्य रूप से दो भागों में बॉटा जा सकता हैं।

1-iolrh; {k=%& पर्वतीय क्षेत्र में उच्च पर्वत शिखर, जिनमे डोटियाल (मानिला), मालीखेत (स्याल्दे), भौनखाल (सल्ट), लोधियाखान (ताड़ीखेत), शेर, चौबटिया, स्याहीदेवी, भटकोट, वृद्धजागेश्वर, बिनसर, मोरनौला, गणानाथ, मल्लिका आदि हैं। इस क्षेत्र में घने वन हैं। वनों में सदाबहार व पतझड़वाले वृक्ष पाये जाते है। जिनमें बॉज, बुराश, उत्तीश ,काफल, चीड़, देवदार आदि के वृक्ष हैं।

2-unh ?kkVh {k=k%& नदियों के किनारे स्थित घाटी क्षेत्र 600 से 1200 मी0 तक हैं। प्रमुख नदियों में कोसी, सुयाल, पश्चिमी रामगंगा, गगास, पनार आदि हैं। नदियों के किनारे समतल उपजाऊ भूमि को स्थानीय भाषा में सेरा कहा जाता है। इनमें बासुलीसेरा, रावलसेरा, बैराटसेरा, सोमेश्वरसेरा, चनौदासेरा, टूनाकोटसेरा, ईड़ासेरा, कामरसेरा, चौखुटिया व मासीसेरा, देघाट व स्याल्दे के सेरे आदि प्रमुख हैं।

3-HkkSxkfyd fLFkfr%& जनपद का वर्तमान में भौगोलिक क्षेत्रफल 3139.00 वर्ग कि0मी0 है। भौगोलिक दृष्टि से जनपद अल्मोड़ा पश्चिम में लगभग 29 डिग्री एवं 30 डिग्री उत्तरी अक्षां"ा तथा 79 डिग्री और 81 डिग्री पूर्वी देशान्तर के बीच स्थित हैं, जिसे तीन सामान्य श्रेणियों में विभाजित किया जाता है।

- समुद्र तल से 750 मीटर से 1250 मीटर तक का क्षेत्र।
- समुद्र तल से 1251 मीटर से 1850 मीटर तक का क्षेत्र।
- समुद्र तल से 1851 मीटर से अधिक ऊॅचाई वाला क्षेत्र।

जनपद का बहुत कम भाग समतल है जो स्थान चोटियों के निकट है उनमें छोटी–छोटी नहरों, गूलों से सिंचाई की जाती है। शेष भाग वर्षा से ही सिंचित होता है जिसमें प्रायः मोटा अनाज बोया जाता है। असिंचित भूमि का अधिकांश भाग रबी फसल हेतु परती छोड़ दिया जाता है। दूसरी श्रेणी 1251 मीटर से 1850 मीटर तक की ऊॅचाई वाला क्षेत्र जो कि फल उत्पादन के लिए उपयुक्त है। यहॉ पर सीढ़ीदार खेतों में खेती की जाती है। तीसरी श्रेणी 1851 मीटर से अधिक ऊॅचाई वाले क्षेत्र है, जहॉ खेती आदि की कोई सुविधा प्रायः कम ही है तथा वे स्थान केवल पर्यटन एवं साहसिक कार्यो हेतु ही प्रयुक्त हो सकते है। जनपद की प्रमुख नदियों में सरयू , रामगंगा, कोसी, गगास तथा सुयाल नदियॉ है जिनमें प्रायः वर्षभर पानी कम अथवा अधिक मात्रा में रहता है। नदियों का मुख्यतः उद्गम स्थल 1051 मीटर से अधिक ऊॅचाई वाले क्षेत्र ही है।

4-tyok;q ,oa o"kkZ%& जनपद में सभी स्थानों पर जलवायु सामान्य न रहकर विभिन्न ऊॅचाईयों पर आधारित है। विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा के अनुसार जनपद अल्मोड़ा का वर्ष 2016–17 का उच्चतम तापमान 23.70 सेन्टीग्रेट एवं न्यूनतम तापमान 12.60 सेन्टीग्रेट रिकार्ड किया गया। तथा वर्ष 2016 तक जनपद में कुल वर्षा 1069.60 मि0मि0 रिकार्ड की गई।

## v/;k;&2
## [kfu t

जनपद अल्मोड़ा में मुख्यतः स्लेट, चूना पत्थर, मैग्नेसाइट आदि खनिज पाये जाते है। अवैधानिक व अनियंत्रित खनन से पर्यावरण संकट व भूस्खलन का अत्यधिक खतरा उत्पन्न होता है। चूना पत्थर, मैग्नेसाइट व स्लेट निजी भूमि में पाया जाता है जिसका खनन स्थानीय निवासियों द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त नदियों के किनारे वाले क्षेत्रों से रेता बजरी व पत्थर का खनन वाणिज्यिक कार्यो के उपयोग हेतु किया जाता है।

भूकम्पीय क्षेत्र होने के कारण पर्वतीय जनपदों में खनिज पदार्थों का दोहन करना अति संवेदनशील प्रक्रिया है।

अतः बिना किसी भूगर्भीय सर्वेक्षण के उपरान्त पर्वतीय जनपदों में बहुतायत मात्रा में खनिज पदार्थ होने के बावजूद भी खनिज पदार्थो का दोहन कार्य उचित नहीं है। जनपद में स्थानीय निवासियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से लौह, ताम्र का खनन किया जाता रहा है। जनपद के लमगडा विकास खण्ड में ताम्र एवं लौह अयस्क प्राप्त हुए है। जनपद में मैग्नेसाइट, खड़िया, अभ्रक, लिग्नाइट तथा ग्रेफाइट बहुतायत मात्रा में उपलब्ध है। खनिज के रूप में चूना, खड़िया का खनन प्रायः लीज पट्टे पर दिया जाता रहा है।

# v/;k;&3
# i`'kklfud <kpk

जनपद अल्मोड़ा में वर्तमान में 12 तहसील तथा 04 उप तहसील हैं। पूर्व में जनपद में 9 तहसील थी इसके प”चात 3 तहसील क्रम”ाः स्याल्दे, लमगड़ा तथा धौलछीना सृजित की गयी है, जिसमें से धौलछीना तहसील में वर्तमान तक कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। जनपद के अन्तर्गत वर्तमान में 4 उपतहसील क्रम”ाः मछोड़,जालली,घ्याडी तथा बग्वालीपोखर सृजित की गयी है। उक्त उपतहसीलों में से जालली, ध्याडी तथा बग्वालीपोखर में अभी तक कार्य प्रारम्भ नही हुआ है। इस प्रकार जनपद में वर्तमान कुल 12 तहसील तथा 04 उप तहसील में कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। वर्तमान में जनपद अल्मोड़ा को 11 विकासखण्डों में विभाजित है।

1– ऐसे विकास खण्ड जो एक ही तहसील के क्षेत्रान्तर्गत हैः–

| d0 l0 | fodkl [k.M dk uke | Rkglhy dk uke ftlds vUrxZr iwjk fodkl [k.M vkrk gSA |
|---|---|---|
| 01 | भौसियाछाना | तहसील अल्मोड़ा |
| 02 | चौखुटिया | तहसील चौखुटिया |

2&,sls fodkl [k.M ftudk {ks= ,d ;k vf/kd rglhyksa ds {ks=kUrxZr vkrs gS&

| d0 l0 | fodkl [k.M dk uke | Rkglhy dk uke ftlds vUrxZr vkaf'kd fodkl [k.M vkrk gSA |
|---|---|---|
| 01 | हवालबाग | तहसील अल्मोड़ा एवं सोमे”वर। |
| 02 | लमगड़ा | तहसील अल्मोड़ा ,जैती, भनोली एवं तहसील लमगड़ा। |
| 03 | ताकुला | तहसील अल्मोड़ा एवं सोमे”वर। |
| 04 | स्याल्दे | तहसील स्याल्दे एवं सल्ट। |
| 05 | सल्ट | तहसील भिकियासैण, सल्ट एव उप तहसील मछोड़ |
| 06 | ताड़ीखेत | तहसील रानीखेत एवं भिकियासैण |
| 07 | द्वाराहाट | तहसील रानीखेत एवं द्वाराहाट |
| 08 | भिकियासैण | तहसील ,द्वाराहाट एवं भिकियासैण |
| 09 | धौलादेवी | तहसील ,अल्मोड़ा एवं भनोली |

जनगणना 2011 के बाद जनपद के अन्तर्गत तहसील स्याल्दे,लमगडा तथा धौलछीना, उप तहसील मछोड़,ध्याडी, बग्वालीपोखर तथा जालली का सृजन किया गया है तहसील स्याल्दे का सृजन भिकियासैण से विभक्त कर तथा तहसील धौलाछीना का विभाजन तहसील अल्मोडा से विभक्त कर किया गया है। लमगड़ा का सृजन तहसील अल्मोड़ा तथा जैती से विभक्त कर किया गया है। उप तहसील मछोड़ का सृजन तहसील सल्ट–खुमाड़ से विभक्त कर किया गया है। उपतहसील जालली एवं बग्वालीपोखर का सृजन तहसील द्वाराहाट से विभक्त कर किया गया है। उपतहसील ध्याडी का सृजन तहसील भनोली से विभक्त कर किया गया हैं।

जनपद अल्मोडा के अन्तर्गत 02 नगर पालिका क्रम”ाः नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा, तथा नगर पालिका परिषद रानीखेत चिलियानौला है। जनपद में 02 नगर पंचायत द्वाराहाट तथा भिकियासैण है। जनपद में छावनी बोर्ड अल्मोड़ा तथा छावनी परिषद रानीखेत, एवं एक जनगणना शहर खत्याड़ी है। जनगणना 2011 के अनुसार वर्तमान में कुल 2282 ग्राम हैं। कुल ग्राम में 2149 आबाद राजस्व ग्राम, 28 आबाद वन ग्राम एवं 105 गैर आबाद ग्राम सम्मिलित है। विकासखण्ड की दृष्टि से जनपद में 11 विकासखण्ड है। जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार 5 विकासखण्ड अल्मोड़ा तहसील में, 3 विकासखण्ड रानीखेत तहसील में एवं 3 विकासखण्ड, भिक्यिासैणं तहसील में थे।

जनपद अल्मोडा में 2001 के उपरान्त वर्ष 2003–04 में 6 अन्य नई तहसीलों (चौखुटिया, सल्ट, द्वाराहाट, सोमेश्वर, भनोली तथा जैंती ) का भिक्यिासैंण, रानीखेत तथा अल्मोड़ा तहसील से विभक्त कर सृजन किया गया हैं। जिसके अन्तर्गत तहसील चौखुटिया में 170 ग्राम, सल्ट में 266 ग्राम, द्वाराहाट में 217 ग्राम, सोमेश्वर में 120 ग्राम, भनोली में 217 ग्राम तथा जयन्ती (जैंती) में 122 ग्राम स्थित हैं। जनगणना 2011 के अनुसार जनपद अल्मोड़ा में 95 न्याय पंचायतों के अन्तर्गत 1168 ग्राम सभाऐं थी किन्तु वर्तमान में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या 1166 हैं। इस प्रकार अल्मोड़ा तहसील से सोमेश्वर, जयन्ती (जैंती) एवं भनोली तहसील; रानीखेत तहसील से चौखुटिया एवं द्वाराहाट तथा भिक्यिासैंण तहसील से सल्ट तहसील को विभक्त किया गया है।

जनगणना 2011 के अनुसार अल्मोड़ा तहसील में 2, जैती में 1, भनोली में 1, सोमेश्वर में 1, रानीखेत में 1, द्वाराहाट में 1, चौखुटिया में 1, भिक्यासैण में 2 तथा सल्ट तहसील मे 1 विकासखण्ड है। जनपद के अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक स्वरूप संबंधी सूचना निम्न तालिका से अवगत हो सकती है:–

## lkekU; lpuk,

| fodkl [k.M dk uke | Rkglhy dk uke | Lkcf/kr ykd lHkk {k= dk dekd o uke | Lkcf/kr fo/kku lHkk {k= dk dekd o uke | ftyk e[;ky; l fodkl [k.M dh njh | fodkl [k.M dk;ky; l fudVre jyo LV'ku dh njh | | ifyl LV'ku ¼Fkkuk½ l[;k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | uke | njh | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| स्याल्दे | स्याल्दे | 03 अल्मोडा | 49 सल्ट | 120 | रामनगर | 110 | 0 |
| चौखुटिया | चौखुटिया | 03 अल्मोड़ा | 48 द्वाराहाट | 94 | रामनगर | 125 | 1 |
| भिकियासैण | भिकियासैण | 03 अल्मोड़ा | 49 सल्ट | 105 | रामनगर | 93 | 1 |
| ताड़ीखेत | रानीखेत | 03 अल्मोड़ा | 50 रानीखेत | 59 | रामनगर | 89 | 1 |
| सल्ट | सल्ट | 03 अल्मोड़ा | 49 सल्ट | 150 | रामनगर | 55 | 0 |
| द्वाराहाट | द्वाराहाट | 03 अल्मोड़ा | 48 द्वाराहाट | 75 | रामनगर | 170 | 1 |
| ताकुला | सोमे”वर | 03 अल्मोड़ा | 51 सोमे”वर | 40 | काठगोदाम | 124 | 1 |
| भैसियाछाना | अल्मोड़ा | 03 अल्मोड़ा | 53 जागे”वर | 34 | काठगोदाम | 121 | 0 |
| हवालबाग | अल्मोड़ा | 03 अल्मोड़ा | 52 अल्मोड़ा | 15 | काठगोदाम | 102 | 0 |
| लमगड़ा | लमगड़ा | 03 अल्मोड़ा | 52 अल्मोड़ा | 35 | काठगोदाम | 115 | 1 |
| धौलादेवी | भनौली | 03 अल्मोड़ा | 52 अल्मोड़ा | 50 | काठगोदाम | 146 | 0 |
| नगरीय | – | – | – | – | – | – | 4 |
| योग | – | – | – | – | – | – | 10 |

# v/;k;&4
# tux.kuk fooj.k

जनगणना वर्ष 1981 का विस्तार ग्रामीण क्षेत्र में 16.45 प्रतिशत तथा नगरीय क्षेत्र में 21.69 प्रतिशत रहा। जनगणना 1971 में प्रति हजार पुरूषों पर स्त्रियों की संख्या 1088 थी, जो 1981 की जनगणना अनुसार घटकर 1081 हो गई एवं 1991 की जनगणना के अनुसार बढ़कर 1128 हो गई। वर्ष 1998 में जनपद अल्मोडा की बागेश्वर तहसील को जनपद बागेश्वर में परिवर्तित कर दिया गया, जिससे जनपद अल्मोड़ा की जनसंख्या 836617 के स्थान पर 608210 रह गई, उसके अनुसार पुरूषों की संख्या 289767 तथा स्त्रियों की संख्या 318443 रह गई, तथा प्रति हजार पुरूषो पर स्त्रियों की संख्या 1097 रह गई। जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार जनपद अल्मोड़ा की कुल जनसंख्या 630567 एवं प्रति हजार पुरूषों पर महिलाओ की संख्या 1146 थी। वर्ष 2002 में जनपद बागेश्वर से 8 ग्राम स्थानान्तरित होकर जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड भैसियाछाना में जुड़ जाने के कारण वर्तमान में जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल 3139 वर्ग कि0मी0 हो गया तथा कुल जनसंख्या 632866 हो गयी थी, जिसमें से कुल पुरूषों की संख्या 294984 एवं स्त्रियों की संख्या 337882 थी तथा प्रति हजार पुरूषो पर स्त्रियों की संख्या 1145 थी। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल 3139 वर्ग कि0मी0 है, तथा कुल जनसंख्या 622506 है, जिसमें से कुल पुरूषों की संख्या 291081 एवं स्त्रियों की संख्या 331425 है। वर्तमान में प्रति हजार पुरूषो पर स्त्रियों की संख्या 1139 है।

2-1 tul[;k ?kuRo&जनपद अल्मोड़ा का भौगोलिक क्षेत्र वर्ष 1996–97 तक 5385 वर्ग कि0मी0 था, किन्तु वर्ष 1997–98 में जनपद बागेश्वर के सृजन के उपरान्त जनपद अल्मोड़ा का क्षेत्रफल 3139 वर्ग कि0मी0 रह गया। यह भौगोलिक क्षेत्रफल बागेश्वर तहसील के 905 ग्रामों के क्षेत्रफल से घटाने के बाद सर्वेयर जनरल आफ इण्डिया द्वारा सूचित भौगोलिक क्षेत्रफल 5385 से घटाने के बाद निकाला गया है। इसके अनुसार जनपद अल्मोडा का जनसंख्या घनत्व 165 व्यक्ति प्रति वर्ग कि0मी0 हो गया है जबकि इसके पूर्व अल्मोड़ा/बागेश्वर संयुक्त जनसंख्या घनत्व 155 व्यक्ति प्रति वर्ग कि0मी0 था।

जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार जनपद का जनसंख्या घनत्व 170 व्यक्ति प्रति वर्ग कि0मी0 हो गया था। वर्ष 2002 में जनपद बागेश्वर से 8 ग्राम स्थानान्तरित होकर जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड भैसियाछाना में जुड़ जाने के कारण जनपद का जनसंख्या घनत्व 202 व्यक्ति प्रति वर्ग कि0मी0 रह गया था।

जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार वर्तमान में जिला अल्मोड़ा का जनसंख्या घनत्व 198 व्यक्ति प्रति वर्ग कि0मी0 हो गया है।

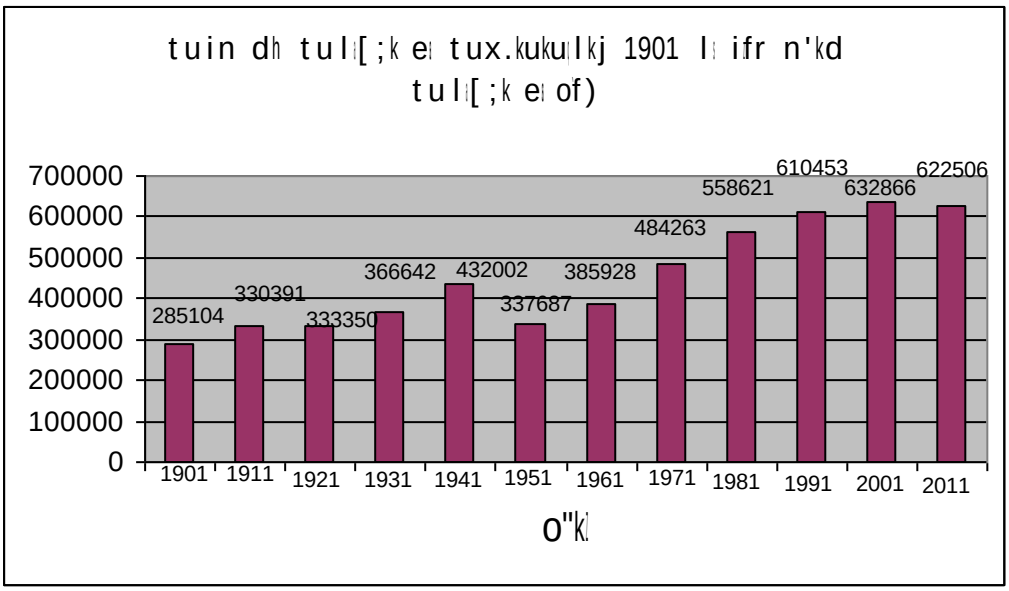


2 xkeh.k o uxjh; tul[;k&वर्ष 1991 में जनपद अल्मोडा की ग्रामीण जनसंख्या 782130 व्यक्ति तथा नगरीय 53507 व्यक्ति थी। वर्ष 1997–98 में जनपद बागेश्वर के सृजन उपरान्त जनपद अल्मोड़ा की ग्रामीण जनसंख्या 562718 व्यक्ति तथा नगरीय जनसंख्या 47735 व्यक्ति हो गयी। जनगणना 2001 के अनुसार जनपद अल्मोड़ा की ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या क्रमशः 578361 एवं 54505 व्यक्ति थी।

जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार जनपद अल्मोड़ा की ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या क्रमशः 560192 एवं 62314 व्यक्ति है।

3 vuqlfpr tkfr@tutkfr dh tul[;k&जनगणना वर्ष 1991 में जनपद अल्मोड़ा में अनु0जाति की जनसंख्या 128811 व्यक्ति थी तथा अनु0 जनजाति की जनसंख्या 916 व्यक्ति थी। जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार जनपद अल्मोड़ा की अनुसूचित जाति की जनसंख्या 141127 तथा अनु0 जनजाति की जनसंख्या 878 व्यक्ति थी।

जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार जनपद अल्मोड़ा की अनुसूचित जाति की जनसंख्या 150995 तथा अनु0 जनजाति की जनसंख्या 1281 व्यक्ति है।

2-4 dedj&  जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार जनपद अल्मोड़ा में कुल जनसंख्या से कुल मुख्य कर्मकर का प्रतिशत 32.30 है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिशत 49.43 तथा नगरीय क्षेत्र का प्रतिशत 34.18 है। विभिन्न कर्मकरों के अन्तर्गत कुल मुख्य कर्मकर से अन्य कर्मकरों का प्रतिशत 30.93 तथा कुल कर्मकरों में से कृषि कार्य में लगे कर्मकरों का प्रतिशत 65.71 है, खेतीहर मजदूरों का प्रतिशत 2.00 है तथा घरेलू उद्योग धन्धों में लगे कर्मकरों का प्रतिशत 1.35 है।

जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार जनपद अल्मोड़ा में मुख्य कर्मकरों की संख्या 201078 व्यक्ति है, जिनमें ग्रामीण क्षेत्र में 181144 व्यक्ति तथा नगरीय क्षेत्र में 19934 व्यक्ति है। इससे स्पष्ट है पर्वतीय क्षेत्र में कृषि कार्य आर्थिक रूप से अधिक लाभकर नहीं हो पा रहा है तथा क्षेत्र में कृषि कार्य से हटकर अन्य उद्योग धन्धों में लगने की प्रवृत्ति अधिक पनप रही है।

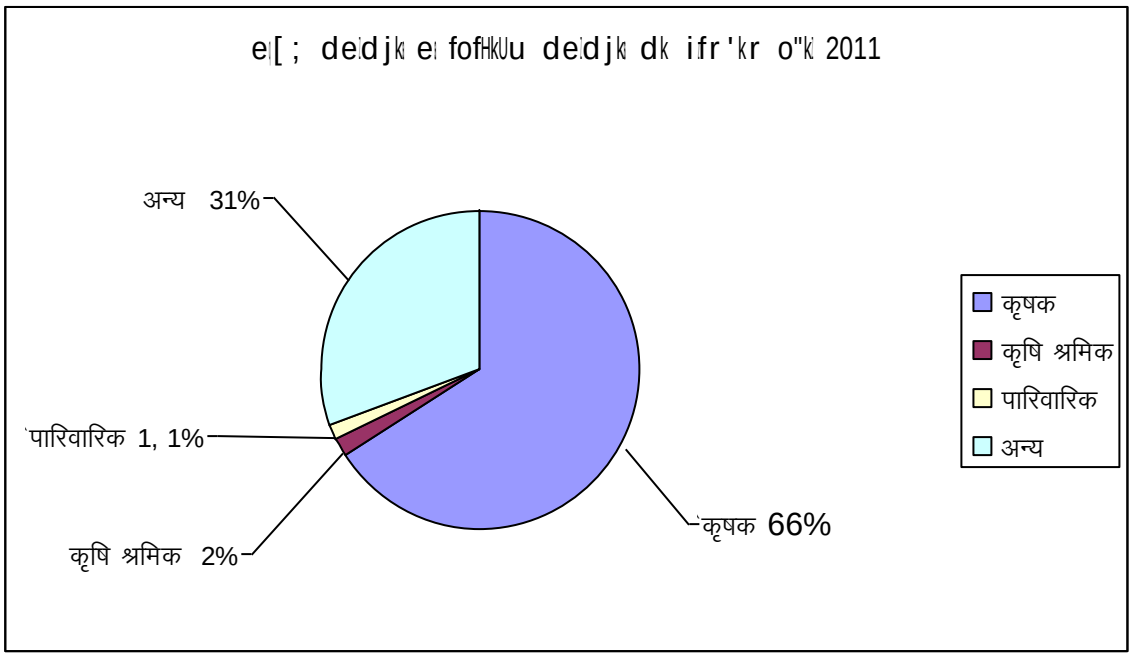


2-5 fyxokj vuqikr%& जनगणना वर्ष 1991 की जनगणनानुसार लिंगवार अनुपात 1099 स्त्रियॉ प्रति हजार पुरूष था। वर्ष 1997–98 में जनपद बागेश्वर सृजन उपरान्त जनपद अल्मोड़ा में 1097 स्त्रियॉ प्रति हजार पुरूष रह गयी। ग्रामीण क्षेत्रों में 1139 स्त्रियॉ प्रति हजार पुरूष तथा नगरीय क्षेत्र में 727 स्त्रियॉ प्रति हजार पुरूष था। जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार प्रति हजार पुरूष पर जनपद अल्मोड़ा में 1145 स्त्रियॉ थी। जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में 1189 स्त्रियॉ तथा नगरीय क्षेत्र में 774 स्त्रियॉ प्रति हजार पुरूष पर थी।

जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार प्रति हजार पुरूष पर जनपद अल्मोड़ा में 1139 स्त्रियॉ है। जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 1177 स्त्रियॉ तथा नगरीय क्षेत्र में 848 स्त्रियॉ प्रति हजार पुरूष हैं।

2-6 vk;q oxZ%& जनगणना वर्ष 1991 के अनुसार 0 से 14 वर्ष की आयु वर्ग में 38.80 प्रतिशत व्यक्ति थे। 15 से 59 के आयु वर्ग में 52.80 प्रतिशत, तथा 60 से ऊपर आयु वर्ग में 8.20 प्रतिशत व्यक्ति थे। जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार 0 से 14 आयु वर्ग में 36.14 प्रतिशत, 15 से 59 आयु वर्ग में 53.56 प्रतिशत तथा 60 से ऊपर के आयु वर्ग में 10.16 प्रतिशत व्यक्ति है।

2-7 lk{kjrk%& जनपद अल्मोड़ा की जनगणना वर्ष 1991 के अनुसार साक्षरता प्रतिशत कुल जनपद 58.70 प्रतिशत थी। जिसमें पुरूष 80.76 प्रतिशत तथा स्त्रियॉ 39.60 प्रतिशत साक्षर थी । वर्ष 1997–98 में जनपद बागेश्वर के सृजन उपरान्त जनपद अल्मोड़ा का कुल जनसंख्या से साक्षरता प्रतिशत 59.79 हो गया जिसमें 80.76 प्रतिशत पुरूष तथा 41.3 प्रतिशत स्त्रियॉ साक्षर थी। जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार जनपद अल्मोड़ा में कुल 217988 पुरूष तथा 175980 स्त्रियॉ साक्षर थी। जनगणना 2001 के अनुसार जनपद अल्मोड़ा की कुल जनसंख्या (6 वर्ष से अधिक जनसंख्या पर आधारित) से साक्षरता प्रतिशत 73.62 था। जिसमें पुरूषों की साक्षरता प्रतिशत 89.2 तथा स्त्रियो की साक्षरता प्रतिशत 60.6 था।

जनगणना वर्ष– 2011 के अनुसार जनपद अल्मोड़ा में कुल 231604 पुरूष तथा 204893 स्त्रियॉ साक्षर है। जनगणना 2011 के अनुसार जनपद अल्मोड़ा की कुल जनसंख्या (6 वर्ष से अधिक जनसंख्या पर आधारित) से साक्षरता प्रतिशत 80.47 है, जिसमें पुरूषों की साक्षरता प्रतिशत 92.86 तथा स्त्रियो की साक्षरता प्रतिशत 69.93 है।

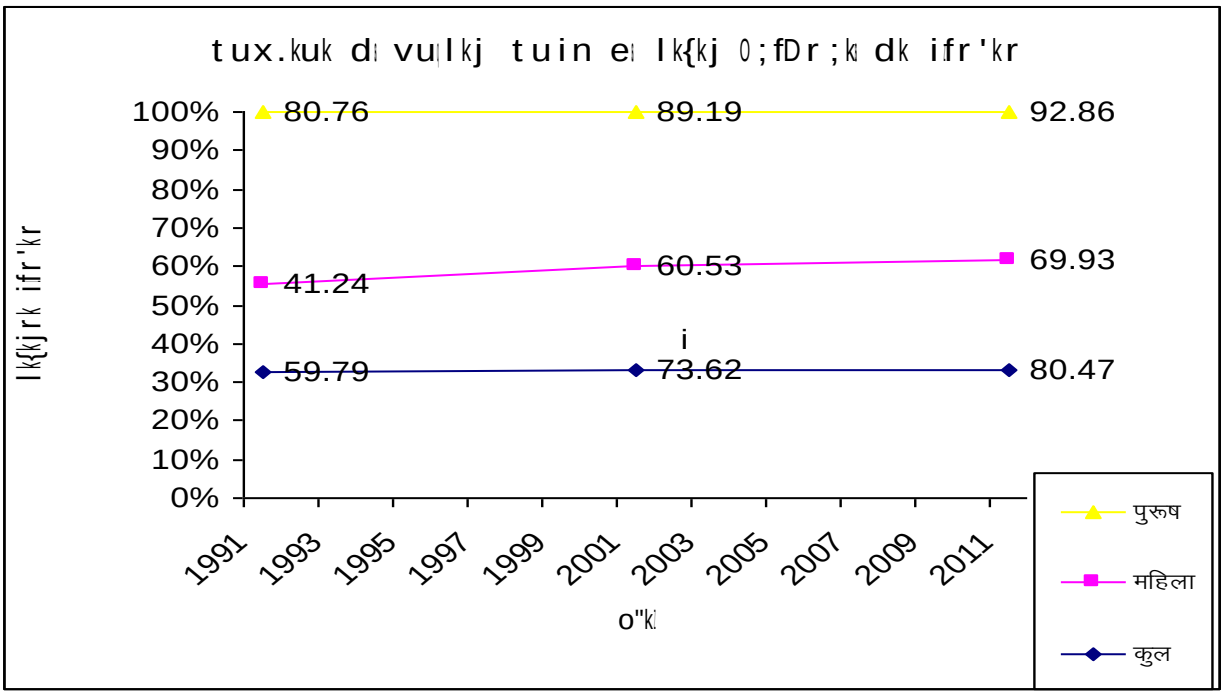

2-8 vkokl h; Hkou%& जनगणना वर्ष 1991 के अनुसार 146507 आवासीय भवन थे। जनगणना वर्ष 1991 में परिवारों की संख्या 165908 थी, जिसमें 93.40 प्रतिशत ग्रामीण एवं 6.6 प्रतिशत नगरीय है। जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार जनपद अल्मोड़ा में आवासीय भवनों की कुल संख्या 227687 है। जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 212784 तथा नगरीय क्षेत्र में 14903 आवासीय भवन है।

2-9 ifjokjksa dh l[;k%&जनगणना वर्ष 1981 के अनुसार अल्मोड़ा जनपद के अन्तर्गत परिवारों की कुल संख्या 112528 थी तथा जनगणना वर्ष 1991 के अनुसार जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत परिवारों की कुल संख्या 123618 तथा जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार जनपद अल्मोड़ा में परिवार की कुल संख्या 131525 थी, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 120214 तथा नगरीय क्षेत्र में 11311 परिवार थे। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार जनपद अल्मोड़ा में परिवारों की कुल संख्या 140577 है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 125209 तथा नगरीय क्षेत्र में 15368 परिवार है।

## v/;k;&5
## d`f"k

कृषि के अन्तर्गत समस्त भूमि को कृषि की दृष्टि से सामान्यतः तीन भागों में विभक्त किया गया है प्रथम तलाऊ भूमि जो कि प्रायः समतल होती है और जिस पर सिंचाई साधन उपलब्ध है। यह 'तलाऊ' भूमि जिले की सबसे अधिक उपजाऊ भूमि है इसमें रवी, खरीफ दोनों फसलें ऊगाई जाती है बीच में कुछ नकदी फसलें जैसे आलू ,प्याज अथवा सोयाबीन जिसे 'भट्ट' भी कहा जाता है उगाई जाती हैं। असिंचित क्षेत्र को 'उपराऊ' भूमि कहते है। यह दो भागों में बाटी जा सकती है– 1. अब्बल 2. दोयम। अब्बल में मिट्टी अच्छी होने के कारण उपज दोयम से अधिक होती हैं उपजाऊ भूमि में फसल चक्र इस प्रकार रखे जाते हैं कि दो वर्षांत में एक न एक बार भूमि परती रखी जाती है। साधारणतया खरीफ में सभी कृषि क्षेत्र में फसल बोयी जाती है, परन्तु रवी में एक भू–भाग परती छोड़ना पड़ता है।

Hkwfe mi;ksx :–जनपद में भूमि उपयोग (हैक्टेयर) तीन वर्षो के तुलनात्मक ऑकडे निम्न तालिका में प्रदर्शित किये जा रहे है :–

| क्र0सं0 | मद | 2012–13 | 2013–14 | 2014–15 | 2015–16 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कुल प्रतिवेदित क्षेत्र | 464942 | 464942 | 464942 | 464942 |
| 2 | वन | 236184 | 236184 | 236184 | 236184 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | कृषि योग्य बंजर भूमि | 38135 | 38140 | 38145 | 38989 |
| 4 | वर्तमान परती | 1857 | 2264 | 2340 | 2400 |
| 5 | अन्य परती | 6100 | 6110 | 6114 | 7306 |
| 6 | ऊसर एवं कृषि के अयोग्य भूमि | 24051 | 24051 | 24051 | 25280 |
| 7 | कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग की भूमि | 12297 | 12299 | 12302 | 12532 |
| 8 | चरागाह | 29214 | 29214 | 29124 | 28322 |
| 9 | उद्यानों वृक्षों, झाडियों का क्षेत्रफल | 38597 | 38590 | 38587 | 34389 |
| 10 | शुद्व बोया गया क्षेत्रफल | 78507 | 78090 | 78005 | 79540 |

Hkkfe tkr%&

जनपद में कृषि गणना 2000–01 के अनुसार कुल जोतों की संख्या 122322 व क्षेत्रफल 86628 है0 है। क्षेत्रफल 0.5 है0 से कम 16.83 प्रतिशत क्षेत्र है। 0.5 से 1.00 है0 तक 28.68 प्रतिशत क्षेत्र है। 1.00 है0 से 2.00 है0 तक 34.22 प्रतिशत क्षेत्र, 2.00 है0 से 4.00 है0 तक 16.86 प्रतिशत तथा 4.00 है0 से 10 है0 तक 2.95 प्रतिशत क्षेत्र है। तथा 10 है0 से अधिक के अन्तर्गत 0.44 प्रतिशत क्षेत्रफल है।

जनपद में कृषि गणना 2005–06 के अनुसार कुल जोतों की संख्या 113940 व क्षेत्रफल 86866.78 हैक्टेयर है। क्षेत्रफल 0.5 है0 से कम 14.35 प्रतिशत क्षेत्र है। 0.5 से 1.00 है0 तक 30.27 प्रतिशत क्षेत्र है। तथा 1.00 है0 से 2.00 है0 तक 36.45 प्रतिशत क्षेत्र है। तथा 2.00 है0 से 4.00 है0 तक 16.11 प्रतिशत तथा 4.00 है0 से 10 है0 तक 2.48 प्रतिशत क्षेत्र है। तथा 10 से अधिक 0.32 प्रतिशत क्षेत्रफल है।

जनपद में कृषि गणना 2010–11 के अनुसार कुल जोतों की संख्या 109268 व क्षेत्रफल 83945 हैक्टेयर है। क्षेत्रफल 0.5 है0 में जोतों की संख्या 43532 तथा क्षेत्रफल 12887.57 हैक्टेयर है। 0.5 से 1.00 है0 में जोतों की संख्या 38511 तथा क्षेत्रफल 27853.65 हैक्टेयर है। 1.00 है0 से 2.00 है0 के अन्तर्गत जोतों की संख्या 22451 तथा क्षेत्रफल 30576.95 हैक्टेयर है। 2.00 है0 से 3.00 है0 के अन्तर्गत जोतों की 3832 तथा क्षेत्रफल 9074.23 हैक्टेयर है। 3.00 है0 से 4.00 है0 के अन्तर्गत जोतों की संख्या 738 तथा क्षेत्रफल 2504.05 हैक्टेयर है। 4.00 है0 से 5.00 है0 के अन्तर्गत जोतो की संख्या 138 तथा क्षेत्रफल 614.97 हैक्टेयर है। 5.00 है0 से 7.5 है0 के अन्तर्गत जोतो की संख्या 57 तथा क्षेत्रफल 334.89 हैक्टेयर है। 7.5 है0 से 10 है0 जोतों की संख्या 6 तथा क्षेत्रफल 50.30 हैक्टेयर है। 10 है0 से 20 है0 जोतों की संख्या 2 तथा क्षेत्रफल 27.46 हैक्टेयर है। 20 है0 से अधिक है0 के अन्तर्गत जोतो की संख्या 1 तथा क्षेत्रफल 20.85 हैक्टेयर है।

dUn ikf"kr ;kstuk

¼v½ jk"Vªh; d`f"k fodkl ;kstuk %&

- tfod dk;de%&
- tfod **कृशि** dk;Øe%&जैविक कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में जैविक संरचना निर्माण के अन्तर्गत 420 वर्मी कम्पोस्ट, 220 नाडेप, 60 बम्बू नाडेप, 304 लीटर जैव उर्वरक, 25 ग्राम स्तरीय प्रशिक्षण, एवं मास्टर ट्रेनरों के मानदेय के अन्तर्गत वर्ष में कुल 34.05 लाख रू0 व्यय किया गया। जिसमें सामान्य जाति के कृषक, अनुसूचित जाति के कृषक एवं महिला कृषकों को लाभान्वित किया गया। इस प्रकार कुल 1602 कृषकों को लाभान्वित किया गया ।

➤ d"kd egkRlo%& वर्ष 2016–17 में राष्ट्रीय कृषक महोत्सव रबी का आयोजन जनपद की समस्त 95 न्याय पंचायतों में किया गया। जिसमें कृषि व सम्बन्धित रेखीय विभागों द्वारा स्टॉलों व प्रद”र्नों के माध्यम से कृषि व विभाग सम्बन्धित जानकारियॉ दी गयी। कृषि निवे”ा वितरित किये गये साथ ही कृषि विज्ञान केन्द्र व विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा भी कृषि व रेखीय विभागों की उन्नत तकनीकी सम्बन्धी जानकारियॉ दी गयी। महोत्सव के दौरान रबी में 13329 कृषको को लाभान्वित किया गया जिसमें कुल 3123 महिला कृषक सम्मिलित है।

➤ ,dhdr cgnn'kh; ty lEHkj.k ;ktuk%& इस योजना अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में जनपद में 60 बहुद्दे”ीय जल संभरण टैकों का निर्माण कराया गया जिसमें 35000 लीटर व 50000 लीटर की क्षमता के जल संभरण टैक निर्मित किए गए साथ ही पॉलीहाउस, मुर्गी पालन व मत्स्य पालन का कार्य भी किया गया। जिसमें 180.00 लाख रू0 की धनरा”ा व्यय की गयी।

➤ enk ,o ty lj{k.k dk;Zde ijh{k.k ¼nwoh; vkinkå %& इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में मृदा परीक्षण प्रयोग”ााला के सुदृढीकरण हेतु वोरॉन वि”लेषण इकाई की स्थापना की गयी। जिसके अन्तर्गत उपकरण ग्लासवेयर्स रसायन एवं कैलौरीमीटर स्थापित किया गया। जिस हेतु कुल 10.93 लाख रूपये की धनरा”ा व्यय की गई।

➤ ?kjckM ;ktuk %& जंगली जानवरों के कृषि फसल के बचाव हेतु जनपद अन्तर्गत घेरबाड़ योजना संचालित की गयी,जिसमें वित्तीय वर्ष 2016–17 में विकासखण्ड हवालबाग के ग्राम चिनौना में घेरबाड़ का कार्य कराया गया, जिसमें 45.00 लाख की धनरा”ा व्यय की गयी है।

➤ **कृशि यंत्रीकरण** %& इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में जनपद के 11 विकासखण्ड के कृषिकों को 50 प्रति”ात अथवा अधिकतम अनुमन्य अनुदान सीमा के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के मानव चालित, बैलचालित, ट्रैक्टरचाालित एवं शक्ति चालित कुल 15234 कृषि यंत्रों यथा 3 थ्रेसर ,36 चैफकटर, 01 कल्टीवेटर, 201 विवेक स्याही हल एवं 14993 पर्वतीय छोटे कृषकों कृषि यंत्र (कुटला, दराती, हैण्ड फार्क गार्डन रैक, हैण्ड हो आदि) का वितरण कर 3989 कृषकों को लाभवन्ति किया गया है जिस पर 15. 00 लाख रूपये की धनरा”ा व्यय की गयी है। जिसमें सामन्य जाति, अनुसूचित जाति तथा महिला कृषकों कृषक सम्मिलित है।

## ¼c½ jk"Vh; [kkn; lj{kk fe'ku

➤ pkoy dk;Zde%& राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मि”ान योजना के अन्तर्गत 2016–17 में 200 है0 क्षेत्रफल में कलस्टर प्रद”र्नों का आयोजन कराया गया। जिस पर कुल मूल्य 877865 रू0 अनुदान के रूप में कृषकों को कृषि निवे”ा नि:”ुल्क वितरण किये गये। अधिक उपजदायी बीजों के वितरण पर कुल मूल्य 29421 रू0 कृषकों को अनुदान के रूप में दिया गया था। सूक्ष्म तत्व वितरण, पौध रक्षा रसायन वितरण, खरपतवार ना”ाी रसायनों के वितरण मद में कुल रू0 255507 अनुदान के रूप में कृषकों को अनुमन्य कराया गया। 19 मानव चालित स्प्रेयर म”ाीनें कृषकों को 50 प्रति”ात अनुदान में वितरण करायी

गयी । जिस पर कुल 11400 रू0 अनुदान कृषको को अनुमान्य कराया गया। जल पम्प वितरण मद में 13 जल पम्प 10000 रू0 प्रति जल पम्प की दर से कुल 130000 रू0 कृषकों को अनुदान के रूप में अनुमन्य कराया गया। 4200 मी0 एच0डी0पी0ई0 पाइप 50 प्रति"ात अनुदान में कृषको को उपलब्ध कराया गया। कृषक प्रि"ाक्षण मद में 54737 रू0 व्यय किया गया। इस प्रकार कुल 1438730 रू0 व्यय किया गया। जिसमें से 129214 रू0 अनुसूचित जाति के कृषकों को व्यय किया गया इस प्रकार सामान्य में 1685 कृषक, अनुसूचित जाति 768 कृषकों को लाभान्वित किया गया जिसमें महिला कृषक भी सम्मिलित है।

- xg dk;dze& राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मि"ान कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में कलस्टर प्रद"ान के अन्तर्गत 460 है0 क्षेत्र में प्रद"ानों का आयोजन किया गया। कुल 2242200 रू0 के कृषि निवे"ा कृषकों को नि:"ाुल्क वितरण किये गये अधिक उपजदायी बीज वितरण के अन्तर्गत 1000 रू0 प्रति कुन्टल की दर से 304319 रूपये अनुदान के रूप में व्यय किये गये। सूक्ष्म तत्व वितरण,पौध रक्षा रसायन वितरण एवं खरपतवार नियंत्रण मद के अन्तर्गत कृषको को वितरित कृषि निवे"ाों पर 50 प्रति"ात अनुदान के रूप में 166127 रू0 व्यय किये गये। कृषि यंत्रीकरण के अन्तर्गत मानव चलित स्प्रेयर कृषको को 50 प्रति"ात अनुदान पर वितरण कर 3600 रू0 व्यय किया गया। जल संवहन पाइप मद में 3500 मीटर पाइप 50 प्रति"ात अनुदान पर वितरण कर 76400 रू0 व्यय किया गया, जल पम्प वितरण के अन्तर्गत 9 जल पम्प कृषको को 50 प्रति"ात अनुदान पर वितरण कर 90000 रू0 व्यय किया गया। कृषको को कृषि की नई तकनीकी मद में 56000 रू0 व्यय किये गये। इस प्रकार कुल 2938646 रू0 व्यय किया गया। इस प्रकार कुल 4108 कृषको को लाभान्वित किया गया,जिसमें 1244 कृषक अनुसूचित जाति के लाभान्वित किये गये।

- ngyu dk;dze& राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मि"ान कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में दलहन कार्यक्रम के क्लस्टर प्रद"ान मद में 200 है0 क्षेत्र में क्लस्टर प्रद"ान आयोजित कराये गये। जिस पर कुल मुद्रित रू0 991673 रू0 की कृषि निवे"ा कृषकों को को नि:"ाुल्क वितरण किये गये अधिक उपजदायी बीज वितरण मद में 40.55 कुन्तल बीज कृषकों को 2500 रू0 प्रति कु0 की दर से वितरणवार कुल 97132 रू0 अनुदान के रूप में व्यय किया गया। सूक्ष्म पोषक तत्व,जैव उर्वरक वितरण एवं दलहनी फसलों में कीट रोग उपचार हेतु पौध रक्षा रसायन 50 प्रति"ात अनुदान पर कृषकों को कुल मुद्रित रू0 145968 अनुदान के रूप में व्यय किया गया। कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत मानव चलित 11 स्प्रे म"ाीने 600 प्रति स्पेयर के अनुसार कृषकों को अनुदान पर वितरण किये गये जिस पर कुल रू0 6600 व्यय किया गया। जल संवहन पाईप वितरण मद के अन्तर्गत 4000 मीटर पाइप कृषकों को 50 प्रति"ात अनुदान पर वितरण किया गया। जिस पर कुल 75600 रू0 अनुदान के रूप में व्यय किया गया। जल पम्प वितरण मद में 16 जल पम्प 10000 रू0 प्रति जल पम्प अनुदान के रूप में कृषकों को वितरण किया गया। जिस पर कुल 160000 रू0 अनुदान के रूप में व्यय किया गया। कृषि की नई तकनीकी प्रि"ाक्षण कार्यक्रम मद में कुल 44980 रू0 कृषकों को कृषि की नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराने में व्यय किया गया। स्वयं संवी संस्थओं द्वारा 10 हे0 क्षेत्र में क्लस्टर प्रद"ान का अयोजन कर कुल रू0 57003 के कृषि निवे"ा कृषको नि:"ाुल्क वितरित किये। प्र"ाासनिक मद में कुल 79783 रू0 व्यय किया गया। इस प्रकार कुल 1658739 रू0 व्यय किया गया। जिसमें 334638 रू0 अनुसूचित जाति के 1148 कृषकों को लाभान्वित किया गया।

➢ ekVk vukt ½& राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मि"ान कार्यक्रम के अन्तर्गत 2016–17 में मक्का के 20 है0 क्षेत्र में कलस्टर प्रद"ानों का आयोजन कर कुल 38565.00 रू0 के कृषि निवे"ा कृषकों को निः"ुल्क वितरित किये गये। मडुंवा के 50 है0 क्षेत्र में कलस्टर प्रद"ार्नों का आयोजन कर कुल 45134.00 रू0 के कृषि निवे"ा कृषकों को निः"ुल्क विततरित किये गये। इसके अतिरिक्त मंडुवा/सांवा के प्रमाणित बीज विततरण के अन्तर्गत 1500.00रू0 प्रति कुन्टल अनुदान की दर से 12426.00 रू0 कृषकों को अनुदान अनुमन्य कराया गया। इस प्रकार कुल 96127.00 रू0 अनुदान के रूप में व्यय किये गये जिसमें 34738.00 रू0 अनुसूचित जाति के कृषकों में अनुदान के रूप में व्यय किये गये जिसमें 203 अनुसूचित जाति के कृषकों को लाभान्वित किया गया।

➢ **(स) राश्ट्रीय तिलहन एवं आयलपॉम** fe'ku ;kstuk ½&इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में 10 है0 क्षेत्र में राई /सरसों का कलस्टर प्रद"ान आयोजित किया गया जिसमें कुल 16324.00 रू0 के कृषि निवे"ा कृषकों को निः"ुल्क वितरित किये गये अधिक उपजदायी लाही /सरसों के बीजों पर 2500.00 रू0 प्रति कुन्टल अनुदान तिल बीजों के वितरण पर अनुदान 1200.00 रू0 प्रति कुन्टल अनुदान की दर से कुल 16485.00 रू0 कृषकों को अनुमन्य कराया गया। उन्नत तकनीकी प्रि"ाक्षण के अन्तर्गत कृषकों को प्रि"ाक्षण मद में कुल 23305.00 रू0 व्यय किये गये, सूक्ष्म तत्व वितरण एवं तिलहनी फसलों में लगने वाले कीट रोग नियंत्रण हेतु पौध रक्षा रसायनों के विततरण पर 50 प्रति"ात अनुदान कृषकों को उपलब्ध कराया गया। जिस पर कुल 19825.00 रू0 अनुदान के रूप में व्यय किये गये। कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत दो स्प्रे म"ाीने 600 रू0 प्रति ईकाई की दर से कृषकों में वितरित की गयी जिस पर कुल 1200.00 रू0 अनुदान के रूप में व्यय किये गये जल सम्बहन पाइप विततरण मद के अन्तर्गत 739 मीटर पाईप 50 प्रति"ात अनुदान पर वितरित कर कुल 15080.00 रू0 अनुदान के रूप में व्यय किये गये। इस प्रकार कुल 92219.00 रू0 अनुदान के रूप में व्यय किया गया जिसमें 8624.00 रू0 अनुसूचित जाति के कृषकों पर व्यय किया गया। इस प्रकार कुल 1083.00 कृषकों को लाभान्वित किया गया जिसमें से 252 कृषक अनुसूचित जाति के कृषक सम्मिलित किये गये।

¼;½ u'kuy fe'ku Qkj ,xhdYpj ,DlVs'ku ,.M VsDukykth fe'ku ¼ueSV½&

➢ lcfe'ku vku ,xhdYpj esduukbts'ku ¼ ,l0,e0,0,e0½ ½&इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में कृषकों के समय एवं श्रम में बचत हेतु कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहित करने के उददे"य से निम्न कार्य सम्पादित कराये गये।

➢ Qkel e'khujh cSd½&इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि यंत्रों को प्रोत्साहन देने के उद्दे"य से विकासखण्ड द्वाराहाट के ग्राम रवलसेरा में स्वंय सेवा सहायता केन्द्र एवं विकासखण्ड सल्ट में हरडा तडियाल जैविक समूह कुल 02 कृषक समूहों (कम से कम 08ध–08 सदस्यों का समूह) का गठन कर फार्म म"ाीनरी बैंक की स्थापना की गयी। जिसके अन्तर्गत प्रत्येक समूहों को ट्रेक्टर, कल्टीवेटर, थ्रेसर,ब्र"ा कटर आदि यंत्र क्रय करने पर 80 प्रति"ात अधिकतम रू0 5.00 लाख तक की सीमा तक के अन्तर्गत अनुदान डी0बी0टी0एल0 के माध्यम से उनके बैक खातों में भुगतान किया गया। इससे समुह द्वारा स्वंय कृषि सम्बन्धित कार्यो का सम्पादन कर समय एवं श्रम में बचत की जा रही है।

साथ ही नजदीकी गॉवों एवं विकासखण्ड के अन्य क्षेत्रों में समूहों अपने न्यूनतम निर्धारित दरों पर कृषि कार्य करने से कृषकों को प्रोत्साहित करने में सहायता मिलेगी। इस मद में कुल 10.00 लाख रू0 की धनरा”ि व्यय की गयी।

- ;= forj.k dk;lde%&इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में विकासखण्ड चौखुटिया एवं स्याल्दे में कृषकों को एक–एक टैक्टर का विवतरण किया गया, जिस पर प्रति टैक्टर 35 प्रति”ात अधिकतम 1.25लाख का अनुदान उनके बैक खातों पर उपलब्ध कराया गया। टैक्टर के साथ साथ एक–एक कल्टीवेटर भी वितरित किया गया। जिस पर 40 प्रति”ात अधिकतम रू0 0.15 लाख की धनरा”ि व्यय की गयी। विकासखण्ड ताकुला में 01 पावर टिलर का वितरण किया गया जिस पर 50 प्रति”ात अधिकतम रू0 0.75 लाख की धनरा”ि भुगतान की गयी इसी प्रकार भैसियाछाना, धौलादेवी, ताकुला,चौखुटिया, द्वारहाट,स्याल्दे,सल्ट में कुल 07 नैपसेक स्प्रेयर वितरण कर 0.042 लाख की धनरा”ि व्यय की गयी।

¼2½ vkrek%&

1- izf'k{k.k dk;lde & आतमा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य स्तरीय प्र”िाक्षण में 36 कृषक लाभान्वित हुए एवं जिला स्तरीय प्र”िाक्षण 1102 कृषक लाभान्वित हुये।
2- Hkze.k dk;lde & राज्य से बाहर 91 कृषक एवं राज्ञज्य के अन्तर्गत 60 कृषक एवं जिला अन्तर्गत 393 कृषकों को लाभान्वित किया गया।
3- Ikn'ku & कृषि विभाग द्वारा 132 प्रद”र्िान एवं अन्य रेखिय विभागों उद्यान प”ाुपालन, मत्यस्य द्वारा 77 एवं कृषि विज्ञान केन्द्र मटेला प्रद”र्िान आयोजित किये गये।
4- fdlku lEeku iqjLdkj & कृषकों को कृषि, उद्यान, प”ाुपालन, मत्स्य,रे”ाम के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कृषकों को ब्लॉक स्तर पर 10000.00 जिला स्तर पर 25000.00 एवं राज्य स्तर पर 50000.00 का किसान सम्मान पुरस्कार विततरण किये जाते है। उक्त सम्पूर्ण कार्यक्रमों में सामान्य जाति में 5379625.00 एवं अनुसूचित जाति में रू0 1528995.00 कुल रू0 6908620.00 व्यय किया गया। आतमा योजना का उद्दे”य कृषकों को नयी तकनीकी से कृषि प”ाुपालन, उद्यानिकरण एवं मत्स्य पालन हेतु प्रचार–प्रसार करना है।

¼j½ jk"Vªh; lEik"k.kh; df"k fe'ku%&

- **वर्शा आधारित क्षेत्र विकास कार्यकम** :–उक्त योजना अंतर्गत वर्ष 2016–17 में कुल 08 चयनित कल्स्टर–हवालबाग प्रथम, हवालबाग द्वितीय, मन्योली, धौलादेवी, भैसियाछाना,ताडीखेत, द्वाराहाट एवं स्याल्दे में उद्यान आधारित फसल प्रणाली प”ाुधन आधारित फसल प्रणली, दुग्ध उत्पादन आधारित फसल प्रणाली, कृषि उत्पादन आधारित फसल प्रणाली, वृक्ष उत्पादन आधिरित फसल प्रणाली, मिडिल रिज गली कंट्रोल संरचना, लोवर रिज गली कंट्रोल संरचना, वर्ती कम्पोस्ट संरचना सामुदायिक टैंक प्र”िाक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रम सम्पादित कराए गये। उक्त मद अंतगर्हत वर्ष 2016–17 के वित्तीय लक्ष्य 96.84 लाख रूपये की धनरा”ि के सापेक्ष 96.84 लाख रूपये की धनरा”ि व्यय की गई। जिसमें कुल 4685 कृषक लाभान्वित किए गये।

**वित्तीय वर्श 2016–17** में वर्ष 2015–16 के शेष लक्ष्यों के सापेक्ष कल्स्टर हवालबाग प्रथम में उद्यान आधारित फसल प्रणली मद, वर्मी कम्पोस्ट संरचना एवंज ल संवहन पईप सम्बन्धी कार्य सम्पादित कराए गये जिसमें 3.915 लाख रूपये की धनरा”ज्ञ व्यय करते हुए 49 कृषकों को लाभान्वित किया गया।

DyLVj gokyckx f}rh; dYLVj e: ty संवहन पईप एवं वर्मी कम्पोस्ट सम्बन्धिी कार्य सम्पादित कराते हुए कुल 36 कृषकों को लाभान्वित किया गया जिसमें 1.90 लाख रूपये की धनाा"ा व्यय की गई। क्लस्टर स्याल्दे अंतर्गत उद्यान आधारित फसल प्रणाली मद में कुल 5.50 लाख रूपये की धनराा"ा व्यय करते हुए 59 कृषकों को लाभान्वित किया गया । साथ ही उक्त कल्स्टर में 0ण्375 लाख रूपये के वर्मी कम्पोस्ट संरचनाओं का निर्माण करते हुए कुल 05 कृषकों को लाभान्वित किया गया। भैसियाछाना कल्स्टर में जल संवहन पाईप एवं वर्मी कम्पोस्ट संबंधी सम्पादित कराते हुए कुल 0.475 लाख रूपये की धनराा"ा व्यय की गई, साथ ही 06 कृषकों को लाभान्वित किया गया। क्लस्टर ताडीखेत अंतर्गत 15 वर्मी कम्पोस्ट संरचनाओं के सापेक्ष कुल 1,125 स्पये की धनराा"ा व्यय करते हुए 15 कृषकों को लाभान्वित किया गया । इस प्रकार वर्ष 2015–16 के शेष वित्तीय लक्ष्य 13ण्29 लाख रूपये की धनराा"ा के सापेक्ष कुल 13.29 लाख रूपये की धनराा"ा वर्ष 2016–17 में व्यय की गई।

- enk LokLF; dkM ;kstuk&उक्त योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 में जनपद को कुल 4002 मृदा नमूना एकत्रीकरण का लक्ष्य प्राप्त हुआ था। जिसके सापेक्ष मृदा नमूनों का वि"लेषण करते हुए मृदा उर्वरता स्तर ,फसलों हेतु उर्वरक प्रयोग की मात्रा, समस्या ग्रस्त मृदाओं हेतु मृदा मृद्वा सुधारकों की मात्रा एवं एकीकृत पोषक तत्व प्रबन्धन हेतु संस्तुतियां कृषकों को उपलब्ध कराते हुए कुल 54634 मृद्वा स्वास्थ्य कार्डो का निः"ुल्क वितरित किया गया। उक्त योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 में जनपद को कुल 1.69 लाख रूपये की धनराा"ा प्राप्त हुई जिसके सापेक्ष्ज्ञ 1.69 लाख रूपये की धनराा"ा व्यय की गई। साथ ही योजना द्वारा कुल 54577 कृषकों को लाभान्वित किया गया।

- **परम्परागत कृशि** fodkl ;kstuk& इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 2016–17 में कुल 55 कलस्टरों में परम्परागत कृषि विकास योजना के अन्तर्गत गठित समूहों के माध्यम से कृषकों को प्रा"ाक्षण एवं गोष्ठियों के माध्यम से जैविक/परम्परागत कृषि का प्रा"ाक्षण दिया गया। समूहों का ऑनलाईन पंजीकरण कराया गया, एवं कार्य योजना के अनुसार शतप्रति"ात अनुदान पर विभिन्न कृषि निवे"ा एवं यंत्र वितरित किये गये।

¼4½ **i/kkueU=h dशि सिंचाई योजना** –

¼v½ ifr cwn vf/kd mRikndrk & mDr en vrxr जनपद को सामुदायिक टैंक, चैक डैम, छत वर्षा टैक स्त्रोतों का जीर्णोधार एवं नवीनीकरण, तालाब निर्माण, सिंचाई नहर निर्माण, एच0डी0पी0ई0 पाईप, जल पंप, प्रा"ाक्षण, भ्रमण एवं कंटिन्जैन्सी मद हेतु कुल 82.575 लाख रूपये की धनराा"ा का लक्ष्य प्राप्त हुआ। जिसके सापेक्ष 82.575 लाख रूपये की धनराा"ा व्यय की गई।

¼c½ ifr cwn vf/kd mRikdrk feuh@ikVcy fLiadyj lV & उक्त मद अंतर्गत जनपद को प्रथम किस्त में कुल 4.2048 लाख रूपये की धनराा"ा 11.20 है0 क्षेत्रफल में मिनी स्प्रिेकलर/पोर्टेबल स्प्रिंकलर सैटों को स्थापित किए जाने हेतु आवंटित की गई। जिसके सापेक्ष कुल 4.2048 लाख रूपये की धनराा"ा व्यय की गई। जनपद को पुनः 07 है0 मिनी स्प्रिंकलर सैट के लक्ष्य प्राप्त हुए जिस हेतु जनपद को कुल 4.473 लाख रूपये की धनराा"ा प्राप्त हुई, जिसके सापेक्ष शत्–प्रति"ात पूर्ति करते हुए 7 है0 क्षेत्र में मिनी स्प्रिंकलर सैटों को स्थापित किया गया।

¼l½ tykxe fodkl dk;de@vkbZ0MCY;w0,e0ih0 & समेकित जलागम प्रबन्धन योजना (आई0डब्लू0एम0पी0) अन्तर्गत जनपद स्तर पर कृषि विभाग, पी0आई0ए0 के रूप में कार्य कर रहा है। जिसमें जिला स्तर में कुल 8 परियोजनाओं संचालन में है। जिसमें कृषि विभाग द्वारा पी0आई0ए0 के रूप में 2 परियोजनाऐं आई0डब्ल्यू0एम0पी0 द्वितीय व

चतुर्थ संचालित की जा रही है। परियोजना आई0डब्ल्यू0एम0पी0 द्वितीय में कुल 26 समिति एवं चतुर्थ में कल 39 समिति बनी हुयी है। इन सीभ समितियों/ग्राम पंचायतों में जलागम संबंधी कार्यकिये जामे है। जिसमें कार्यो का सपादन अध्यक्ष, ग्राम प्रधन, हस्ताक्षरी के संयुक्त हस्ताक्षरों के माध्यम से ही किया जाता है। इसमें जलागम विकास से सम्बन्धित कार्यक्रम (सिचाई टैक, चैकडेम, रूफवाटर हार्वेस्टिंग टैंक, गैवियन संरचना आदि) माइकोइन्टर–प्राइजेज (बीज मिनीकिट विततरण, छोटे यंत्र वितरण, पॉलीहाउस आदि) लाइवलीहुड कार्यक्रम (कुक्कुट पालन, बकरी पालन, दुग्ध उत्पादन) आदि कार्य सम्पादित कराते हुये वित्तीय वर्ष 2016–17 में वाटर"ोड कार्य मद में भौतिक पूर्ति 36 संख्या में समूह निर्माण एवं प्रति"ाक्षण मद पूर्ति 36 सं0 के सापेक्ष कुल 144.49 लाख रू0 की धनरा"ा व्यय की गयी।

jkT; ;kstuk %&

- **जल पंप स्प्रिंकलर सेंट, पॉली हाउस कृशि यंत्र वितरण** – उक्त कार्यक्रम अंगर्तत जनपद को स्प्रिंकलर सेंट, जल पंप आदि के वितरण हेतु 37.85 लाख रू0 की धनरा"ा प्राप्त हुई। जिसके सापेक्ष 37.85 लाख रू0 की धनरा"ा का व्यय करते हुए शत्–प्रति"ात पूर्ति की गई।
- **कृशि निवे'k Hk.Mkjk dk lqn<hdj.k dh ;kstuk &** उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद में स्थापित कृषि निवे"ा भण्डारों का सुदृढीकरण किये जाने हेतु जनपद को 49.62 लाख रू0 की धनरा"ा प्राप्त हुई। जिसके सापेक्ष शत्–प्रति"ात पूर्ति करते हुए 49.62 लाख रू0 की धनरा"ा व्यय की गई।
- e`nk ijh{k.k iz;ksx'kkyk & जनपद स्तर में स्थापित मृदा परीक्षण प्रयोग"ााला के सुल संचालन हेतु जनपद को 3.21 लाख रू0 की धनरा"ा प्राप्त हुई। जिसके सापेक्ष शत्–प्रति"ात पूर्ति करते हुए 49.62 लाख रू0 की धनरा"ा व्यय की गई।
- [kk|kUu lqj{kk dk;Zde & उक्त कार्यक्रम अंतर्गत कृषकों को मंडुवा, सांवा, गहत एवं भट्ट के बीजों का 75 प्रति"ात अनुदान पर कृषकों को वितरण किया गया। जिस पर कुल 13.48279 लाख रू0 की धनरा"ा व्यय की गई।
- Lkpuk lykg dsUnzks dk lqn<hdj.k & जनपद में स्थापित सलाह केन्द्रों सुदृढीकरण किये जाने हेतु जनपद को 0.70 लाख रू0 की धनरा"ा प्राप्त हुई। जिसके सापेक्ष 0. 6960 लाख रू0 की धनरा"ा व्यय की गई।
- LFkkuh; Qly izksRlkgu gsrq ckssul forj.k dk;Zde & उक्त कार्यक्रम अंतर्गत स्थानीय फसल को प्रोत्साहन देने हेतु मंडुवा उत्पादन करने वाले कृषकों को रू0 300 प्रति कु0 की दर से प्रोत्साहन रा"ा के रूप में बोनस वितरित किया गया। उक्त बोनस का वितरण जनपद में गठित की गई एफ0आई0जी0 के माध्यम से किया गया। जिसमें कुल 91.00 लाख रू0 की धनरा"ा व्यय की गई।
- dhVuk'k**क औशधियों की खरीद एवं माइक्रोन्यूट्रिन्ट** – उक्त कार्यक्रम अंतर्गत कीटना"ाक एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों के वितरण हेतु जनपद को कुल 50.00 लाख रू0 की धनरा"ा प्राप्त हुई जिसकें सापेक्ष 48.50915 लाख रू0 की धनरा"ा व्यय की गई।
- [kk|kUu@nygu@frygu@cht dh ykxr gsrq izkslkfgd O;; & उक्त कार्यक्रम हेतु जनपद को कुल 11.00 लाख रू. की धनरा"ा प्राप्त हुई। जिसके सापेक्ष 11.99386 लाख रू0 की धनरा"ा बीजों के ढुलान हेतु व्यय की गई।

¼3½ vuqlwfpr tkfr ckgqY; xzkeksa esa df"k fodkl dk;Zde½&इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद के 8 विकासखण्डों कम"ः ताकुला (पडोलिया), द्वाराहाट (मल्ली मिरई), भिक्यिासैण (लॉकोट) सल्ट (पन्वाद्योखन), स्याल्दे (तल्लाखण्डुवा), भौसियाछाना (सल्ला),

धौलादेवी (बलिया), एवं लमगडा (बडयूडा) ग्रामों में योजनान्तर्गत निम्नलिखित कार्यक्रमों का संचालन किया गया।

1. **कृशि यंत्र वितरण** – शक्ति चालित एवं मानव चालित कृषि यत्रों को प्रोत्साहन देने हेतु कृषकों के समय एवं श्रम की बचत करने के उद्दे"य से चयनित ग्रामों के 494 कृषकों को 90 प्रति"ात अनुदान पर विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों यथान्पावर विडर, जल पम्प, नैपसेक स्प्रेयर, पाली हाऊस एवं विवके स्याही हलों का वितरण किया गया। जिसमें से 149 महिला कृषकों भी लाभान्वित किया गया।
2. **पर्वतीय छोटे कृशि यंत्र वितरण** – इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित विकासखण्डों के चयनित ग्रामों के कृषकों को 90 प्रति"ात अनुदान पर पर्वतीय छोटे कृषि यंत्रों यथा–कुटला,हेन्ड फार्क, हैन्ड हो, गार्डन ड्रेक आदि का वितरण कर कुल 840 कृषकों को लाभान्वित किया गया। जिस पर कुल रू0 1,19220 लाख की धनरा"ाि व्यय की गयी। जिसमें 257 महिला कृषकों को भी लाभान्वित किया गया।
3. flapkbZ ikbi forj.k & इसके अन्तर्गत चयनित कृषकों को सिचाई की उचित व्यवस्था हेतु 90 प्रति"ात अनुदान पर 3000 मीटर एच0डी0पी0ई0 पाइप उपलब्ध कराकर 15 कृषकों को लाभान्वित किया गया। जिसमें 1 महिला कृषक भी सम्मिलित है। इस कार्य मद में कुल रू0 1.02 लाख की धनरा"ाि व्यय की गयी।
4. **कृशक प्र"ि{k.k** – इस कार्य मद के अन्तर्गत चयनित ग्रामों में कृषकों को कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित समस्त तकनीकी जानकारियॉ उपलब्ध कराने के उद्दे"य से 05 कृषक प्र"ि"ाक्षणों का आयोजन कर 360 कृषकों को लाभान्वित किया गया । जिसमें 171 महिला लाभर्थी भी सम्मिलित है। जिस पर कुल रू0 0.49350 लाख की धनरा"ाि व्यय की गयी।

ftyk ;kstuk%& जिला योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में जनपद के 11 विकासखण्डों के चयनित ग्रामों में कृषकों/कृषक समूहों में बीज मिनिकिट वितरण, कृषि यंत्र वितरण एवं अतिरिक्त सिंचन क्षमता/मृदा एवं जल संरक्षण कार्य सम्पादित कराये गये। जिनका विवरण निम्न प्रकार से है।

1- cht fefufdV forj.k%& इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्पादन में वृद्वि हेतु 15000 मिनिकिट वितरण के लक्ष्य के सापेक्ष जनपद के समस्त 11 विकासखण्डों के चयनित ग्रामों के 19670 चयनित कृषकों को धान के 2 कि0ग्रा0 एवं गेहूॅ के 5 कि0ग्रा0 के नवीनतम उन्नत"ाील प्रजातियों के प्रमाणित बीजों के मिनिकिट रू. 175.00 की अधिकतम सीमा तक देय अनुदान पर वितरित किये गे, एवं उत्पादन में वृद्वि करने हेतु कृषकों का एकदिवसीय प्र"ि"ाक्षण आयोजित कर उन्हें विषयवस्तु वि"ोषज्ञों एवं विज्ञानिकों द्वारा नवीनतम तकनीकी जानकारी प्रदान की गयी। इस मद में उपलब्ध धनरा"ाि के अनुसार रू0 5.95 लाख व्यय किया गया। जिसमें रू0 1.21 लाख अनुसूचित जाति के लाभार्थीयों पर व्यय किया गया। इसके अन्तर्गत कुल 19670 कृषकों को लाभान्वित किया गया। जिसमें 6862 अनुसूचित जाति के कृषक एवं 5621 महिला कृषक सम्मिलित है।

2- ik/k lqj{kk dk;ZØe %& इसके अन्तर्गत 5000 है0 लक्ष्य के सापेक्ष 5965 है0 क्षेत्र में बोई गयी फसलों में लगन वाले कीट रोगों की रोकथाम हेतु चयनित ग्रामों के चयनित कृषकों को 50 प्रति"ात अनुदान पर कृषि रक्षा रसायनों /जैव रसायनों /जैव उर्वरकों का वितरण किया गया।

जिस पर उपलब्ध धनरा"िा के अनुसार रू0 3.41 लाख व्यय किया गया। जिसमें 0.905 लाख की धनरा"िा अनुसूचित जाति के लाभार्थीयों पर व्यय की गयी, इसके अन्तर्गत कुल 5160 कृषक लाभान्वित किये गये। जिसमें 1571 कृषक अनुसूचित जाति एवं 1595 महिला कृषक सम्मिलित है।

**3- कृशि यंत्र वितरण** %& इस कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्त विकासखण्डों के चयनित ग्रामों के चयनित सामान्य, अनुसूचति जाति एवं महिला कृषकों/कृषक समहों को कृषि यंत्रों के अधिकाधिक उपयोग कर समय व श्रम की बचत करने के उद्दे"य से विभिन्न प्रकार के 161 कृषि यंत्रों यथा पावर टीलर, पावर वीडर, स्याही हल का 80 प्रति"ात अथवा अधिकतम निर्धारित सीमा के अन्तर्गत अनुदान पर वितरण किया गया। जिस पर उपलब्ध धनरा"िा के अनुसार सामान्य श्रेणी में रू0 24.75 लाख एवं अनुसूचचित जाति के कृषकों पर रू. 7.25 लाख की धनरा"िा व्यय की गयी। इसके अन्तर्गत 181 कृषकों को लाभान्वित किया गया। जिसमें 20 कृषक अनुसूचित जाति एव 3 महिला कृषक भी सम्मिलित है।

5—अतिरिक्त सिंचन क्षमता/मृद्वा एवंज ल संरक्षण कार्यक्रम — इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्पादकता में वृद्वि लाने एवं चयनित ग्रामों के कृषक/कृषक समूहों के आजीविका में सुधार लाने हेतु क्षेत्रीय कार्य/संरचनाओं का निर्माण किया गया। जिसके अन्तर्गत 12 संरचनाओं का निर्माण कर आवंटित धनरा"िा के अनुसार रू. 11.84 लाख की धनरा"िा व्यय की गयी। जिसमें से रू0 2.00 लाख की धनरा"िा अनुसूचित जाति मद में व्यय कर 03 संरचनाओं का निर्माण किया गया। इसकें अन्तर्गत कुल 88 कृषकों को लाभान्वित किया गया। जिसमें 22 अनुसूचित जाति एवं 39 महिला कृषक भी सम्मिलित है।

df"k lj{kk dk;Zde%&

- ikS/k lj{kk dk;Zde %&इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2016—17 में कुल 91078 है0 लक्ष्य के विरूद्व 23913.24 है0 क्षेत्र में पौधे सुरक्षा कार्यक्रम चलाया गया। रसायन वितरण मद के अन्तर्गत 226525 ली0/किलो0 लक्ष्य के सापेक्ष 12242.00 लीटर/किलो0 रसायनों का वितरण विभिन्न अनुदान योजनओं पर वर्ष में संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कराया गया।
- moZjd xq.k fu;a=.k dk;Zde & इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2016—17 में कुल 4 एकल पोषक तत्वों के नमूनों के लक्ष्यों के विरूद्व 03 नमूनों के लक्ष्यों के विरूद्व 05 नमूने प्रयोग"ााला को भेजे गये, एवं मिश्रित उर्वरकों के अन्तर्गत वर्ष 2016—17 में कुल 09 मिश्रित तत्वों के नमूनों के लक्ष्यों के विरूद्व 05 नमूने प्रयोग"ााला को भेजे गये।
- dhVuk'kh vf/kfu;e ds vUrxZr vkgfjr uewus & इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2016—17 में कुल 15 लक्ष्यों के सापेक्ष 09 नमूने आहरित कर प्रयोग"ााला प्रेषित किये गये।
- chtksa dk vkoaVu@mBku@forj.k & इस कार्याक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2016—7 में खरीफ सत्र में कुल 808.00 कु0 बीजों के आवंटन के विरूद्व 739.69 कु0 बीजो का

उठान एवं वितरण किया गया, एवं रबी सत्र में कुल 2081 कु0 आवंटन विरूद्व 1970.50 कु0 बीज का उठान एवं वितरण किया गया।

# v/;k;&6
# m|ku ,oa lCth mRiknu

जनपद में वर्ष 2016–17 में कुल राजकीय उद्यानों की संख्या 3 तथा नर्सरियों की संख्या 8 है। जनपद में उद्यान सचल दल केन्द्र की संख्या 36, फल संरक्षण केन्द्रो की संख्या 6 है। कृषि कार्य आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभप्रद न होने के कारण जनपद उद्यान विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। जनपद में कुल फलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल 24174 हैक्टेयर, सब्जी का क्षेत्रफल 4465 हैक्टेयर तथा आलू का सकल क्षेत्रफल 2452 हैक्टेयर है। यह औद्यानिक कार्यक्रम उत्तराखण्ड राज्य का कार्यक्रम है। इससे यहॉ के लोगों की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हो रहा है। इन उद्यानों की मुख्य समस्या समीपस्थ विपणन केन्द्रो का न होना है। जिससे उद्यानपतियों/सब्जी उत्पादकों को अपना उत्पादन बिक्री हेतु काफी दूर ले जाना पड़ता है। जनपद में मौसमी फलों सब्जियों आदि के उचित भण्डारण  की व्यवस्था न होने के कारण उद्यानपतियों को उनके द्वारा उत्पादित सामग्री का उचित मूल्य प्राप्त नही होता है। जिस कारण उद्यानपतियों/कृषको का आर्थिक नुकसान के साथ–साथ मौसमी फलों, सब्जियों आदि का नुकसान होता है। जनपद में उद्यान विभाग द्वारा निम्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है।

## ftyk lsDVj&

**v½& vuqlwfpr tkfr ½&** जिला योजनान्तर्गत 307 है0 क्षेत्र में पौध सुरक्षा का कार्य किया गया। जिसमें अनुसूचित जाति के 1528 कृषक लाभान्वित हुये। कुरमुला कीट नियन्त्रण के अन्तर्गत 78 है0 क्षेत्र में 972 कृषकों को 50 प्रति”ात राज सहायता पर 130 कृषकों को 138 औद्यानिक संयत्र वितरण किये गये। इसके अतिरिक्त फल एवं सब्जी प्रसंस्करण के अन्तर्गत 2816 किग्रा0 फल एवं सब्जी प्रसंस्करण कार्य किया गया। जिससे 432 कृषक लाभान्वित हुये। फल एवं सब्जियों के प्रसंस्करण विषय पर 153 कृषकों को प्र”िाक्षण दिया गया तथा जनपद के विभिन्न उद्यान सचल दल केन्द्रों के माध्यम से खुदरा बिक्री के अन्तर्गत कुल 2291 फल पौध उपलबध कराये गये जिससे 462 अनुसूचित जाति के कृषक लाभान्वित हुये। उक्त के अतिरिक्त 1263 कृषकों को 489 किग्रा0 सब्जी उपलब्ध कराया गया तथा 326 कृषकों को 2.37 लाख सब्जी पौध उपलब्ध कराई गयी तथा 90 प्रति”ात राजसहायता पर 6 कृषकों के यहॉ पॉलीहाउस का निर्माण कराया गया और कृषक को उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न उ0 स0 द0 केन्द्रो को 428 प्लास्टिक क्रेटस उपलब्ध कराये गये।

**lkekU; ;kstuk½&** योजनान्तर्गत 1218 हैक्टेयर क्षेत्रफल में पौध सुरक्षा कार्य किया गया। जिसमें 6101 कृषको को लाभान्वित किया गया । कुरमुला कीट नियंन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत 309 है0 क्षेत्र में 3884 कृषकों को लाभान्वित किया गया एवं 50 प्रति”ात राज सहायता पर 514 कृषकों को 550 औद्यानिक संयन्त्र वितरण किये गये। इसके अतिरिक्त फल एवं सब्जी प्रसंस्करण के अन्तर्गत 38509 किग्रा0 फल एवं सब्जी प्रसंकरण कार्य किया गया जिससे 5188 कृषक लाभान्वित हुए फल एवं सब्जियों के प्रसंस्करण विषय पर 944 कृषकों को अन्तर्गत कुल 9094 फल पौध उपलब्ध कराये गये जिससे 1836 कृषक लाभान्वित हुवे उक्त के अतिरिक्त 8450 कृषकों को 4180 किग्रा0 सब्जी बीज उपलब्ध कराया गया तथा 1296 कृषकों को 9.45 लाख सब्जी पौध उपलब्ध कराई गयी तथा 90 प्रति”ात राजसहायता पर 38 कृषकों के यहॉ पॉलीहाउस का निर्माण कराया गया और 1623 प्लास्टिक केट्स उपलब्ध कराये गये।

jkT; lDVj

➢ jkT; lDVj%& राज्य सैक्टर के अन्तर्गत वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत जनपद के 21497 कृषकों को लाभान्वित करते हुये कुल 70492 विभिन्न प्रकार के शीतकालीन एवं वर्षाकालीन फल पौधे का नि:"ाुल्क वितरण किया गया। इसके अतिरिक्त 555 कृषकों को पंजीकृत करते हुये उद्यान कार्ड वितरित किये गये तथा 140 कृषकों को मौनपालन विषय पर सात दिवसीय प्र"िाक्षण दिया गया एवं फसल बीमा योजनान्तर्गत 2081 आलू उत्पादकों 8 टमाटर उत्पादकों 1210 अदरख उत्पादकों 192 मिर्च उत्पादकों,एक फ्रासबीन उत्पादकों तथा 60 सेब/आम उत्पादकों का फसल बीमा सम्बन्धित अनुमोदित बीमा कम्पनी द्वारा करवाया गया। मुख्यमंत्री संरक्षित उद्यान विकास योजना के अन्तर्गत 26 कृषकों के यहॉ पॉलीहाउस निर्माण कर लाभान्वित किया गया तथा पुराने उद्यानों की घेरबाढ योजनान्तर्गत 15 कृषकों को लाभान्वित करते हुये कुल 10.37 है0 क्षेत्र में उद्यानों की घेरबाड की गई। इसके अतिरिक्त 46722 फल पौधों का उत्पादन 117.5 कि0ग्रा0 सब्जी बीज उत्पादन एवं 11.82 लाख सब्जी पौध उत्पादन का कार्य तथा नई योजनाओं के अन्तर्गत 14 है0 क्षेत्रफल में उद्यानों को जीर्णोद्वारा कार्य तथा पॉलीहाउस की पालीथीन बदलाव योजनान्तर्गत 7546 वर्ग मी0 पालीथीन वितरण कर 44 कृषकों को लाभान्वित किया गया। मसाला की खेती की योजना में अदरख 25 है0 हल्दी 10 है0 एवं मिर्च 6 है0 क्षेत्र में कृषकों को मसाला बीज उपलबध कराया जा रहा है। तथा जनपद में इस वर्ष 140 कृषकों के यहा छोटे वर्मी कम्पोस्ट इकाइयों का निर्माण करवाया गया है तथा 20.42 है0 क्षेत्र में बेमौसमी सब्जी उत्पादन की योजनान्तर्गत बन्दगोभी, फूलगोभी एवं टमाटर हाईब्रिड सब्जी बीज वितरण कर कृषकों को लाभान्वित किया गया है। मसाला मिर्च को प्रोत्साहन की योजनान्तर्गत जनपद के लगभग 14976 मसाला मिर्च उत्पादकों को रू0 700.00 प्रति कु0 प्रोत्साहन रा"िा प्रदान कर लाभान्वित किया गया है। उक्त के अतिरिक्त 2 फल पौध"ाालाओं की स्थापना कर 2 कृषकों को लाभान्वित किया गया है तथा 1 कृषक को मि"ान सेब योजनान्तर्गत लाभान्वित किया गया है।

o"kZ 2016&17 esa m|ku foHkkx dh foRrh; izxfr fuEu izdkj jgh&

| क्र0सं0 | योजना का नाम | स्वीकृत धनरा"िा (लाख रूपये में ) | व्यय धनरा"िा (लाख रूपये में ) |
|---|---|---|---|
| | जिला सैक्टर | 41.00 | 41.00 |
| 2 | राज्य सैक्टर | 149.76050 | 149.37251 |
| 3 | केन्द्रीय योजना ( HMNEH ) | 83.29900 | 39.88900 |

gkfVdYpj VDukykth fe'ku ¼ **HMNEH** ½%&

Qy ik/k {k=Qy foLrkj:—एच0एम0एन0ई0एच योजनान्तर्गत वर्ष 2016—17 में निम्नानुसार औद्योनिक कार्य करवाये गये।

Qy ik/k {k=Qy foLrkj%&एच0एम0एन0ई0एच योजनान्तर्गत 13 है0 क्षेत्र में आम फल पौध रोपड 10 है0 क्षेत्र में नीबू प्रजाति फल पौध रोपड, 3 है0 क्षेत्र में आवंला फल पौध रोपड, 3 है0 क्षेत्र में सेब फल पौधे रोपड तथा 6 है0 क्षेत्र में आडू फल पौध रोपड का कार्य चयनित कृषकों के यहा किया गया है। जिससे कुल 73 कृषक लाभान्वित हुवे है। lCth {k=Qy foLrkj%&एच0एम0एन0ई0एच योजनान्तर्गत हाइब्रिड सब्जी प्रद"ान में बन्दगोभी 10 है0 फूलगोभी

12 है0 ि"ामला मिर्च 10 है0 तथा टमाटर 10 है0 कुल 42 है0 क्षेत्र में सब्जी प्रद"ान कर कृषकों को लाभान्वित किया गया।

- Ekl kyk {k=Qy foLrkj%& एच0एम0एन0ई0एच योजनान्तर्गत अदरख 25 है0, हल्दी 10 है0 तथा मसाला मिर्च 6 है0 क्षेत्र में म"ाला उत्पादक कार्यक्रम चलाकर कृषकों को लाभान्वित किया गया।
- Qy th.kk}kj & एच0एम0एन0ई0एच योजनान्तर्गत आम 6 है0, सेब 3 है0 तथा नीबू प्रजाति 5 है0 कुल 14 है0 क्षेत्र में उद्यानों का जार्णोद्वार कर 14 कृषकों को लाभान्वित किया गया।
- lkyhgkml fuekZ.k %& एच0एम0एन0ई0एच योजनान्तर्गत कुल 4200 वर्ग मी0 क्षेत्र में कुल 30 पालीहाउस का निर्माण कर 30 कृषकों को लाभान्वित किया गया।
- ,UVh gyuV forj.k %& एच0एम0एन0ई0एच योजनान्तर्गत फलों एवं सब्जियों को ओले आदि से बचाने हेतु 5000 वर्ग मी0 अर्थात 25 वर्ग मी0 के कुल 200 एन्टी हेल नैट का वितरण कर कृषकों को लाभान्वित किया गया।
- oehZ dEikLV ;fuV fuekZ.k %& एच0एम0एन0ई0एच योजनान्तर्गत कुल 3 वर्मी कम्पोस्ट यूनिट का निर्माण कर 3 कृषकों को लाभान्वित किया गया।
- izf'k{k.k %& एच0एम0एन0ई0एच योजनान्तर्गत जनपद के 45 कृषकों को राज्य के अन्दर प्र"िाक्षण एवं 23 कृषकों को राज्य के बाहर प्र"िाक्षण देकर लाभान्वित किया गया। उपरोक्त के अतिरिक्त जनपद के एक कृषक को राजसहायता पर ट्रैक्टर, एक कृषक को पावंर ब्रीडर तथा तीन कृषकों को वाटर पम्प उपलब्ध कराकर एच0एम0एन0ई0एच योजनान्तर्गत लाभान्वित किया गया है।
- vkj0d0oh0okbZ0 ;kstuk %& आर0के0वी0वाई0 योजनान्तर्गत कृषकों को कुल 507.93 कु0 आलू बीज 50 प्रति"ात राजसहायता पर कृषकों को उपलब्ध करवाकर लाभान्वित किया गया है।
- uelk ;kstukUrxZr %& नमसा योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों के कृषकों को मटर बीज 300 किग्रा0 मूली लम्बी 75 किग्रा0, धनिया बीज 137 किग्रा0 मेथी बीज 45 किग्रा0, लाही बीज 27 किग्रा0, पालक बीज 150 किग्रा0 आलू बीज 45 कुन्तल, लहसुन बीज 16 कुन्तल, अदरख बीज 60 कुन्तल तथ हल्दी बीज 66 कुन्तल, उपलब्ध कराकर लाभान्वित किया गया है।
- उपरोक्त के अतिरिक्त फल पौध रोपड कार्यक्रम के अन्तर्गत 8.80 है0 क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के 2200 फल पौधों का रोपड करवाकर कृषकों को लाभान्वित किया गया है।
- आत्मा योजनान्तर्गत – जनपद के 9 विकासखण्डों में वर्ष 2016–17 हेतु प्रत्येक विकासखण्ड में एक फार्म स्कूल संचालित करवाकर क्षेत्र के कृषकों को लाभान्वित किया गया।

# v/;k; 7
# ou lEink

वनस्पति, प्राकृतिक वातावरण का प्रमुख, अचल एवं सजीव तत्व है। प्राणि मात्र के लिए प्राणवायु ,जलवायु–विज्ञान के आधारि"ाला निर्माण तथा पर्यावरण सन्तुलन वन सम्पदा द्वारा ही सम्भव है। वन सम्पदा से ही वायु प्रदूषण पर नियन्त्रण,वर्षा की मात्रा का स्थायित्व एवं भूक्षरण पर नियन्त्रण होता है। ईधन,चारा तथा काष्ठ के अतिरिक्त बहुमूल्य जीवन दायिनी वनौषधियॉ वनों से ही प्राप्त होती है। परन्तु वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि,वैज्ञानिक प्रयोगों, वनों में आग लगने की अप्राकृतिक घटनाओं तथा सामाजिक विकास के लिए वनों के कटान होने से पर्यावरण असन्तुलित हो रहा है। जिसमें पर्यावरणीय प्रदूषण में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। जिसमें अस्थमा,पीलिया,निमोनिया,हेपेटाइटिस तथा रक्तचाप आदि रोग आम हो गये है।

पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरण सन्तुलन की महत्ता को देखते हुए राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार प्रदे"ा के सम्पूर्ण क्षेत्रफल के दो तिहाई भाग वनाच्छादित होने चाहिए । इसी परिप्रेक्ष्य में उत्तराखण्ड राज्य हेतु राज्य की वन नीति एवं वृक्षारोपण नीति 2005 लागू की गई। जो न केवल यहॉ के आर्थिक विकास को नये आयाम दे सकें बल्कि दूसरी ओर मृदा व जल संरक्षण की पूर्ति भी कर सकें। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वन विभाग पूर्व से ही प्रयासरत है लेकिन वर्तमान परिवे"ा में वन विभाग के अतिरिक्त अन्य सरकारी, गैरसरकारी एवं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा भी वनावरण बढ़ाने के उददे"य से सरकारी, गैरसरकारी एवं निजी भूमि पर वृक्षारोपण कर योगदान दिया जा रहा है।

वर्ष 2016–17 में वन विभाग द्वारा जनपद में कुल 1875.830 हैक्टेयर क्षेत्रफल में कुल 14502358 वृक्ष वृक्षारोपड़ कार्यक्रम के अन्तर्गत रोपित किये गये। इस पूरे जनपद में वन विभाग के अधीन वन क्षेत्र के अन्तर्गत 783.99 वर्ग किलोमीटर आरक्षित वन, 848.56 वर्ग किमी सिविल एंव सोयम वन, 698.53 वर्ग किमी0 पंचायती वन तथा 29.56 वर्ग किमी निजी/कैन्ट तथा नगरपालिका एवं अन्य क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित है।

यहॉ वन समुद्र तल से 463 मीटर की ऊॅचाई से आरम्भ होकर 2769 मीटर ऊॅचाई के बीच स्थित है। वनों की समुद्र तल से ऊॅचाई में भिन्नता, अभिमुख व ढाल की तीव्रता तथा जलवायु की विषमता के फलस्वरूप यहॉ विभिन्न प्रकार के वन तथा वनस्पति स्वभाभिक रूप से पाया जाती है। रोपण की सफलता को प्रभावित करने वाले कारक स्थान–स्थान पर भिन्न है । इन सारी विविधताओं से भरे रोपण क्षेत्रों में उपयुक्त प्रजातियों के चयन के साथ–साथ उपयुक्त रोपण स्थलों का चयन और भी आव"यक हो जाता है।

जनपद में वन क्षेत्रों से पाये जाने वाले विभिन्न उत्पादों को परिष्कृत एवं निजी प्रयोग हेतु निम्न रूपों में तैयार कर उपभोग किया जा रहा है।

**ckt %&** बांज घास प्रजाति के अन्तर्गत आने वाला एक महत्वपूर्ण वृक्ष है। भूमि तथा जल संरक्षण हेतु बांज को वि"ोष संरक्षण प्रदान करना तथा संवर्धन करके वन निधि में वृद्वि कर व प्राकृतिक जल श्रोतों में सुधार लाया जा सकता है। बांज वृक्ष लगाकर वन क्षेत्रों में प्राकृतिक सहायतित पुनरोत्पादन एंव रोपण द्वारा वन निधि में वृद्वि व सुधार लाकर आद"ार्ा वन बचाओं का प्रयास किया जा सकता है। बांज के वृक्षों के शाखा कतरन नियंत्रित कर स्थानीय प"ाुओं की चारे की समस्या हल की जा सकती है। तथा स्थानीय निवासियों की ईधन, चारा, पानी आदि की समस्या को हल किया जा सकता है। प्रभाग के बांज वनों के प्रबन्धकों के लिए और संवर्धन

कार्यवृत का गठन हुआ जिसमें वि"ोष वन वर्धकीय कार्यो द्वारा प्राकृतिक पुनर्जनन का अभिप्रेरणा संरक्षण तथा परिवर्धन बांज वनों में बांज तथा अन्य चौड़ी पत्तियॉ वाली प्रजातियों का रोपण कर वन निधि में वृद्वि तथा अविवेक पूर्ण शाखावर्तन में परिणित कर स्थानीय प"ुओं के चारे की समस्या को हल करने में योगदान जैसे प्रबन्ध के वि"ोष्ठ उद्दे"य रखें गये वि"ोष का वर्धन कार्य में बांज के कापिस कल्लों का तथा बांज के कम घनत्व वाले क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 20 है0 क्षेत्र में बांज वाटल रोपनिया घैस पहाड़ी पीपल उतीस व रिंगाल रोपित कियें जाते हैं ।

ouk"kf/k% &इस प्रकार वन प्रभाग में अनेकों प्रकार की उपयोगी वनौषधि प्रजातियां पाई जाती है। वनौषधि प्रजातियों का बाहुल्य और अत्यन्त उपयोगी औषधि जड़ी बूटियों का यह प्राकृतिक भण्डार स्थानीय जनता के लिए अनुपूरक आय का भी साधन है। वनों से महत्वपूर्ण औषधियां पादाकों के असतत विदोहन का इतिहास बहुत पुराना रहा है। निरन्तर असतत विदोहन के परिणाम स्वरूप अनेक महत्वपूर्ण औषधियां पादप दुर्लभ संकटग्रस्त तथा विलुप्त के कगार पर पहुंच चुके है। राज्य में किये गये सर्वेक्षण एंव अध्ययन के आधार पर शासन द्वारा कुछ औषधियां पौधों के वनों से विदोहन को पूर्णतया प्रतिबन्धित कर दिया गया है। उत्तराखण्ड के वनों मे संकटग्रस्त पौधों के अलावा कई अन्य औषधियां पादप उपलब्ध है। तथा जिनका संग्रहण सस्टिनेबल आधार पर किया जा सकता है। इन प्रजातियों का वनों से संग्रहण उसी सीमा तक किया जा सकेगा जो जड़ी–बूटी संग्रहण समिति द्वारा निर्धारित होगी। जड़ी–बूटी के संग्रहण का कार्य उत्तराखण्ड वन विकास निगम कुमाऊं, मण्डल विकास लिंगमयां जिला भैषज संघों द्वारा किया जायेगा । वनों से जड़ी–बूटी एकत्रीकरण का कार्य केवल स्थानीय निवासियों से कराया जायेगा। जड़ी–बूटी एकत्रीकरण कार्यों के लिए स्थानीय निवासियों का पंजीकरण वन द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक वन विभाग में प्रभागीय वनाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा वन विभाग के विभिन्न रेंजों के विदोहन कक्षों से उस वर्ष के लिए संग्रहण योग्य जड़ी–बूटी मात्राकृत किया जाएगा। वनों से जड़ी–बूटी का संग्रहण 1 अक्टूबर से 30 अप्रैल तक ही किया जायेगा। स्थानीय निवासियो को अपने निजी उपयोग के लिए जड़ी–बूटी निकालने का अधिकार है। अधिकतर लोग सुविधाजनक क्षेत्रो से जड़ी–बूटी निकालने का प्रयास करते रहते है। इसलिए जड़ी–बूटी का आवर्ती संग्रहण किया जाना उचित होगा। जिससे कुछ समय के लिए वनो को विश्राम मिल सकेगा। जड़ी–बूटी संग्रहण के लिए आरक्षित वनों में पांच वर्ष का आवर्तन चक्र निर्धारित किया गया हैं। जिससे जडी–बूटी के पौधे उगाने हेतु सरकार द्वारा आदे"ा जारी किये गये हैं। जिससे जड़ी–बूटी का अधिक से अधिक रोपण किया जा सके।

ckal %&बांस घास प्रजाति के अन्तर्गत आने वाला एक महत्वपूर्ण पौधा है। भारत वर्ष में बांस की लगभग 125 किस्म की प्रजातियां पायी जाती है। अल्मोड़ा वन प्रभाग के वन क्षेत्रों में सामान्यतया बांस प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। बांस एक बहुउपयोगी प्रजाति का पौध है। यह अत्यन्त तीव्र गति से बढ़ने वाली प्रजाति है व सर्वाधिक बायोमास पैदा करता है इसलिए कार्बन स्थिरीकरण के लिए भी यह एक उत्तम प्रजाति मानी जाती है। इसके विविध उपयोग है। यह चटाई, टोकरी, चारपाई, टैण्ट, पोल एंव हस्तशिल्प आदि घरेलू उद्योगों के लिए कच्चे माल का आधार है। बांस की अनेक प्रजातियां खाने योग्य होती है। उनसे सब्जी व अचार बनाये जाते है। राज्य सरकार द्वारा इसके आर्थिक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए बांस के विकास के लिए प्रसास किये जा रहे है। पर्वतीय क्षेत्र में डैण्ड्रो कैलामस स्ट्रिकटस तथा डैण्ड्रो कैलामस हैमिल्टोनाई का ही रोपण किया जाना उचित माना जाता है।

jki.k fof/k %& बांस रोपण के लिए क्षेत्र का चयन कर पत्थर की घेरबाड़/तारबाड़ करके क्षेत्र को चराई से सुरक्षित कर लिया जाता हैं। मार्च माह से पूर्व क्षेत्र में 5 मी0 अन्तराल पर 45–45 से0मी0 के गड्डे खोदकर मिट्टी को ऋतुरक्षण के लिए बाहर ढेर कर दिया जाता है। ऋतुरक्षण मृदा को गड्डे में भर दिया जाता है । पौध"ााला में उगाई गई डेढ़ वर्ष आयु के पौधों का रोपण इन गड्डों में कर दिया जाता है। पौधों के रख–रखाव एवं उनकी सुरक्षा कम से कम पॉच वर्षो तक की जाती है। हैण्ड्रो कैलामस हैमिल्टोजाई प्रजाति को 50.00 फीट की ऊंचाई तक आसानी से उगाई जा सकती हैं। पर्वतीय क्षेत्रों के लिए हैण्ड्रो कैलामस हैमिल्टोनाई अधिक उपयुक्त प्रजाति है। इन दोनों प्रजातियों की पौध"ााला तकनीक एक समान है।

?kkl %& वर्ष 1991 में कु0 फॉरेस्ट ग्रीवा संज कमेटी की संस्तुति के आधार पर प्रथम श्रेणी वनो में पौधारोपण क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में स्थानीय निवासियों को चारण, घास कटान व शाखा के असीमित अधिकार प्राप्त है। श्रेणी द्वितीय के स्थानीय वनों में स्थानीय निवासियों का पुनरोत्पादन क्षेत्र ईधन, चारा आरक्षित क्षेत्र  रोपण क्षेत्र व देवदार वनों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में चाराई की सुविधा उपलब्ध है। चक्रीय चरण से चरणवार समस्या का आं"िाक निदान सम्भव है। अतः सिविल पंचायती वन तथा आरक्षित वन को सम्मिलित करते हुए ग्रामवासियों की सहमति एवं सहासोग से चक्रीय चाराण हेतु सूक्ष्म योजनाओं का निरूपण एवं कार्यन्वयन किया जाना चाहिए। आबादी के निकट स्थित बांज,फल्यांट, आदि वनों में ग्रामवासियों की सहमति एवं सहयोग से आवर्ती शाखाकतरन हेतु सूक्ष्म योजनाओं का निरूपण एवं कार्यान्वयन किया जाय। ग्रामवासियों को खेतों की मेड़ो पर तथा कृषि अयोग्य बंजर भूमि में क्वैराल, खड़िक, भीमल, दुधीला, फल्यांट,बांज, सागौन, फाइकस प्रजातिया च्यूरा, शहतूत आदि चारा पत्ती वाली प्रजातियां रोपित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ग्राम के निकट की खाली भूमि पर ग्रामवासियों के सहयोग से घास व चारा प्रजातियों का रोपण किया जाय।

tuin vYeksMk esa o`{kkjks.k ds fy, mi;qDr iztkfr;ka %&

- vkfFkZd vk|kfxd iztkfr;k¡%&चीड़ देवदार,अखरोट,सीरस सेमल, बांस, रिंगाल हरड़ बहेड़ा ऑवला, जामुन, काफल, चमखाड़िक, अंगू, तुन बांज, सुरई, तेजपात आदि।
- b/ku iztkfr;k¡%&'ाी"ाम, क्वैराल, तिमला,अके"िाया,बांज,फल्यांट जामुन आदि।
- pkjkxkg fodkl%& सिरस, नीम, क्वैराल, खाडिक, बाकली, तिमला, बांस, भीमल,बांज,फल्याट, "ाहतूत, रोबीनिया आदि।
- l[kk jgs ty Lxzr%& उतीस,बांज,फल्याट रिंगल देवदार, अखरोट, सिरस आदि।
- Qynkj jksi.k%& आम, आंवला, अखरोट, मेहल काफल, अमरूद, नीबू , तिमला, बेहड़ा इमली, शहतूत आदि।
- iFk o`{kkjksi.k %& सुरई सिल्वर ओक, गुलमोहर, पॉपुलर, अके"िाया, पांगर, बोटल ब्रु"ा सिरस, आम, बांस आदि।

पर्वतीय क्षेत्रों में वनों के प्रबन्ध का उद्दे"य पारिस्थितिकीय सुरक्षा करना होना चाहिए, क्योकि इस क्षेत्र में व्यावसायिक वानिकी नही की जा सकती है। भूमि आवरण पर्याप्त मात्रा में बना रहना चाहिए। कि वन क्षेत्रों के प्राकृतिक जल श्रोतों का संरक्षण एवं संवर्धन हेतु समुचित प्रबन्ध आव"यक है। जिसके लिए जनता के माध्यम से जागरूकता लानी होगी। प्रत्येक व्यक्ति हरियाली एवं विकास उद्धरण को चरितार्थ करें। तथा वृक्षरोपण कर स्वयं एवं आने वाले भविष्य हेतु स्वच्छ वातावरण का निर्माण कर सकें।

1&gekjk isM+] gekjk /ku ;kstuk& शासनदे”ा संख्या 2242/2–2014–12(30),2014 दिनांक 8–9–2014 के अनुसार उत्तराखण्ड में वनों पर निर्भरता कम करने ग्रामीणों की प्रकाष्ठ ईधन व चारा की मांग की पूर्ति हेतु निजी भूमि पर ईधन चारापत्ती फलदार व प्रकाष्ठ प्रजातियों के रोपण को प्रोत्साहन देने हेतु मुख्यमंत्री जी ने **gekjk isM+] gekjk /ku ;kstuk** प्रारम्भ की गयी है। योजना का विवरण निम्न प्रकार है :–

mn~ns';%& वनों पर निर्भरता कम करने, ग्रामीणों की प्रकाष्ठ ईधन व चारा की मांग की पूर्ति तथा ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया किया जाना है।

ik=rk%& वें अभ्यर्थी जिनके पास पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों में अपनी निजी नाप भूमि/संजायत भूमि उपलब्ध हो, जिस पर प्रति वर्ष अधिकतम 100 पेड़ रोपित किये जा सकें।

lqj{kk dk nkf;Ro%& पौधों की सुरक्षा व संरक्षण उत्तरदायित्व पूर्णतया आवेदक का रहेगा।

jkfir iztkfr;k%&इस योजना के अन्तर्गत स्थानीय प्रकाष्ठ, ईधन, चारापत्ती व फलदार प्रजातियॅा का रोपण किया जायेगा।

ifrcfU/kr iztkfr;k%& चीड़, सुरई, युकेलिप्टस, पोपलुर विदे”ाी चीड़ मोरपंखी, पोलोनिया, वैटल तथा अन्य परस्थानीय प्रजातियॅा का रोपण इस योजना के अन्तर्गत अनुमन्य नही होगा।

;kstuk ds ykHk%& इस योजना के निम्नलिखित लाभ है।

- वनों पर निर्भरता कम होना, ग्रामीणों की प्रकाष्ठ ईधन व चारा की मांग की पूति, फलदार/चारापत्ती एवं बहुउद्दे”यी पौध व प्रकाष्ठ प्रजातियॅा का रोपण, आवेदक को प्रति पौध रू0 300.00 के हिसाब से एवं अखरोट, महुवा, च्यूरा प्रजाति पर प्रति पौध रू0 400.00 के अनुसार पंचवर्षीय एफ0डी0आर0 का आर्थिक लाभ आदि।

  यह योजना माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वपूर्ण व शीर्ष प्राथमिकता की योजना, जिस कारण इसके कियान्वयन हेतु युद्ध स्तर पर कार्यवाही की गयी। वर्तमान तक जनपद अल्मोड़ा में वन विभाग द्वारा 4777 पौधों का रोपण 68 लाभर्थियों (वित्तीय वर्ष 2016–17) द्वारा किया गया है।

2- ou {ks= rFkk mlds vkl&ikl ds {ks= esa oU; thoksa }kjk tku&eky dh {kfr dh n'kk esa eqvkotk :i esa ns; vuqxzg /kujkf'k ¼ vkfFkZd lgk;rk½

1. बाघ तेंदुआ हिम तेदुआ, जंगली हाथी, भालू, लकड़बग्घा, जंगली सुअर, मगरमच्छ, घड़ियाल, सॉप के आक्रमण में मृत्यु, घायल या विकलांग होने पर।

| {kfr dk izdkj | vuqxzg jkf'k gsrq njsa |
|---|---|
| ➢ साधारण रूप से घायल | रू0 15000.00 |
| ➢ गम्भीर रूप से घायल | रू0 50000.00 |
| ➢ आं”ाक रूप से अपंग | रू0 100000.00 |
| ➢ पूर्ण रूप से अपंग | रू0 200000.00 |
| ➢ व्यस्क व अवयस्क की मृत्यु पर | रू0 300000.00 |

2. बाघ तेंदुआ हिम तेदुआ, जंगली हाथी, भालू, लकडबग्घा, जंगली सुअर, मगरमच्छ, घड़ियाल, सॉप द्वारा प”ाुओं को मारे जाने की क्षतिः–

| i'kq dk izdkj | vuqxzg jkf'k gsrq njsa |
|---|---|

- गाय(3 वर्ष से अधिक आयु) — रू0 15000.00
- घोड़/खच्चर — रू0 40000.00
- बैल(3 वर्ष से अधिक आयु) — रू0 15000.00
- भैस(3 वर्ष से अधिक आयु) — रू0 15000.00
- गाय का बछड़/बछिया तथा भैस का पडुवा/पड़िया

| | |
|---|---|
| (क) 2–3 वर्ष तक | रू0 2000.00 |
| (ख) 1–2 वर्ष तक | रू0 1000.00 |
| (ग) 1 वर्ष से कम आयु | रू0 500.00 |

- बकरी/भेड़ — रू0 3000.00

3. जंगली हाथी, जंगली सुअर नील गाय, काकड़ साम्भर, चीतल तथा बन्दरों द्वारा फसल की क्षतिः–

| **कृशि का प्रकार** | {kfr dh ek=k | vuqxg jkf'k gsrq nj |
|---|---|---|
| गन्ना | सम्पूर्ण फसल | रू0 25000.00 |
| धान, गेहूँ, तिलहन | सम्पूर्ण फसल | रू0 15000.00 |
| अन्य कृषि उपज/फसल | | रू0 5000.00 |

4. जंगली हाथी द्वारा मकान की क्षतिः–

| **कृशि का प्रकार** | {kfr dh ek=k | vuqxg jkf'k gsrq nj |
|---|---|---|
| कच्चा मकान | पूर्ण रूप से | रू0 25000.00 |
| कच्चा मकान | आंिशक रूप से | रू0 20000.00 |
| झोपड़ी, ट्टर | क्षतिग्रस्त होने पर | रू0 5000.00 |
| पक्के मकान की क्षति/ आंिशक | चहारदीवारी | रू0 15000.00 |
| पक्का मकान | पूर्ण क्षति | रू0 50000.00 |

izfdz;k¼**Procedure**½

- ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित वन रक्षक द्वारा सूचना मिलने पर डी0एफ0ओ0 द्वारा मानव क्षति पर 30 प्रति”ात, प”ु क्षति पर 20 प्रति”ात अग्रिम धनरािश संयुक्त रूप से पुष्टि होने पर दी जायेगी। तथा अव”ोष भुगतान अन्तिम जॉच के उपरान्त।
- मानव क्षति की सूचना अधिनियम 48 घण्टे के अन्दर,, मवे”ाी के सम्बन्ध में वन क्षेत्रधिकारी को 2 दिन के अन्दर।
- अन्तिम रिपोर्ट सहायक वन संरक्षक द्वारा मानव क्षति में 15 दिन के अन्दर, मवे”ाी के सम्बन्ध में 1 माह अन्दर, फसल क्षति के सम्बन्ध में 2 माह के अन्दर तथा मकान क्षति की 1 माह के अन्दर डी0एफ0ओं0 को प्रदान की जायेगी।
- मानव क्षति में राज्य की चिकित्सा प्रमाण पत्र तथा मृतक आश्रित के सम्बन्ध में राजस्व विभाग का प्रमाण पत्र

# v/;k;&8
# i'kikyu

पशुपालन इतिहास में सर्वाधिक प्राचीन व्यवसाय है। पहाड़ी क्षेत्रों में तो वर्तमान समय में भी यह व्यवसाय कृषि के बाद दूसरा मुख्य व्यवसाय है। यहॉ लगभग हर घर में गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते आदि पालतू जानवरो को देखा जा सकता है। जनपद में पशु चिकित्सा, पशुधन विकास हेतु अनेक कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है, जो कि निम्नवत है–

1 i'k fpfdRlk lsok ,oa LokLF;%&जनपद में वर्ष 2016–2017 में 37 पशु चिकित्सालय, एक संचल पशु चिकित्सालय, 100 पशुसेवा केन्द्र, 69 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र/उपकेन्द्र, एवं 3 भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्र स्थापित है। जिनके माध्यम से वर्ष में 370133 प"ाुओं को चिकित्सा एवं 171017 पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाव हेतु टीके लगाये गये।

2 i'k/ku fodkl ,oa uLy lq/kkj %&जनपद में वर्ष 2016–2017 में 100 पशु सेवा केन्द्रों तथा 69 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों/उपकेन्द्रों के माध्यम से पशु प्रजनन की सुविधा उपलब्ध कराई गयी वर्ष में 13507 गायों/भैसों को प्रजनन सुविधा दी गयी तथा 16138 निकृष्ट सांडों का बधियाकरण किया गया।

3 dDdV fodkl%&जनपद में 1000 कुक्कुट पक्षियों की क्षमता वाला एक राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, हवालबाग में कार्यरत हैं। तथा जनपद में 4 विकास खण्डों में संघन कुक्कुट विकास परियोजना चलाई जा रही है। कुक्कुट प्रक्षेत्र हवालबाग से इस वर्ष 2016–17 में 170965 कायलर प्रजाति के कुक्कुट चूजों का वितरण किया गया तथा विभिन्न योजनाओं के अर्न्तगत कुल 199030 कुक्कुट चूजों का वितरण किया गया।

4 HkM fodkl %&जनपद अल्मोडा में 3 भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्र पूर्व से ही कार्यरत है, जिनके माध्यम से स्थानीय भेड़ो में नस्ल सुधार एवं चिकित्सा/टीकाकरण की सुविधा प्रदान की जाती है। भेड़ एवं भेड़ पालकों का बीमा न्यूनतम प्रीमियम पर किया जा रहा है।

5 i'k/kku chek & जनपद में राष्ट्रीय प"ाुधन मि"ान के अन्तर्गत प"ाुओं की प"ाुधन बीमा योजना प्रारम्भ की गई हैं इस योजना के अन्तर्गत प"ाु का बीमा रिसायती दरों पर करने से प"ाुओं की दुर्घटना, मृत्यु एवम् अप्रत्या"ित हानि होने पर प"ाुपालक को नुकसान की क्षति–पूर्ति हो सकेगी। इस योजना में प"ाुपालक की अधिकतम बडे प"ाु गाय, भैस, खच्चर,बैल या छोटे भेड/बकरी का बीमा 5.04 प्रति"ात और सेवा कर पर किया जायेगा। वर्ष 2016–17 में 1654 प"ाुओं का बीमा किया गया।

6 pkjk fodkl dk;ZØe%&जनपद में एक चारा अनुसंधान प्रक्षेत्र भैंसवाड़ा में कार्यरत हैं। प्रक्षेत्रों पर विभिन्न बहुवर्षीय उन्नतशील चारा घासों जैसे दोलनी, गुच्छी, ब्रोम, राई घासों के बीज/रूट स्टाक के साथ ही नैपियर घास के रूट स्टाक का उत्पादन किया जाता है। वर्ष में प्रक्षेत्र पर 7.45 कुन्तल चारा बीज उत्पादन, 209.85 कु0 हरा चारा, 29.5 कु0 सूखा चारा उत्पादन एवं जड़–क्लोन्स/रूट स्टाक रूम द्वारा वितरण/विक्रय विभिन्न राजकीय विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से किया गया।

जनपद में 8 उप चारा बैकों क्रमशः सोमेश्वर, बाड़ेछीना, धौलादेवी, लमगडा, ताड़ीखेत तथा तुराचौरा तथा बसोट के माध्यम से पशुपालकों को चारा फीड ब्लाक का भी वितरण किया जाता है।

## v/;k;&9
## lgdkfjrk

जनपद में 80 प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियॉ कार्यरत है। तथा एक जिला सहकारी बैंक, जिसकी 20 शाखाएं है तथा 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक निबन्धित है। जिसका कार्यक्षेत्र जनपद के बाहर भी है। जिला सहकारी बैंक के माध्यम से सहकारी समितियों के सदस्यों को अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण शासन द्वारा संचालित योजनाओं के अनुरूप उपलब्ध कराया जा रहा है।

foRrh; o"k 2016&17 dh fLFkfr fuEuor gS %&

1&vYidkyhu _.k forj.k %&सहकारी समितियों के माध्यम से वर्ष के दौरान 3530.00 लाख रू0 लक्ष्य के सापेक्ष कुल 2674.38 लाख रू0 का अल्पकालीन ऋण वितरित किया गया।

2&e/;dkyhu _.k forj.k %&सहकारी समितियों के माध्यम से वर्ष के दौरान 600.00 लाख रू0 के लक्ष्य के सापेक्ष 212.31 लाख रू0 का मध्यकालीन ऋण वितरित हुआ।

3&lnL;rk of) %&सहकारी समितियों के माध्यम से वर्ष के दौरान 2200 लक्ष्य के सापेक्ष 1040 नये कृषकों को जनपद में कार्यरत सहकारी समितियों का सदस्य बनाया गया है।

4&v'k/ku of) %&सहकारी समितियों के माध्यम से वर्ष के दौरान 35.00 लाख रू0 लक्ष्य के सापेक्ष 17.58 लाख रू0 का अं"ाधन की वृद्धि की गयी।

5&fuf"d; lnL;ksa dk lfd; djuk :– सहकारी समितियों के जो सदस्य समिति के माध्यम से लेन देन नहीं कर पा रहे थे। उन्हे सक्रिय करने के प्रयास के फलस्वरूप वर्ष के दौरान 2400 के लक्ष्य सापेक्ष 791 समिति के सदस्यों को सक्रिय किया गया।

6&moZjd 0;olk; %&वर्ष के दौरान जनपद में कार्यरत समितियों के माध्यम से 560.00 मी0टन लक्ष्य के सापेक्ष 381.334 मी0 टन यूरिया, 450.00 मी0 टन लक्ष्य के सापेक्ष 90.274 मी0टन एन0पी0के0, 300 मी0टन लक्ष्य के सापेक्ष 48.372 मी0 टन डी0ए0पी0 उर्वरकों का वितरण किया गया।

7&miHkksDrk 0;oLkk; %&ग्रामीण उपभोक्ता व्यवसाय के अन्तर्गत समितियों के माध्यम से कुल 38.30 लाख रू0 तथा शहरी उपभोक्ता व्यवसाय के अन्तर्गत 40.97 लाख रू0 का उपभोक्ता व्यवसाय किया गया।

8&lgdkjh nk;ksa dh olwyh %&सहकारी देयों की वसूली समिति एवं सदस्यों के मध्य 5181.08 लाख रू0 लक्ष्य के सापेक्ष वसूली 3029.68 लाख रू0 की वसूली की गई।

# v/;k;&10
# flpkbZ

जनपद अल्मोड़ा के अन्र्तगत राजकीय सिंचाई के तीन खण्ड क्रम”ाः सिंचाई खण्ड, लघु डाल खण्ड अल्मोड़ा एवं सिंचाई निर्माण रानीखेत कार्यरत है। इन खण्डों द्वारा राजकीय सिंचाई के अन्र्तगत निर्मित नहरों/पम्प योजनाओं का अनुरक्षण, नई योजनाओं का निर्माण कार्य, बाढ़ कार्यो का रख–रखाव सर्वेक्षण एवं निर्माण आदि का कार्य सम्पादित किया जाता है।

मानसून की अनिश्चितता व पहाड़ी क्षेत्रों की दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यहॉ सिंचाई की स्थिति संतोषजनक नहीं है। सिंचाई विभाग द्वारा कृषको को भरपूर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहे है जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैं :–

- **jktdh; flpkbZ&** वर्तमान मे जनपद में कुल 213 नहरें एवं 59 पम्प योजनायें निर्मित है। जिनकी कुल लम्बाई 634.031 किमी0 तथा सी0सी0ए0 7008.60 हैक्टेयर है।

- **dUnz iksf"kr ;kstuk ¼lh0,l0,l0vkj0½&** इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में रू0 191.00 लाख की धनरा”ाि ”ाासन से अवमुक्त हुई। जिसके सापेक्ष ”ात्–प्रति”ात धनरा”ाि व्यय कर बाढ सुरक्षा के कार्य कराये गये।

- **,l0ih0,0 en&** एस0पी0ए0 मद में अल्मोडा नगर की पेयजल समस्या के निदान हेतु वर्तमान में इस विभाग के अन्तर्गत कोसी बैराज का निर्माण कराया जा रहा है। इस बैराज के लिये वर्ष 2016–17 में रू0 333.33 लाख ”ाासन से अवमुक्त हुआ। जिसके सापेक्ष रू0 126.60 लाख व्यय कर बैराज का सिविल कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है तथा झील में जल भराव भी हो चुका है।

- **jkT; lsDVj &** इस मद के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में रू0 408.51 लाख व्यय कर 2. 95 किमी0 नहर जीर्णोद्वार कर 104 है0 सिंचन क्षमता को पुर्नजीवित किया गया तथा 2 संख्या लिफट सिंचाई योजनाओं का विस्तार, 1 संख्या बाढ सुरक्षा कार्य, जल सवंर्धन एवं जल संरक्षण कार्य के अन्तर्गत 2 संख्या वीयर निमार्ण की योजना बैराज निर्माण हेतु अनुसाधन एवं सर्वेक्षण की डी0पी0आर0 योजना तैयार किया जाना तथा कोसी नदी के वृहत स्त्रोत कार्य के अन्तर्गत झील निर्माण हेतु कौसानी से सुयाल पुल तक 6 स्थानों पर सर्वेक्षण एवं अनुसाधन एवं डी0पी0आर0 तैयार करने की योजना पर कार्य किया गया। इनके अतिरिक्त इस मद में वि”ोष रूप से नेपालकोट डेम/लिफट सिचांई योजना का निर्माण कर 70 है0 सिचन क्षमता का सृजन किया गया।

- **ftyk lsDVj&** जिला योजना वर्ष 2016–17 में जिला अनुश्रवण समिति द्वारा 454.60 लाख रूपये की धनरा”ाि अनुमोदित थी जिसके सापेक्ष 254.81 लाख रूपये की धनरा”ाि अवमुक्त हुई, जिसके अर्न्तगत नहरों/लिफ्ट योजनाओं का निर्माण एवं नहरों के जीर्णोद्धार से 26 हैक्टेयर सिंचन क्षमता सृजन एवं 351 हैक्टेयर सिंचन क्षमता पुनः जीवित की गई। इसके अतिरिक्त 29 संख्या छोटी–छोटी बाढ़ सुरक्षा योजनाओं को भी पूर्ण किया गया।

➢ **राश्ट्रीय माध्यमिक** f'k{kk vfHk;ku%& राष्ट्रीय माध्यमिक ि"ाक्षा अभियान के अन्तर्गत विकास खण्ड हवालबाग, भैसियाछाना चौखुटिया, में क्रम"ाः एक–एक व विकासखण्ड द्वारहाट में दो विद्वालय भवनों पर निर्माण कार्य कराया गया।

## v/;k;&11
## nqX/k fodkl

अल्मोडा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 अल्मोड़ा ने सर्वप्रथम अपना व्यवसाय शिखर होटल के पास एक किराये के भवन से प्रारम्भ किया था। जिसमें 1954 से 1976 तक दुग्ध एकत्रीकरण तथा विक्रय किया जाता था। प्रारम्भ में संस्था के पास अपने कोई संयत्र न होने के कारण दूध को कढ़ाई मे गरम करके दूध की केनों को ठन्डे पानी में रख कर दूध विक्रय किया जाता था। वही सरप्लस दूध की क्रीम निकाल कर दूध गरीबों को निःशुल्क वितरित किया जाता था। वर्ष 1965–66 में शासन द्वारा दुग्धशाला की स्थापना हेतु 70 नाली भूमि पाताल देवी में उपलब्ध कराई गई, तथा पाश्चुराईज्ड प्लान्ट हेतु 1.30 लाख की धनरा"ि संयत्र के लिए उपलब्ध कराये गये थे। वर्ष 1974 में राज्य सरकार द्वारा दुग्धशाला की स्थापना हेतु धनराशि उपलब्ध करायी, जिसका शिलान्यास तत्कालीन मा0 वित्त मंत्री भारत सरकार श्री नारायण दत्त तिवारी जी द्वारा किया गया। वर्ष 1976 में मु0 3.04 लाख की लागत से दुग्धशाला भवन बन कर तैयार हुआ तथा इसमें 05 हजार ली0 क्षमता के संयत्र स्थापित हुए। अल्मोड़ा दुग्ध संघ में वर्तमान हैडलिंग क्षमता निरंतर प्रगति पर है। संघ के पास मुख्य दुग्ध"ाला जिसकी क्षमता अब 20 हजार लीटर प्रतिदिन है, के अतिरिक्त ताड़ीखेत, चौखुटिया, जैती, बागे"वर में क्रम"ाः 10,000 ली0, 2,000 ली0, 1,000 ली0, 2,000 ली0 के अव"ीतन केन्द्र है। जनपद अल्मोड़ा में वर्ष 2016–17 में 240 कार्यरत समितियों से 15832 दुग्ध उत्पादक सदस्य जुड़े हैं। वर्ष 2016–17 में औसतन 10497 लीटर प्रतिदिन दुग्ध उपार्जन कर वर्ष के दौरान लगभग 30.52 लाख लीटर से अधिक दुग्ध संग्रहित कर लगभग मु0 9.60 करोड़ से अधिक का दुग्ध समितियों को वर्ष के दौरान भुगतान किया गया है।

M;jh fodkl foHkkx d lg;kx l nqX/k l?k }kjk pyk;h tk jgh fofHkUUk ;kstukvksa dk fooj.k fuEu idkj g%&

➢ **ftyk ;kstuk%&** वर्ष 2016–17 में आपात कालीन प"ाु चिकित्सा, गॉव स्तर से रोड हैड तक दूध पहुॅचाने हेतु हैड लोड अनुदान,, प"ाु आहार अनुदान, दूध की गुणवत्ता जॉच हेतु उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम, प्रसार कार्यक्रम, कृमिना"ाक दवाईयों तथा प्राथमिक प"ाु चिकित्सा की दवाईयों दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध समिति के माध्यम से दुग्ध उपलब्ध कराने हेतु अल्मोड़ा जनपद को रू0 67.25 लाख अवमुक्त हुआ था, जिसको निर्धारित मदों में व्यय किया जा चुका है।

➢ **jkT; ;kstuk%** –वर्ष 2016–17 में मु. 26.82 लाख रू0 राज्य योजना के डेरी विकास योजना तहत अनुदान में प्राप्त हुआ था जिसका व्यय किया जा चुका है।

➢ **efgyk M;jh ifj;kstuk%&** उत्तराखण्ड में दुग्ध उर्पाजन का कार्य परम्परागत रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के उद्देष्य से जनपद में महिला दुग्ध समितियों के गठन का कार्य एवं दुग्ध उपार्जन कार्य सफलता पूर्वक किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इस परियोजना में प"ाु पोषण, डिवर्मिंग, स्वयं सहायता समूह, जागरूकता कार्यक्रम, सहकारी ि"ाक्षा एवं प्रषिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाते है। वर्ष तक 61 दुग्ध समितियों का गठन कर जिनसे प्रतिमाह औसतन 896 ली0 दूग्ध उपार्जन किया गया।

➢ **pkjk ulZjh dh LFkkiuk%&** यूएलडीबी के सहयोग से अल्मोड़ा में पूर्व में स्थापित 3 वन पंचायतों (डोल पोखरा, गुना, डालाकोट) में चारा नर्सरियों विकसित की जा चुकी है। जिससे दुग्ध समितियों के इच्छुक सदस्यों को चारा बीज/पौधे उपलब्ध कराये जा रहे है।

## v/;k;&12
## eRL; fodkl

जनपद में मत्स्य पालन स्वरोजगार का स"ाक्त साधन है। वर्तमान में ऊॅचाई वाले क्षेत्रों में ठंडे पानी की मत्स्य प्रजातियॉ कामन मिरर, सिल्वर एवं ग्रास कार्प पाली जा रही है। जनपद में उपलब्ध प्रमुख जल संसाधन के अर्न्तगत कोसी , रामगंगा, विनोद ,गगास ,सुयाल, एवं सरयू प्रमुख नदियॉ है। जनपद में प्राकृतिक झीलों एवं तालाबों का पूर्ण आभाव है। मत्स्य पालन हेतु शुद्व जल की अनुपलब्धता दूर करने हेतु शासन द्वारा कच्चे तालाब निर्माण हेतु बैंक ऋण एवं अनुदान जनपद में ग्रामीण स्तर पर भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

➢ **tyk'k; fodkl ;kstuk ¼ftyk ;kstukUrxZr½&** इस योजना के अन्तर्गत जनपद की प्राकृतिक जलरा"ायों में मत्स्य धन की प्रचुर संतृप्ता बनाये रखने हेतु मत्स्य बीज का संचय किया जाता है तथा उक्त में सतत मत्स्य उपलब्धता बनाये रखने एवं क्रूर (जल रा"ायों में ब्लीचिंग आदि विष व डायनामाइट का प्रयोग) तथा अवैधानिक मत्स्य आखेट रोकने के लिए व्यापक जन जाग्रति प्रचार – प्रसार आदि कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2016–17 में, अनुमोदित परिव्यय 1-65 yk[k कि सापेक्ष 1-37 yk[k धनरा"ा अवमुक्त हुई जिसके अन्तर्गत कोसी बैराज में 2-15 yk[k के सापेक्ष 2-03 yk[k eRL; cht संचित किया गया। मात्यिस्यकी संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु जनचेतना बढाने हेतु पॉच गोष्ठियों का आयोजन किया गया।

➢ **vuqlwfpr tkfr mi ;kstuk ¼jkT; lsDVj½–** यह योजना मात्र अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए है। इसके अन्तर्गत निम्न कार्यक्रम/योजनाएं चलायी जाती है–

d- rkykc fuekZ.k & इसके अन्तर्गत मत्स्य पालन तालाब निर्माण हेतु 100 oxZ eh0 x 1-50 eh0 गहरा तालाब निर्माण एवं प्रथम निवे"ा हेतु :0 60]000@ ऋण व्यवस्था के अन्तर्गत, 70 izfr'kr ¼:0 42]000@½ तक अनुदान देय है। इस योजना में भी एक लाभार्थी को ऐसी तीन यूनिट तक का लाभ दिया जा सकता है तथा ऋण न लेने की द"ाा में, यदि लाभार्थी तालाब निर्माण कर लेता है, तो उसे निर्माण कार्योपरान्त अनुदान देय है। वर्ष 2016–17 में उक्त योजनान्तर्गत 19 व्यक्तियों का लाभान्वित किया गया है। उपरोक्त योजना में अवमुक्त हुई धनरा"ा 7-980 yk[k का पूर्ण व्यय कर लिया गया है।

[k- izf'k{k.k& इसके अन्तर्गत लाभार्थी को 10 fnolh; मत्स्य पालन प्र"ाक्षण दिया जाता है। जिसमें प्रतिदिन :0 150@ मानदेय दिया जाता है। योजना में अवमुक्त धनरा"ा 0-27 yk[k का पूर्ण व्यय कर लिया गया है।

x- **गोश्ठी**– के अन्तर्गत दो गोष्ठियों हेतु आवंटित धनरा"ा 0-20 yk[k का व्यय किया जा चुका है।

➢ **vkn'kZ eRL; rkykc fuekZ.k ;kstuk ¼jkT; lsDVj½&** इस योजना के अन्तर्गत मत्स्य पालन हेतु 200 वर्ग मी0 x 1.50 मी0 गहरा आद"र्ा मत्स्य तालाब निर्माण के लिए निर्माण एवं प्रथम निवे"ा हेतु रू0 3000000/ (रू0 तीन लाख मात्र) ऋण व्यवस्था अथवा स्ववित्त पोषण पर, 50 प्रति"ात रू0 1,50,000/(रू0 एक लाख पचास हजार मात्र) तक अनुदान देय है। एक लाभार्थी को ऐसी दो यूनिट तक का लाभ दिया जा सकता है। इस योजना में कोई वर्ग बन्धन नहीं है। योजना में अवमुक्त धनरा"ा 1.50 लाख का पूर्ण व्यय कर लिया गया है।

➢ iorh; rkykc fuekZ.k ;kstuk ¼jkT; lsDVj½& इस योजना के अन्तर्गत कम/सीमित स्थान पर मत्स्य पालन हेतु 50 oxZ eh0 x 1-50 eh0 xgjk rkykc fuekZ.k एवं प्रथम निवे"ा के लिए :0 50]000@ ऋण व्यवस्था अथवा स्ववित्त पोषण पर, सभी वर्गों हेतु 50 izfr'kr ¼:0 25]000@½ तक अनुदान देय है। एक लाभार्थी को ऐसी दो यूनिट तक का लाभ दिया जा सकता है। योजना में अवमुक्त धनरा"ा 3-00 yk[k का पूर्ण व्यय कर लिया गया है।

izf'k{k.k& इसके अन्तर्गत लाभार्थी को 05 fnolh; मत्स्य पालन प्र"िक्षण दिया जाता है। जिसमें प्रतिदिन :0 150@ मानदेय दिया जाता है। योजना में अवमुक्त धनरा"ा 0-075 yk[k का पूर्ण व्यय कर लिया गया है।

**गोश्ठी**– के अन्तर्गत दो गोष्ठियों हेतु आवंटित धनरा"ा 0.20 लाख का व्यय किया जा चुका है। सूची संलग्न है।

उक्त योजनाओं के अतिरिक्त वर्ष 2016–17 से विभाग द्वारा निम्न अन्य योजनायें भी संचालित हैं–

➢ uhy dkafr lefUor fodkl ,oa ekfR;dh izcU/ku ¼vLlh izfr'kr dUnk **पोशित)**–इस योजनान्तर्गत 100 वर्ग मी0 x 1.50 मी0 गहरे तालाब निर्माण हेतु एक लाख की परियोजना लागत पर अस्सी प्रति"ात केन्द्रॉ"ा (रू0–80,000/) एवं दस प्रति"ात राज्यॉ"ा (रू0–10,000/) कुल 0.90 लाख का अनुदान देय है। इस योजनान्तर्गत एक लाभार्थी को ऐसी चार यूनिट तक का लाभ दिया जा सकता है। योजना अन्तर्गत अवमुक्त धनरा"ा 6.30 लाख का पूर्ण व्यय कर लिया गया है।

उपरोक्त सभी योजनाओं का लाभ प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर देय है एवं उक्त सभी योजनाओं में तालाब निर्माण हेतु चयनित लाभार्थी के पास स्वंय की भूमि तथा उक्त भूमि तक जल सं"ाधन (गूल आदि) स्वंय के साधनों से होना आव"यक है।

➢ jkT; ekfR;dh buiqV ;kstuk&

d- eRL; vkgkj forj.k&इस योजनान्र्तगत एक वर्ष से पुराने मत्स्य पालकों को पचास प्रति"ात अनुदान पर मत्स्य आहार वितरित किया जाता है तथा शेष 50 प्रति"ात धनरा"ा कृषकों से प्राप्त की जाती है। वर्ष 2016–17 में आवंटित लक्ष्य 18 कु0 के सापेक्ष आवंटित धनरा"ा 0. 315 लाख, का व्यय प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर किया जा चुका है।

[k- Mªx uSV&इस योजनान्र्तगत मत्स्य पालकों को पचास प्रति"ात अनुदान पर नैट उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष 2016–17 में आवंटित लक्ष्य 06 ड्रैगनैट की डिमान्ड मत्स्य पालकों से प्राप्त कर निदे"ाालय को प्रेषित की जा चुकी है।

x- gS.M uSV& इस योजनान्र्तगत मत्स्य पालकों को पचास प्रति"ात अनुदान पर हैण्ड नैट उपलब्ध कराये जाते है। वर्ष 2016–17 में आवंटित लक्ष्य 07 हैण्ड नैट की डिमान्ड मत्स्य पालकों से प्राप्त कर निदे"ाालय को प्रेषित की जा चुकी है।

?k- gkik& इस योजनान्र्तगत मत्स्य पालकों को पचास प्रति"ात अनुदान पर हापा उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष 2016–17 में आवंटित लक्ष्य 07 हैण्ड नैट की डिमान्ड मत्स्य पालकों से प्राप्त कर निदे"ाालय को प्रेषित की जा चुकी है।

# v/;k;&13
# fo|qr

जनपद अल्मोड़ा में उत्तराखण्ड पावर कारपोरे"ान का मण्डल स्तरीय कार्यालय रानीखेत में स्थित है। जिसके अन्तर्गत 3 नग विद्युत वितरण खण्ड कम"ाः रानीखेत, अल्मोड़ा, तथा भिकियासैण 1 नग विद्युत परीक्षण खण्ड, तथा 1 नग विद्युत खण्ड, रानीखेत कार्यरत में कार्यरत है।

जनपद के अन्तर्गत रानीखेत में स्थित विद्युत परियोजना खण्ड द्वारा आर0ए0पी0डी0आर0 योजनान्तर्गत अल्मोड़ा एवं रानीखेत "ाहर में 3150 नग खराब विद्युत मापकों को बदलने, 69.289 किमी0 एल0टी0 लाईनों को एरियर बंच केबिल से बदलने 1.355 किमी0 पुरानी एच0टी लाईनों का चालक (डॉक/रेबिट) द्वारा बदलने एवं 10.805 किमी0 नई एच0टी0 नई एच0टी0 लाईन ( एरियर बंच केबिल) बनाने 65 नग नये परिवर्तकों की स्थापना एवं 2 नग पावर परिवर्तकों की क्षमता 3 एम0वी0ए0 से 5 एम0वी0ए0 करने का किया जा चुका है।

जनपद की विद्युत आपूर्ति 132/33 के0वी0 के स्यालीधार अल्मोड़ा, क्षमता 60 एमवीए एवं नैनी रानीखेत, क्षमता 50 एमवीए उप संस्थनों से की जाती है।

जनपद के अन्तर्गत 33/11 के0वी0 के लक्ष्मे"वर, खत्याड़ी, बख, लमगड़ा, पनुवानौला(तोली), सोमे"वर, कोसी, कनारीछीना, दन्या, जैंती, भिकियासैण, सल्ट, स्याल्दे, मासी, द्वाराहाट, चौखुटिया, ताड़ीखेत, रानीखेत, बगवालीपोखर, घिघारीखाल, बजोल, मानिला, जालली, मछोड़, मोहनरी कुल 25 उप संस्थान कार्यरत है जिनकी क्षमता 135 एमवीए है।

जनपद के विभिन्न क्षमताओं के 11/4 के0वी0 वितरण उप संस्थान 4104 नग कार्यरत है। जनपद में 33 केवी लाईन लगभग 432 किमी0, 11 केवी लाईन लगभग 3799.87 किमी0 एवं एल0टी0 लाईन लगभग 5596.014 किमी0 है। जनपद में कुल विभिन्न श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 115500 है। जिसमें 90 प्रति"ात उपभोक्ता घेरलू श्रेणी के है। मात्र 10 प्रति"ात उपभोक्ता अन्य श्रेणियों के अन्तर्गत आते है, जिसके कारण जनपद का विद्युत राजस्व वसूली मैदानी क्षेत्रों से तुलनात्मक कम रहता है। 33/11 केवी उपसंस्थान देघाट का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

अल्मोड़ा जिले के अन्तर्गत लगभग 800 लकड़ी/क्षतिग्रस्त पोल स्थित है जिन्हे बजट की उपलब्धता को देखते हुए बदलने की कार्यवाही की जा रही है।

वर्ष 2016–17 में जनपद में विद्युत उपभोग (कि0वाट0घ0) के ऑकडे निम्न तालिका द्वारा प्रदर्शित किये जा रहे हैः–

| क्र0सं0 | मद | 2016–17 |
|---|---|---|
| 1 | घरेलू प्रका"ा एवं लघु विद्युत शक्ति | 67502 |
| 2 | वाणिज्य प्रका"ा एवं लघु विद्युत शक्ति | 27583 |
| 3 | औद्योगिक विद्युत शक्ति | 3010 |
| 4 | सार्वजनिक प्रका"ा व्यवस्था | 1429 |
| 5 | रेल/टैक"ान | 0 |
| 6 | कृषि विद्युत शक्ति | 5119 |
| 7 | सार्वजनिक जलकल एवं मल प्रवाह व्यवस्था अन्य | 30328 |
| 8 | योग | 134971 |

## v/;k;&14
## m|kx

औद्योगिक विकास की दृष्टि से अल्मोड़ा जनपद अन्य पर्वतीय जनपदों की भांति पिछड़ी हुई स्थिति में है। इस जनपद का समस्त भू–भाग पर्वतीय है। विषम भौगोलिक संरचना के कारण यहॉ पर वृहत–मध्यम स्तरीय उद्योगों की अपेक्षा लद्यु/लद्युतर ग्रामीण दस्तकारी ग्रामोंद्योग एंव हथकरघा, हस्तशिल्प इकाइयों का ही अधिक योगदान रहा हैं।

**¼v½ ogr@Hkkjh m|kx¼&** वृहत–भारी उद्योग श्रेणी में प्लान्ट एवं मशीनरी संयंत्र में 10 करोड़ से अधिक पूॅजी निवेश की इकाईयॉ आती हैं। जनपद अल्मोड़ा में वृहत/भारी श्रेणी के अन्तर्गत एक इकाई मै0 ब्रायस रिर्सोट प्रा0लि0,भाकराकोट सल्ट अल्मोडा हे। जो कि जिला उद्योग केन्द्र की परिधि से इतर विकास आयुक्त भारत सरकार स्तर पर पंजीकृत है।

**¼c½ e/;e Lrjh; m|kx¼&** भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म लघु और मध्यम विकास अधिनियम 2006 द्वारा विनिर्दिष्ट किसी उद्योग से संबंधित माल के विनिर्माण एवं उत्पादन में लगे उद्यमों जिसमें संयत्र एवं मशीनरी में रू0 5 करोड़ से अधिक परन्तु 10 करोड़ तक के उद्योग/इकाईयॉ आती हैं। वर्तमान समय में उक्त श्रेणी के अन्तर्गत 11 उद्योग कार्यरत है।

**¼l½ y?k ,o l{e m|kx¼&** सूक्ष्म एवं लघु और उद्यम विकास अधिनियम 2006 की अधिसूचना के अनुसार विनिर्माण एवं उत्पादन कार्य कर रहे ऐसे उद्यम जिसमें सयंत्र एवं मशीनरी में रू0 25 लाख तक पूॅजी निवेश किया गया हो वे सूक्ष्म उद्यम के अन्तर्गत आती है, एवं सेवा प्रदान किये जाने वाले उद्यमों में उक्त पूॅजी निवेश रू0 10.00 लाख रू0 तक निर्धारित किया गया है। लघु उद्यमों के अर्न्तगत उक्त पूॅजी निवेश क्रमशः रू0 25 लाख से रू0 5 करोड़ निर्धारित की गयी है।

जनपद में स्थापित उद्योग सूक्ष्म/लद्यु आधारित श्रेणी में आते है। जनपद में स्थापित उद्योगों में आटा चक्की, तेल पिराई, धान कुटाई, रूई धुनाई, मसाला पिसाई, नमकीन, बिस्कुट, बैकरी, कान्फेक्शनरी, सोफ्टी, आइसक्रीम, बिरोजा वार्निश, आरा मिल, रिंगाल, बॉस बैंत, कास्ट फर्नीचर, कारपेन्टरी, जड़ी–बूटी, लोहारगिरी, आयरन इंजीनियरिंग, गेट ग्रिल वर्क्स, तांबे की कलात्मक वस्तुऍ ऊनी करघा, हस्तकला उद्योग, सोप स्टोन पाउडर, इलैक्ट्रीकल एण्ड इलैक्ट्रोनिक्स रिपेयरिंग, पी0सी0ओ0/फैक्स, साइबर कैफे, कम्प्यूटर ट्रेनिंग, डाटा प्रोसेसिंग, प्रिन्टिंग प्रेस, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, कलर लैब, टेन्ट हाउस, सीमेन्ट ब्लाक, गमले, जाली, मिनी पोल्ट्री, टेलरिंग, आटोमोबाइल रिपेयरिंग, टायर रिट्रेडिंग, एलोपैथिक दवा आदि प्रमुख उद्योग हैं। जनपद में 31–03–2017 तक 2375 पंजीकृत लद्यु औद्योगिक इकाईयों कार्यरत/स्थापित है।

**1- y?k m|kxk dh LFkkiuk¼&** वर्ष 2016–17 हेतु इस मद में वार्षिक लक्ष्य 160 के सापेक्ष 160 लघु औद्योगिक इकाईयां स्थापित की गई है। एम.एस.एम.ई.एक्ट 2006 की परिभाषा के मुताविक 143 सूक्ष्म इकाईयां व 15 औद्योगिक इकाईयां एवं 02 मध्यम इकाई स्थापित की गयी हैं।

**2- m|kx fe= cBd¼–** बैठक के आयोजन के अन्तर्गत उद्यामियों की समस्या के निराकरणार्थ जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित इस समिति की 02 बैठकों का आयोजन कर उद्यमियों की समस्या का निराकरण किया गया।

**3- vk|kfxd eyk in'kuh@xk"Bh lfeukj ¼&** औद्योगिक इकाइयों की प्रदर्शनी लगाकर औद्योगिक परिवेश/प्रेरणा को प्रसूत करने के उद्देश्य से क्रियान्वित किया गया हैं। इस

योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 में प्रस्तावित बजट राशि प्राप्त नही हुई तथापि 02 प्रर्दशनी/गोष्ठी सेमिनार का आयोजन किया गया ।

4&m|ferk fodkl dk;dze%& उद्योग स्थापनार्थ उद्यमियों को आवश्यक जानकारी एवं प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से कियान्वित इस योजनान्तर्गत 08 सामान्य, एवं 04 अनु0जाति एवं 02 टी0एस0पी0 हेतु कुल 14 कार्यक्रम वर्ष 2016–17 में 9.98 लाख रू0 की बजट राशि से सम्पादित कराते हुए 360 प्रशिक्षणार्थियों को प्र"ाक्षण प्रदान किया गया।

5- QDVh ,DV e ithdr dk;jr bdkbZ;k :– फैक्ट्री एक्ट में पंजीकृत निम्नांकित इकाईयां/औद्योगिक उपक्रम कार्यरत हैं:–

1. मै0 आल्पस फार्मास्यूटिकल, प्रा0लि0,पातालदेवी,अल्मोड़ा।
2. मै0 कोआपरेटिव ड्रग फैक्ट्री,रानीखेत ।
3. मै0 इण्डियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लि0 मोहान।
4. मै0 खादी ग्रामोद्योग ऊल प्रोसेसिंग व फिनिसिंग प्लाण्ट रीवरव्यू फैक्ट्री, अल्मोडा।
5. मै0 ओरियन मैटल पाउडर रानीखेत।
6. मै0 पंचाचूली वूमैन वीभर्स लि0 पातालदेवी, अल्मोड़ा

# v/;k;&15
# lMd] ifjogu ,o lpkj

जनपद अल्मोडा के आर्थिक विकास एवं जनजीवन स्तर को उन्नत व समृद्ध बनाने में परिवहन एवं संचार सेवाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। जीवन उपयोगी वस्तुओं एवं सेवा की उपलब्धता कराने में सडकें एवं परिवहन, संचार साधन प्रमुख भूमिका निर्वाह करते हैं। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराये जाते है। संचार साधनों के द्वारा पारस्परिक निकटता की सुविधा प्राप्त होने के कारण जीवन अधिक सुविधापूर्ण एवं मनोरंजक बन गया है। जनपद में पिछले दशक में यातायात विस्तार में विशेष प्रगति रही जनपद के सभी परिवहन मार्ग देश प्रदेश के एक दूसरे स्थानों से जोड़े गये। पिथौरागढ, चमोली, नैनीताल और टिहरी जनपदों के लिए सीधे यातायात सुविधा है शेष रामनगर और काठगोदाम से रेलवे सुविधा उपलब्ध है। लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त वन विभाग एवं जिला पंचायत/स्थानीय निकायों की सड़कें नगरीय एवं ग्रामीण जीवन से जुडाव रखने में सहायक है। जिसके द्वारा जिले के अन्दरूनी क्षेत्रों में पहुॅचा जा सकता है।

## 1 lMd%&

जनपद में प्रति वर्ष सडकों द्वारा यातायात संचार में वृद्धि हो रही है। उपरोक्त विवरण के अनुसार जनपद अल्मोडा में प्रति लाख जनसंख्या पर कुल पक्की सडकों की लम्बाई वर्ष 2001–02 में 296.19 कि0मी0 जिसमें से लोक निर्माण विभाग की कुल लम्बाई 266.46 कि0मी0 थी।

जनपद में वर्ष 2011–12 में लो0नि0वि0 के अन्तर्गत सडकों की कुल लम्बाई 2382. 164 किमी0 है, जिसमें 35.77 किमी0 हल्का वाहन मार्ग है एवं 163.864 किमी0 पैदल मार्ग है। वर्ष 2012–13 में लो0नि0वि0 के अन्तर्गत सडकों की कुल लम्बाई 2542.946 कि0मी0 है। वर्ष 2013–14 में लो0नि0वि0 के अन्तर्गत आने वाले सड़को की लम्बाई इस प्रकार है राष्ट्रीय राजमार्ग 115 किमी0 ,प्रादे"ाक राजमार्ग 534.37 किमी0 मुख्य जिला सड़कें 322 किमी0, अन्य जिला सड़के 638.67 किमी0, ग्रामीण सड़के 1371.73 किमी0 हल्का वाहन मार्ग 36.72 किमी0 हैं। पैदल मार्ग 163.86 किमी0 मार्ग है।

वर्ष 2014–15 में लो0नि0वि0 के अन्तर्गत आने वाले सड़को की लम्बाई इस प्रकार है राष्ट्रीय राजमार्ग 115 किमी0, प्रादे"ाक राजमार्ग 654.79 किमी0 मुख्य जिला सड़कें 565.86 किमी0, अन्य जिला सड़के 1234.43 किमी0, ग्रामीण सड़के 1244.29 किमी0 हल्का वाहन मार्ग 47.47 किमी0 हैं। पैदल मार्ग 163.86 किमी0 मार्ग है।

वर्ष 2015–16 में लो0नि0वि0 के अन्तर्गत आने वाले सड़को की लम्बाई इस प्रकार है राष्ट्रीय राजमार्ग 229.55 किमी0, प्रादे"ाक राजमार्ग 742.22 किमी0 मुख्य जिला सड़कें 345.69 किमी0, अन्य जिला सड़के 722.61 किमी0, ग्रामीण सड़के 1566.88 किमी0 हल्का वाहन मार्ग 27.72 किमी0 हैं। पैदल मार्ग 235.77 किमी0 मार्ग है।

वर्ष 2016–17 में लो0नि0वि0 के अन्तर्गत आने वाले सड़को की लम्बाई इस प्रकार है राष्ट्रीय राजमार्ग 308 किमी0, प्रादे"ाक राजमार्ग 737.819 किमी0 मुख्य जिला सड़कें 297.639 किमी0, अन्य जिला सड़के 722.61 किमी0, ग्रामीण सड़के 1788.888 किमी0 हल्का वाहन मार्ग 27.72 किमी0 हैं। पैदल मार्ग 235.77 किमी0 मार्ग है।

7-1 cl LVki%&जनपद अल्मोडा में यात्रियों की सुविधाओं के लिए वर्तमान में 1078 बस स्टाप/टैक्सी स्टैण्ड कार्यरत है ।

7-2 Mkd ,o rkj%&जनपद विभाजन के उपरान्त जनपद अल्मोड़ा में विगत वर्षो की तुलना में संचार सेवा में वृद्धि हो रही हैं। जनपद अल्मोडा में वर्ष 2008–2009 में जनपद में 320 पोस्ट आफिस, 13089 टेलीफोन कनेक"ान ( जिसमें चारों जनपदों की सूचना सम्मिलित हैं ) व 108253 मोबाइल कनेक"ान कार्य"ाील है। जनपद अल्मोडा में वर्ष 2012–13 में जनपद में 320 पोस्ट आफिस, 13090 टेलीफोन कनेक"ान ( जिसमें चारों जनपदों की सूचना सम्मिलित हैं ) व 108650 मोबाइल कनेक"ान कार्य"ाील है तथा जनपद अल्मोडा में वर्ष 2013–14 में जनपद में 320 पोस्ट आफिस, सार्वजनिक दूरभाष की संख्या 286, दूरभाष संयोजन की संख्या 7861 व टेलीफोन कनेक"ान 146631 मोबाइल कनेक"ान कार्य"ाील है। जनपद में 2 तारघर समाप्त हो गया हैं। जनपद अल्मोडा में वर्ष 2014–15 में जनपद में 320 पोस्ट आफिस, सार्वजनिक दूरभाष की संख्या 188, दूरभाष संयोजन की संख्या 10374 व टेलीफोन कनेक"ान 147631 मोबाइल कनेक"ान कार्य"ाील है। जनपद में 2 तारघर समाप्त हो गया हैं। जनपद अल्मोडा में वर्ष 2015–16 में जनपद में 320 पोस्ट आफिस, सार्वजनिक दूरभाष की संख्या 111, दूरभाष संयोजन की संख्या 5995 व टेलीफोन कनेक"ान 148932 मोबाइल कनेक"ान कार्य"ाील है। जनपद में 2 तारघर समाप्त हो गया हैं। जनपद अल्मोडा में वर्ष 2016–17 में जनपद में 320 पोस्ट आफिस, सार्वजनिक दूरभाष की संख्या 111, दूरभाष संयोजन की संख्या 5995 व टेलीफोन कनेक"ान 148932 मोबाइल कनेक"ान कार्य"ाील है।

## v/;k;&16
## cfdx

वर्तमान में जनपद अल्मोड़ा में 86 राष्ट्रीयकृत बैंक, 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 21 सहकारी बैंक, 12 अन्य निजी व्यवसायिक बैंक, तथा 1 सहकारी कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक सहित कुल 151 बैंक शाखायें कार्यरत है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति व्यावसायिक ग्रामीण तथा सहकारी बैंकों पर ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या 5902 तथा नगरीय जनसंख्या पर 1242 है।

वर्ष 2010–2011 में व्यावसायिक बैंकों की जमा धनराशि 2316.05 करोड़ रूपया है तथा इनके द्वारा वर्ष में 601.87 करोड़ रूपया ऋण वितरित किया गया। वर्ष 2010–2011 में जमा धनराशि पर ऋण वितरण का 25.99% है। प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण वितरण 222.68 करोड़ रूपया किया गया हैं। जिसके अन्तर्गत कृषि तथा तत्सम्बंधी सेवा क्षेत्र में 58.21 एवं लघु उद्योग व अन्य प्राथमिकता के क्षेत्र में 164.47 करोड़ रूपया ऋण वितरित किया गया।

वर्ष 2011–2012 में व्यावसायिक बैंकों की जमा धनराशि 2646.38 करोड़ रूपया हैं। तथा इनके द्वारा वर्ष में 640.04 करोड़ रूपया ऋण वितरित किया गया। वर्ष 2011–2012 में जमा धनराशि पर ऋण वितरण का 25% है। प्राथमिकता के क्षेत्र में ऋण वितरण 295.95 करोड़ रूपया किया गया है, जिसके अन्तर्गत कृषि तथा तत्सम्बंधी सेवा क्षेत्र में 75.64 एवं लघु उद्योग व अन्य तथा अन्य प्राथमिकता के क्षेत्र में 220.26 करोड़ रूपया ऋण वितरित किया गया हैं।

वर्ष 2012–2013 में व्यावसायिक बैंकों की जमा धनराशि 2934.91 करोड़ रूपया हैं । तथा इनके द्वारा वर्ष में 779.54 करोड़ रूपया ऋण वितरित किया गया। वर्ष 2012–2013 में जमा धनराशि पर ऋण वितरण का 26.56% है। प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण वितरण 2070.10 करोड़ रूपया किया गया हैं। जिसके अर्न्तगत कृषि तथा तत्सम्बंधी सेवा क्षेत्र में 844.00 एवं लघु उद्योग व अन्य तथा अन्य प्राथमिकता क्षेत्र में 315.70 करोड़ रूपया ऋण वितरित किया गया हैं।

वर्ष 2013–2014 में व्यावसायिक बैंकों की जमा धनराशि 3348.79 करोड़ रूपया हैं । तथा इनके द्वारा वर्ष में 892.05 करोड़ रूपया ऋण वितरित किया गया हैं। वर्ष 2013–2014 में जमा धनराशि पर ऋण वितरण का 26.64 % है। प्राथमिकता के क्षेत्र में ऋण वितरण 74.04 करोड़ रूपया किया गया है, जिसके अर्न्तगत कृषि तथा तत्सम्बंधी सेवा क्षेत्र में 60.33 करोड़ एवं लघु उद्योग सेवा क्षेत्र में 7.49 करोड़ व दुर्बल वर्ग को अग्रिम क्षेत्र में 6.22 करोड़ रूपया ऋण वितरित किया गया।

वर्ष 2014–2015 में व्यावसायिक बैंकों की जमा धनराशि 3834.61 करोड़ रूपया हैं। तथा इनके द्वारा वर्ष में 923.44 करोड़ रूपया ऋण वितरित किया गया हैं। वर्ष 2014–2015 में जमा धनराशि पर ऋण वितरण का 24.08% है। प्राथमिकता के क्षेत्र में ऋण वितरण 83.70 करोड़ रूपया किया गया है, जिसके अर्न्तगत कृषि तथा तत्सम्बंधी सेवा क्षेत्र में 67.20 करोड़ एवं लघु उद्योग सेवा क्षेत्र में 15.25 करोड़ व दुर्बल वर्ग को अग्रिम क्षेत्र में 7.21 करोड़ रूपया ऋण वितरित किया गया।

वर्ष 2015–2016 में व्यावसायिक बैंकों की जमा धनराशि 4160.94 करोड़ रूपया हैं। तथा इनके द्वारा वर्ष में 993.20 करोड़ रूपया ऋण वितरित किया गया हैं। वर्ष 2015–2016 में जमा धनराशि पर ऋण वितरण का 23.87% है। प्राथमिकता के क्षेत्र में ऋण वितरण 262.17 करोड़ रूपया किया गया है। जिसके अर्न्तगत कृषि तथा तत्सम्बंधी सेवा क्षेत्र में 82.74 करोड़ एवं लघु उद्योग सेवा क्षेत्र में 1279.43 करोड़ रूपया ऋण वितरित किया गया।

वर्ष 2016–17 में व्यवसायिक बैंकों की जमा धनराशि 4561.98 करोड रूपया है तथा इनके द्वारा वर्ष में 345.23 करोड रूपया वितरित किया गया है। वर्ष 2016–17 में जमा धनराशि पर श्रृण वितरण 358.21 करोड रूपया किया गया है। जिसके अन्तर्गतकृषि तथा तत्सम्बन्धित सेवा क्षेत्र में 80.07 करोड रूपया एवं लद्यु उद्योग सेवा क्षेत्र में 278.13 करोड रूपया ऋण वितरित किया गया।

## v/;k;&17

## f'k{kk

सामाजिक सेवाओं का आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है मनुष्य की कार्यकुशलता एवं कार्यक्षमता आर्थिक विकास में परोक्ष रूप से सहायक होती है। कार्य कुशलता एवं कार्य क्षमता अच्छे स्तर की शिक्षा तथा अच्छे स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। अतः चिकित्सा जनस्वास्थ्य एवं शिक्षा आर्थिक विकास के अभिन्न अंग है।

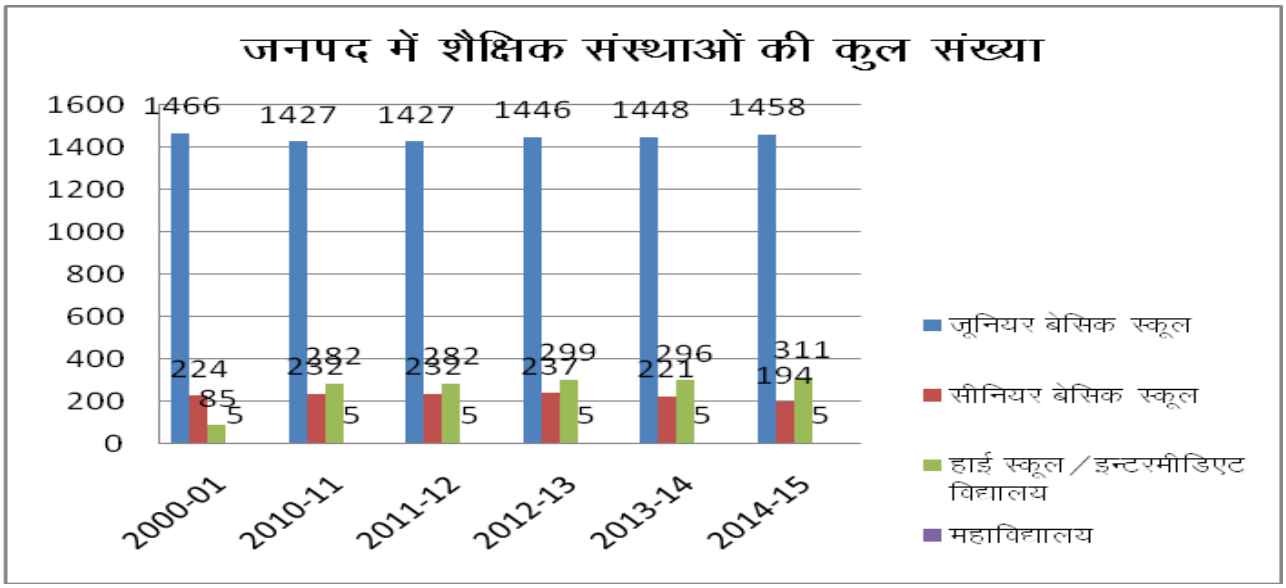




जनपद अल्मोडा में वर्ष 2016–17 में कुल 1458 प्राथमिक विद्यालय, 188 जूनियर हाईस्कूल, 363 हाईस्कूल एवं इण्टरमीडियेट कालेज, 13 स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय, 18 आई.टी.आई., 12 पॉलीटैक्निक तथा 1 इंजीनियरिंग कालेज द्वाराहाट हैं। जो कि साक्षरता की दृष्टि से प्रदेश में अपना विशेष स्थान रखता है। वर्ष 2016–17 में प्राथमिक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 30848, जूनियर हाईस्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या 6132, हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट कालेज में विद्यार्थियों की कुल संख्या 92176 थी। स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 10598 है।

विभाग से संबंधित प्रमुख सूचनाएं निम्नवत हैः–

1&ftyk ;kstuk&जिला योजना वर्ष 2016–17 में जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा 659.16 लाख रू0 का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। अनुमोदित परिव्यय के सापेक्ष रू0 374.94 लाख अवमुक्त हुआ हैं। अवमुक्त धनराशि के अन्तर्गत 05 माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा–कक्ष निर्माण, 02 माध्यमिक विद्यालयों में चाहदिवारी निर्माण, 38 विद्यालयों में शौचालयों निर्माण तथा 18 प्राइमरी एवं जूनियर विद्यालयों में भवन निर्माण की स्वीकृतियां प्रदान की गयी है।

2& fo|ky;ksa dk mPphdj.k&वर्ष 2016–17 में 03 राजकीय जूनियर हाईस्कूलों का हाई स्कूल स्तर पर तथा 08 हाई स्कूलों का इन्टर स्तर पर उच्चीकरण हुए है

3&fjDr ink dh ifr%&प्राइमरी स्कूलों में 74 स0अ0 की नियुक्तियॉ हुई है। अ"ाासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 14 प्रवक्ताओं एवं 28 स0अ0एल0टी0 के पदों में नियुक्तियॉ हुई है।

4&ijh{kkQy%&वर्ष 2016–17 में जनपद के अन्तर्गत हाईस्कूल में 12596 छात्र/छात्राएं एवं इन्टरमीडिएट में 11800 विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए। हाईस्कूल स्तर का परीक्षाफल 69.15 प्रति"ात तथा इन्टर स्तर का परीक्षाफल 78.77 प्रति"ात रहा है।

rduhdh f'k{kk%&प्राथमिक एवं उच्चतर शिक्षा के उपरान्त व्यक्ति को विभिन्न तकनीकी एवं व्यवसायिक के लिए वांछित रोजगार प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षण का होना वर्तमान समय में आवश्यकीय हो गया है इस उद्देश्य से तकनीकी एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण की दृष्टि से जनपद अल्मोडा में भी व्यवसायिक शिक्षा हेतु आधुनिक एवं परम्परागत व्यवसायों के लिए प्रशिक्षण संस्था स्थापित की गयी है जो कि युवकों की शिक्षा के उपरान्त रोजगार प्राप्त करने हेतु सहायक हो सके या स्वयं कुटीर अथवा लघु उद्योगों को स्थापित कर सके।

ftyk f'k{k.k ,o i f'k{k.k laLFkku%& जैसा कि सभी जानते है कि आज टैक्नोलाजी का युग है, जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नही है जहॉ पर तकनीकी का प्रयोग न किया जा रहा हो। व्यवहार जगत में देख जाय तो बैंक, कार्यालय, पोस्ट ऑफिस से लेकर व्यक्तिगत जीवन भी नवीन तकनीकी से प्रभावित है।

ि"ाक्षा जगत में तकनीकी सबसे अधिक प्रभावपूर्ण है। हम यॅहा तक भी कह सकते है कि जिस व्यक्ति को तकनीकी ि"ाक्षा का ज्ञान नही है उसको हम निरक्षर की श्रेणी में रख सकते हैं। इसी कथन से हम तकनीकी ि"ाक्षा के महत्व को समझ सकते हैं।

mnkgj.k Lo:i%&एक व्यक्ति ि"ाक्षा प्राप्त कने के प"चात् बहुत कु"ाल डॉक्टर, इंजीनियर, लेखक या कवि बन जाता है परन्तु अपने परिवार या स्टाफ में उसका व्यवहार सही नहीं, वह समायोजित नही हो पा रहा है तो उसकी ि"ाक्षा कहीं पर त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण है।

वर्तमान समय में व्यवहारिक जीवन पूर्ण रूप से टेक्नालाजी से प्रभावित है। अतः व्यवहारिक समायोजन हो पाए इस हेतु ि"ाक्षा में तकनीकी का प्रयोग होना अनिवार्य है। वर्तमान समय में पूर्ण जीवन प्रकिया तकनीकी पर आधारित है। अतः हमें तकनीकी ज्ञान होना आव"यक है, तथा व्यवहारिक जीवन में उसका सदुपयोग भी अत्यन्त आव"यक है।

हमारा उदे"य केवल तकीनिकी ि"ाक्षा देना नही है, वरन ि"ाक्षा में नवीनतम टेक्नोलाजी का समावे"ा होना भी है अर्थात आज मुख्य आव"यकता है तकनीकी को ि"ाक्षा का माध्यम बनाना, क्योंकि आज ि"ाक्षा में निरन्तर नवीन विकास/परिवर्तन आ रहे हैं, का ही परिणाम है।

हमारी नवीन पीढी हमारा युवा वर्ग विकास की ओर अग्रसर हो तथा विकसित दे"ाों के सापेक्ष जीवन में सफलता प्राप्त कर राष्ट्र की सेवा कर सकें, इसके लिए हमें ि"ाक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार टेक्नोलाजी का प्रयोग किया जाय। सर्वप्रथम विद्यालयी ि"ाक्षा को तकनीकी विकास से प्रभावित करना है। इसके लिए इस बात पर विचार करना चाहेंगे कि किस प्रकार तकनीकी का प्रयोग ि"ाक्षण कार्य में करके ि"ाक्षण को रूचिकर आसान व प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त उच्च ि"ाक्षा में भी तकनीकी बहुत कारगर सिद्ध होगी। शोध, लेखन में तकनीकी का वि"ोष योगदान है, इन्टरनेट वि"वकोष द्वारा नवीन विषय साहित्य का संकलन किया जा सकता है। इन्टरनेट द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। दूरस्थ स्थानों में बैठकर भी ि"ाक्षा का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि जीवन का प्रत्येक क्षेत्र आज तकनीकी ि"ाक्षा से आच्छादित है, और हमें चाहिए कि इसका अधिक से अधिक लाभ उठाया जाय।

तकनीकी ि"ाक्षा प्राप्त करने के प"चात छात्र–छात्राएं विभिन्न प्रकार से इसको अपने व्यवसाय से जोडकर नवीन तकनीकी का लाभ उठा सकते हैं।

- विभिन्न विभागों की वेबसाइट से रोजगार सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करना।

- पत्र (समाचार पत्रों, पत्रिका, पम्पलेट, पोस्टर) के माध्यम से रोजगार सम्बन्धी प्रसारण व जानकारी।
- इन्टरनेट के प्रयाग से जानकारी प्राप्त करके व्यवसाय में प्रवे"ा करना।
- प्र"िाक्षण के उपरान्त व्यक्ति तकनीकी से सम्बन्धित लघु उद्योग, साइबर कैफे, कम्प्यूटर प्र"िाक्षण केन्द्र, के माध्यम से प्र"िाक्षण एवं व्यवसाय के अवसर प्रदान किये जा सकते हैं।
- दूरद"ान तथा रेडियो के माध्यम से रोजगार सम्बन्धी प्रसारण व जानकारी।
- नवीन तकनीकी द्वारा कुटीर उद्योगों को सफल एवं उच्च कोटि का व्यवसाय बनाने हेतु जानकारी इन्टरनेट से प्राप्त की जा सकती है।
- लघु एवं कुटीर उद्योग से सम्बन्धित पी0पी0टी0 तैयार करके वेबसाइट से अपलोड करके उद्योगों को उच्च कोटि का बनाया जा सकता है।

1-vkS|ksfxd izf'k{k.k lLFkku&जनपद में इस समय 18 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत है जो विभिन्न व्यवसायों में समुचित शिक्षा निवेश एवं ज्ञान द्वारा नवयुवकों को व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने में प्रयत्नशील है। जो कि निम्नवत् हैः–अल्मोडा नगर में 2 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बालक/बालिका कार्यरत हैं तथा एक–एक जैती, दौला, दन्या, स्याल्दे, सदरक्वैराला, मछोड, खॅूट़, सोमे"वर, मासी, बिन्ता, धौलछीना, रानीखेत, नैनी, दौलाघाट, बमस्यूं तथा सराईखेत में कार्यरत है।

2-ikfof/kd f'k{kk&जनपद में उच्च तकनीकी शिक्षा हेतु 12 प्राविधिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित स्वीकृत है। जिनमें से 09 संस्थाये वर्तमान में संचालित है। तथा 03 नयी संस्थाओं हेतु भूमि की व्यवस्था हो चुकी है, लेकिन अभी प्र"िाक्षण कार्य संचालित नही हो पाया है। जनपद में दो महिला पालीटैक्निक स्वीकृत है। एक जनपद मुख्यालय अल्मोड़ा एवं दूसरा जैंती लमगड़ा विकास खण्ड में संचालित हो रहा है। राजकीय महिला पालीटैक्निक, अल्मोड़ा शहर से 3 किमी0 की दूरी पर पातालदेवी में स्थिति है। जहां केवल महिला अभ्यार्थियों को ही विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्र"िाक्षण प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त जनपद में संचालित अन्य सात पालीटैक्निक संस्थानों का विवरण निम्नानुसार हैः–

- राजकीय पालीटेक्निक, द्वाराहाट
- स्व0 जनरल बी0सी0जो"ाी राजकीय ग्रामीण पालीटेक्निक,ताकुला
- स्व0सं0 से0 स्व0 पुरूषोत्तम उपाध्याय राजकीय पालीटेक्निक,सल्ट
- राजकीय पालीटेक्निक, मल्ला सालम ( लमगड़ा)
- राजकीय पालीटेक्निक, चौनलिया ( भिकियासैण)।
- राजकीय पालीटेक्निक, दन्या।
- राजकीय पालीटेक्निक, बाड़ेछीना।

राजकीय पालीटैक्निक, सोमे"वर, राजकीय पालीटैक्निक,देघाट एवं राजकीय पालीटैक्निक चौखुटिया के नव स्वीकृत संस्थानों के लिए भूमि/भवन की व्यवस्था का कार्य चल रहा है, अभी ि"ाक्षण कार्य आरम्भ नही हो पाया है।

उक्त प्राविधिक संस्थानों में महिला एवं पुरूष दोनों अभ्यर्थियों को डिप्लोमा प्र"िाक्षण प्रदान किया जाता है। समस्त संस्थानों में प्रवे"ा हेतु वर्तमान में प्रादे"िाक स्तर पर संयुक्त प्रवे"ा परीक्षा आयोजित की जाती है। संयुक्त प्रवे"ा परीक्षा के माध्यम से मैरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की काउन्सिलिंग के उपरान्त संस्थान आवंटित किया जाता है। वर्तमान में जनपद अल्मोडा के विभिन्न पॉलीटैक्निको में चलाये जा रहे पाठ्यक्रमों का विवरण निम्नवत हैः–

1-jkt dh; efgyk ikyhVfDud] vYekMk&

- मार्डन आफिस मैनेजमेंट एण्ड सेक्रेटरी प्रैक्टिस
- इलैक्ट्रानिक्स इंजी0

- पी0जी0डी0सी0ए0
- इन्फोरमेशन टैक्नोलाजी
- कम्प्यूटर सांइस इंजीनियरिंग

2 jktdh; efgyk ikyhVfDud] }kjkgkV%&
- मार्डन आफिस मैनेजमेंट एण्ड सेके0 प्रैक्टिस
- इलैक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग
- पी0जी0डी0सी0ए0
- सिविल इंजीनियरिंग
- फार्मेसी
- इन्फोरमेशेन टैक्नोलाजी
- कम्प्यूटर साइंस एण्ड टैक्नोलोजी।

3- Lor=rk lxke lukuh i|:"kkRre mik/;k; jktdh; ikyhVfDud lYV vYeksMk&
- इलैक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग।
- कम्प्यूटर सांइस एण्ड इंजी0

4- tujy ch0lh0tks'kh jktdh; xkeh.k ikyhVfDud rkdqyk vYeksMk&
- मार्डन आफिस मैनेजमेंट एण्ड सेके0 प्रैक्टिस
- इलैक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग

5- jktdh; ikyhVfDud] pkSufy;k ¼fHkfd;kls.k½ vYeksMk
- मार्डन आफिस मैनेजमेंट एण्ड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस।

6- jktdh; ikyhVfDud] eYyk lkye¼yexMk½ vYeksMk
- कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग।

7- jktdh; ikyhVfDud] tSrh¼yexMk½ vYeksMk
- सिविल इंजीनियरिंग

8. jktdh; ikyhVfDud]nU;k¼ /kkSykno½] vYeksMk
- सिविल इंजी0

9. jktdh; ikyhVfDud]ckMs Nhuk ¼ HkSfl;kNkuk½
- इलैक्ट्रीकल इंजी0
- मैकेनिकल इंजी0

10- jktdh; ikyhVfDud lkses'oj ¼ rkdqyk ½ vYeksMk

11- jktdh; ikyhVfDud n?kkV ¼ L;kYns ½ vYeksMk

12- jktdh; ikyhVfDud ¼ pkS[kfV;k ½ vYeksMk

क्रमांक 10,11,12 पर अंकित संस्थायें स्वीकृत है परन्तु अभी प्रशिक्षण आरम्भ नही हुआ है।

उपरोक्त सभी पालीटेक्निक संस्थाओं में विभिन्न पाठ्यक्रमों में शिक्षण/प्रशिक्षण कार्य सुचारू रूप से सम्पन्न हो रहा है। छात्र/छात्राओं के सेवायोजन हेतु विभिन्न प्रतिष्ठित कम्पनियों को आमंत्रित कर परिसर साक्षात्कार आयोजित कराया जाता है। परिसर साक्षात्कार के माध्यम से इस वर्ष लगभग 75 प्रतिशत छात्र/छात्राओं को विभिन्न प्रतिष्ठित कम्पनियों यथा बजाज,टाटा मोर्टस, ए0पी0एस0, सैमसंग, स्पाइसर इण्डिया आदि में सेवायोजन का लाभ प्राप्त होता रहा है।

उक्तरोक्त के अतिरिक्त रा.म.पा0 अल्मोड़ा रा0ग्रा0पा0 ताकुला,रा0पा0 द्वाराहाट,एवं रा0पा0 सल्ट में मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित सामुदायिक विकास योजना संचालित की जा रही है। जिसके अन्तर्गत विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार युवाओं/युवतियों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ– साथ संस्थाओं

में राष्ट्रीय सेवायोजन इकाई के अन्तर्गत समय–समय पर विभिन्न जागरूकता अभियान चलाये जाते है।

## v/;k;&18
## fpfdRlk ,oa tuLokLF;

जनपद में वर्ष 2016–17 में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत जनपद में 4 बड़े चिकित्सालय, 9 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 1 क्षय रोग चिकित्सालय, 6 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 21 अति0 प्राथमिक केन्द्र, 41 ऐलोपैथिक चिकित्सालय, 2 राजकीय महिला चिकित्सालय, 1 बेस चिकित्सालय , 1 संयुक्त चिकित्सालय, 2 सहायता प्राप्त निजी चिकित्सालय, 1 जिला स्तरीय प्रसवोत्तर केन्द, 1 तहसील स्तर प्रसवोत्तर केन्द, 3 आ"ाा केन्द्र, 16 (24X7) सेवा केन्द्र, 856 सरकारी अस्पतालों में शैययायें, 11 मातृत्व ि"ा"ाु कल्याण केन्द्र, तथा 203 मातृत्व ि"ा"ाु कल्याण उपकेन्द है।

वर्ष 2016–17 में 10846 गर्भवती माताओं का पंजीकरण हुआ। कुल प्रसव की संख्या 7195 है जिसमें 5153 संस्थागत प्रसव हुए। परिवार नियोजन के अन्तर्गत पुरूष नसबन्दी की संख्या 114 एवं महिला नसबंदी 1283 रही। अस्थाई परिवार नियोजन विधि के अर्न्तगत सी0सी यूजर्स की संख्या 6323 तथा ओरल पिल्स यूजर्स की संख्या 1874 रही।

जनपद में प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत टीकाकरण की संख्या बी.सी.जी 8074, पोलियों 8424, डी.पी.टी. 218, मीजिल्स 8503, टी.टी. (गर्भवती माताएँ) 8004 रही।

जनपद में 108 आपातकालीन सेवाओं की संख्या 12 है, जिनमें कुल 1321 लोग लाभान्वित हुए। खु"ाियों की सवारी की संख्या 8 है जिनसे 1679 लोग लाभान्वित हुए।

जनपद में एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत आर.टी.आई./एस.टी.आई. उपचारित रोगी की संख्या 7406 एवं एच.आई.वी. पॉजिटिव रोगियों की संख्या 17 रही।

जनपद में वर्ष 2016–17 में राष्ट्रीय क्षय रोग नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत बलगम धनात्मक रोगी की संख्या 610 जिनमें बलगम परीक्षण कर उपचारित किये गये रोगियों की संख्या भी 610 रही। नये खोजे गये रोगी 339 रहे।

जनपद में कुष्ठ निवारण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में खोजे गये रोगियों की संख्या 8 रही, जिसमें 7 रोगियों को उपचारित किया गया।

जनपद में वर्ष 2016–17 में मलेरिया निरोधक कार्यक्रम के अन्तर्गत रक्त पट्टिका एकत्रीकरण की संख्या 28756 रही, जिसमें मलेरिया धनात्मक रोगियों की संख्या शून्य रही।

जनपद में वर्ष 2016–17 में राष्ट्रीय दृष्टिहीनता निवारण कार्यक्रम (मोतियाबिन्द आपरे"ान) के अन्तर्गत साधारण आपरे"ान की संख्या 15, आई.ओ.एल. की संख्या 3558 रही।

जनपद में वर्ष 2016–17 में राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत खोज गये रोगियों की संख्या एवं उपचारित रोगियों की संख्या शून्य रही जिसमें व्यय धनरा"ाि रू 198991.00 रही।

जनपद में वर्ष 2016–17 में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों का परीक्षण 146427 रही जिसमें से उच्चीकृत चिकित्सालयों को भेजे गये बच्चों की संख्या 123 रही।

जनपद में वर्ष 2016–17 में जननी सुरक्षा योजना (जे.एस.वाई.) में पंजीकृत कुल लाभार्थियों की संख्या 4797 रहीं जिसमें सभी पंजीकृत लाभार्थियों को कुल रू. 9438379.00 की धनरा"ाि व्यय की गयी।

जनपद में वर्ष 2016–17 में जननी ि"ा"ाु सुरक्षा कार्यक्रम (जे.एस.एस.के.) के अन्तर्गत कुल लाभार्थी 5153 रहे जिस पर कुल रू0 689416.00 की धनरा"ाि व्यय की गयी।

जनपद में वर्ष 2016–17 में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों की संख्या 26167 रहीं जिनमें 21256 लोगों को कार्ड वितरित किया गया।

जनपद में वर्ष 2016–17 में ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति की संख्या 2153 है जिसके अन्तर्गत रू. 8369929.00 की धनराि"ा व्यय की गयी।

## v/;k;&19
## ty lEifr

जनपद में जल सम्पूर्ति के लिये नलों द्वारा स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना जल निगम अथवा जल संस्थान एवं स्वजल के माध्यम से ही किया जा रहा है। जनपद में प्राकृतिक जल संसाधनों के माध्यम से पेयजल संकट ग्रस्त ग्रामों में पेयजल प्राकृतिक जल स्रोतों जैसे डिग्गी, नौले द्वारा गुरूत्व से तथा नदियों आदि के माध्यम से पम्पिंग द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है।

पेयजल निगम द्वारा वर्ष 2001–02 के अन्त तक प्रेषित संशोधित सूचना के आधार पर 2117 ग्रामों में पूर्णतः पेयजल आच्छादन तथा 38 ग्रामों में आंशिक आच्छादित किया जा चुका था। पूर्व में प्रेषित सूचना 'राजीव गॉधी ग्राम पेयजल योजना' के अन्तर्गत तोकों के आधार पर दी गई है। जिसे राजस्व ग्रामों के आधार पर संशोधित कर दिया गया। वर्ष 2002–03 के अन्त तक जनपद अल्मोड़ा में 2123 ग्रामों में पूर्णतः पेयजल आच्छादन तथा 32 ग्रामो को ऑशिक आच्छादित किया जा चुका था।

वर्ष 2010–11 में राजीव गॉधी पेयजल मिशन के अर्न्तगत तक 2128 ग्रामों को पूर्णतः पेयजल आच्छादित किया जा चुका है। इसके अन्तर्गत उक्त 2128 ग्रामों में पेयजल वांछित तोको को राजीव गॉधी पेयजल मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 के अन्त तक कुल 2731 तोकों को लाभान्वित किया जा चुका है। वर्ष 2012–13 के अन्त तक 2897 तोकों को पेयजल से लाभान्वित किया जा चुका है। वर्ष 2015–16 के अन्त तक 3270 तोकों को पेयजल से लाभान्वित किया जा चुका है। दिनांक 1–04–2017 को 1956 अव"ोष तोको में पेयजल आपूर्ति पूर्णतः श्रेणी प्रदान की जानी शेष है।

## v/;k;&20
## i;Vu ,oa i;koj.k fodkl

देवभूमि हिमालय की संस्कृति के प्रतिनिधि के रूप में अल्मोड़ा धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में विद्वत समाज के आकर्षण का केन्द्र रहा है। इस क्षेत्र की पर्वतमालाओ में विविध प्रागैतिहासिक, सांस्कृतिक अव"ोष, आस्था के केन्द्र, धार्मिक स्थल और जनपद के चप्पे–चप्पे में फैली नैसर्गिक सुन्दरता दे"ा और विदे"ाों से पर्यटको को सहज ही अपनी ओर आकर्षित करती रही है। जनपद के अनेक स्थल धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। यहॉ अनेक प्रसिद्ध मंदिर है जिसमें नंदादेवी सक प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर वि"ोष रूप से उल्लेखनीय है। देवाल स्थित चिडियाघर, पातालदेवी, राजकीय संग्रहालय, विवेकानन्द कृषि अनुसंधानशाला आदि प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। रानीखेत, द्वाराहाट, सोमेश्वर में कई धार्मिक एंव पर्यटन स्थल मौजूद हैं।

### fculjegknso&

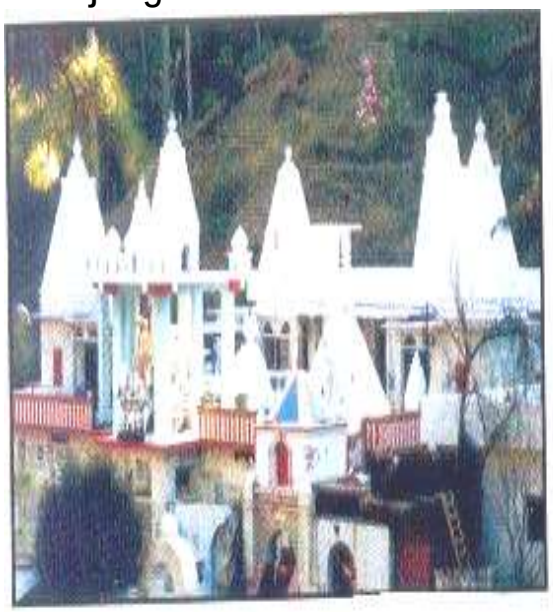

रानीखेत से 15 किलोमीटर दूरी पर सोनी के निकट बिनसर महादेव के भव्य दर्शनीय मंदिर का निर्माण ब्रहमलीन नागा बाबा मोहन गिरि ने किया था। यहॉ पर गीता भवन में सम्पूर्ण गीता संगमरमर के पत्थरों पर लिखी गयी है। यहॉ पर एक संस्कृत पाठशाला भी है। मंदिर तक जाने के लिए पक्का मोटर मार्ग भी है। अल्मोड़ा से 30 किमी दूरी पर बिन्सर अभ्यारण्य का सम्पूर्ण क्षेत्र प्राकृतिक सुषमा से भरपूर है। यहॉ से सूर्य उदय एंव सूर्यास्त के दृश्यों के साथ हिमालय की छटा देखने योग्य है। अल्मोड़ा के इस प्रमुख पर्यटन स्थल में एक पक्षी विहार भी है

,Mk|k&सोमेश्वर से 5 किलोमीटर दूरी पर ऐड़ाद्यो पर्वत पर बिन्देश्वर महादेव का और पर्वत की चोटी पर मॉ बिन्देश्वरी का सुन्दर मंदिर स्थित है। इन दोनो मंदिरो के मध्य में ऐड़ा देवी का मंदिर है। यह महादेव गिरि महाराज जी की तपोभूमि रही हैं। वन विभाग की सड़क तथा एक डाक बंगला भी यहॉ पर स्थित है। पर्यटन विभाग द्वारा यहॉ पर सौन्दर्यीकरण कार्य एवं धर्म"ाला निर्माण किया गया हैं।

Tkkx'oj&देवदार के सुरम्य वन में स्थित जागेश्वर की गिनती शिव मंदिरो में प्रसिद्ध द्वादस ज्योर्तिलिंगों में की जाती है। यह प्रसिद्ध तीर्थ व दर्शनीय स्थल है। यह मंदिर समूह वास्तुकला की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आवास हेतु पर्यटक आवास गृह एवं पेइंग गैस्ट हाउस उपलब्ध है।

o) tkx'oj–जागेश्वर से 3 किलोमीटर दूरी पर वृद्ध जागेश्वर का मंदिर है। प्रारम्भ में जागेश्वर धाम की स्थापना यहीं पर हुई थी। यह एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है।

>kdjlSe&

जागेश्वर के पा"चय पर्वत पर झांकरसैम का मंदिर है। यह सैम देवता का मंदिर है। सैम देवता को शिव का अवतार माना जाता है। पर्यटन विभाग द्वारा धर्मशाला एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है।

dfiy'oj&लोधियॉ से लगभग 10 किलोमीटर पैदल मार्ग पर सुन्दर कपिलेश्वर शिव मंदिर है। इस मंदिर की मूर्तियॉ केदारनाथ ज्योर्तिलिंग मूर्तियों के समान है।

'khrykk[ksr&यह स्थान अल्मोड़ा से 35 किमी दूर स्थित है। यहॉ पर स्याहीदेवी का प्रसिद्ध मंदिर है। यहॉ पर प्रायः स्काउटिंग के कैम्प भी लगते रहते है। भारत रतन पं0 गोविन्द बल्लभ पंत का जन्म स्थल ग्राम खूॅट यहॉ से मात्र 3 किमी की दूरी पर स्थित है। पर्यटन विभाग द्वारा आवासीय सुविधा का निर्माण किया गया है।

jkuh[ksr&सुरम्य वादियों व हिमा श्रृंखलाओं के मनोहरी दृश्यों को संजोए हुए यह नगर पर्यटकों को आकर्षित करता है। रानीखेत समुद्र तल से 1820 मी0 ऊॅचाई पर स्थित है, तथा प्राकृतिक सौन्दर्य से परिपूर्ण है। सुहावने व साफ मौसम में हिमशिखरों का दृश्यावलोकन अवर्णनीय है। प्लम, वेरी, स्ट्राबेरी, चैस्टनेट, काफल, बुराश के फलों से लदे वृक्ष तथा रंग बिरंगे ग्लाईडोनिया, जिरेनियम, जिनिया फ्यूस, गेंदा गुलदावरी, गुलाब, विगोनियॉ आदि पुष्पों से लदे बगीजे व पार्को के चित्ताकर्षण दृश्य पर्यटक को इस स्थल पर रूकने व पर्वतीय सौन्दर्य का आनन्द लेने को बरबस रोक लेते है। आवास हेतु पर्यटक आवास गृह के अतिरिक्त निजी होटल भी उपलब्ध है ।

ekfuyk&मानिला रानीखेत से 87 किमी0 एवं रामनगर से 75 किमी0 की दूरी पर स्थित मानिला नामक स्थान आत्मचिंतन, योगध्यान, वन्य प्राणी हिमांच्छादित हिमशिखरों के लिये प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। आवास हेतु मार्गीय सुविधा/वन विश्राम गृह उपलब्ध है। दर्शनीय स्थलों में प्राचीन मानिला देवी तथा शक्तिपीठ मानिला का मंदिर स्थित है।

nukfxjh&

जनपद मुख्यालय से 70 किमी0 की दूरी पर द्वाराहाट तहसील मुख्यालय है। यहां से 14 किमी0 की दूरी पर दूनागिरी का मंदिर है। इस मंदिर की स्थापना सन् 1187

में हुई थी। पुराणों के आधार पर दूनागिरी उर्फ दुरॉचल पर्वत जिसमें वैष्णवी शक्ति पीठ है, क्योंकि कहा जाता है कि रामायण काल में हनुमान जी द्वारा संजीवनी बूटी लाते समय एक टुकड़ा इस स्थान पर गिर गया था। जड़ी–बूटियों के बारे में मत है कि उसके प्रयोग का तात्कालिक प्रभाव होता है। जनपद के दर्शनीय स्थलों में से एक है। दूनागिरी मन्दिर क्षेत्र में अनेक औषधीय पौधों का भण्डार है।

dVkjey%&

कटारमल में प्रसिद्ध ऐतिहासिक सूर्य मंदिर है। यह अल्मोडा से 14 किमी0 की दूरी पर स्थित है। इसके समीप गोविन्द बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान भी है। पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटक आवास गृह का निर्माण किया गया है।

x.kkukFk% &

अल्मोड़ा से 47 किमी दूरी पर ताकुला के निकट गणानाथ का शिव मंदिर एक प्राकृतिक गुफा में स्थित है इसकी चोटी पर मल्लिका देवी का मंदिर है।

rMkxrky%–यह स्थान रानीखेत से 63 किमी एवं चौखुटिया से 10 किमी की दूरी पर स्थित है। यहॉ पर सुन्दर बरसाती ताल है।

fprbZ dk xkyw ¼Xokyw½ nsork efUnj%& जनपद अल्मोड़ा के कई धार्मिक स्थलों में चितई स्थित ग्वाल (गोलू देवता) का मंदिर लोक आस्था का प्रमुख केन्द्र है। गौर भैरव रूप में मान्य इस देव मंदिर में आम जनता अपनी मनौती पूरी करने की आशा के साथ आते हैं और न्याय की गुहार करते है। मान्यता है कि ग्वाल देवता के दरबार में की गयी न्याय की गुहार का प्रतिफल

शीघ्र मिलता है। मान्यता है कि चंद शासकों द्वारा अल्मोड़ा में राजधानी बनाने से पूर्व इसका अस्तित्व था। भोलेनाथ, गंगानाथ व हरज्यू समेत अन्य लोक देवताओं के जागर में ग्वाल चम्पावत के राजा थे। उनके पिता राजा झालराई निःसन्तान थे। उन्होने गौर भैरव की स्थापना की प्रसन्न होकर गौर भैरव ने स्वयं उनके पुत्र के रूप में अवतरित होने का वरदान इस शर्त के साथ दिया था कि सात रानियां होने के बावजूद भी राजा को एक विवाह कलिंगा से करना होगा। राजा के कलिंगा से विवाह के बाद कालान्तर में स्वयं गौर भैरव ने ग्वैल के रूप में उनके घर में जन्म लिया, परन्तु इर्ष्यावश सातों रानियों ने शिशु को नदी में बहा दिया। एक मछुवारे को यह शिशु मिला। उसी मछुआरे ने बालक का पालन पोषण किया। बड़ा होकर वह बालक चम्पावत राज दरबार के निकट पहुॅचा और लकड़ी के घोड़े को नौले में पानी पिलाने लगा। रानियों ने उसकी हंसी उड़ायी कि कहीं काठी का घोड़ा भी पानी पीता हैं। बालक ने जवाब दिया कि यदि कोई महिला पत्थर को जन्म दे सकती है, तो काठी का घोड़ा भी पानी पी सकता है। यह बात राजा तक पहुॅचने पर उन्होंने रानियों को दण्डित किया। यही बालक ग्वाल कई वर्षो तक चम्पावत के राजा रहे हैं। पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटक सूचना केन्द्र एवं सामुदायिक केन्द्र, बारात घर का निर्माण करवाया गया है।

### }kjkgkV efUnj leg%&

जनपद अल्मोड़ा से 70 किमी की दूरी पर स्थित द्वाराहाट हिमालय की द्वारिका के नाम से जानी जाती है। यह कत्यूरी राजाओं के कला प्रेमी एवं धर्मनिष्ठा का प्रतीक है। उन्होनें यहॉ 30 मन्दिरों एवं 365 बावड़ियों का निर्माण करवाया। रूहेलों के आक्रमण के समय एवं विशाल समय अन्तराल के पश्चात बचे हुए मन्दिर उत्तराखण्ड के सांस्कृतिक वैभव के प्रतीक है।

महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन ने इन मन्दिरों का निर्माण काल 11वीं शताब्दी बताया है। कत्यूरी राजाओं ने द्वाराहाट में उत्तरी दिषा में द्वारिकापुरी बनाने का प्रयत्न किया था। द्वाराहाट के मन्दिर समूहों में रतन देव, कचहरी, मनदेव, बूजरदेव, मृत्युंजय, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरीसिद्ध देव मंदिर समूह नामक अलग–अलग मंदिर समूह है। पर्यटन, सांस्कृतिक विकास के लिए इन मंदिरों का काफी महत्वपूर्ण स्थान हैं। वर्ष भर मंदिर में स्थानीय लोगो एवं पर्यटको की भीड़ रहती है। स्थापत्य कला की दृष्टि से ये बेजोड़ है। महामृत्युंजय तथा गुजरदेव मंदिर का विशिष्ट स्थान है। स्थानीय जनों में इन मंदिरो के प्रति काफी आस्था है। गुजरदेव मंदिर वास्तु शैली एवं पुरातत्व की दृष्टि से सबसे अनूठा है। इसे गुजरदेवालय के नाम से भी जाना जाता है। यह देवालय द्वाराहाट नगर में शालदेव पोखर के निकट एक ऊॅची जगती पर बनाया गया हैं ।

### okuMh nsoh efnj %&

जनपद मुख्यालय से 25 किमी की दूरी पर पूर्व की ओर बॉज और बुरास के घने जंगलो के मध्य वानड़ी देवी का मंदिर है। जिसे विन्ध्यवासिनी देवी के नाम से भी जाना जाता है। पर्यटन की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि यहॉ आने वाले भक्तों को की मनोकामनायें देवी पूरी करती हैं। इस कारण यहॉ वर्ष भर भक्तों की अपार भीड़ रहती हैं।

gSMk[kku%–जनपद मुख्यालय से 55 किमी की दूरी पर रानीखेत तहसील में हैडाखान मंदिर स्थित है। यह मंदिर चिलियानौला नामक स्थान पर स्थित है। 19वीं सदी के अंतिम समय में सोमवती महाराज यहॉ आये थे। वे सिद्ध महात्मा थे। हैड़ाखान बाबा के सिद्ध पुरूष व योगी होने को भी सिद्ध करते हैं। हैड़ाखान में विदेशी पर्यटकों की काफी भीड़ रहती है।

vkfn 'kfDr unk%&एटकिं"ान ने अपने गजेटियर में एक स्थान पर लिखा है कि 'शक्तिस्वरूपा नंदा देवी हिमालय प्रान्त में सर्वप्रिय हैं। उत्तराखण्ड में नन्दा के नाम से पर्वत चोटियों, नदियों और नगरो के नाम पड़ने से स्पष्ट होता है, कि देवी नन्दा का यहॉ विशद प्रभाव पड़ा हैं। वैष्णों परम्परा में नन्दा को योगमाया नंदा कहा गया है।

unk tkxj ,o Hkxorh unk%&नंदा जागर सृष्टि रचना के वृतान्त में 'पंख' और 'पंखडी' के मैल से अंडे की उत्पति हुयी। पंखडी को हिमालय में जाकर आदिशक्ति नंदा (पार्वती) बताया गया। नंदा जागर के आधार पर कहा जा सकता हैं, कि पूजा के दिन जो भैसा (जतिया) मारा जाता हैं। वह महिष राक्षस का प्रतीक हैं। इसके अतिरिक्त सात अन्य बलियॉ भी दी जाती हैं। उत्तराखण्ड का पष्चिमी भाग पार्वती का मायका माना जाता हैं। पूजा के अवसर पर यहॉ के लोग पार्वती रूपी नन्दा को अपनी बहन, बेटी के समान विभिन्न प्रकार के आभूषणों से सुशोभित करते हैं। देव भूमि अल्मोड़ा में अष्ट भैरव और नौदुर्गा का वास हैं। इन नौ दुर्गा में से एक नन्दादेवी हैं।

dlkjnsoh%&अल्मोड़ा नगर से 8 कि0मी0 की दूरी पर क"यप (कासाय) पर्वत के नाम से कौ"ाकी का मंदिर है। पुराणों के अनुसार शुम्भ–नि"ाुम्भ दैत्यों का नाश करने के लिए पार्वती यहॉ कौ"ाकी के रूप में प्रकट हुयी है। इसी कारण कालान्तर में यह स्थल कसारदेवी के नाम से जाना जाने लगा। इस स्थल से हिमशिखरों के दर्शन भी होते है। प्राकृतिक सौन्दर्य से परिपूर्ण होने के कारण यह स्थान विदेशी पर्यटकों व लेखकों के लिए अत्यन्त अनुपम स्थल है।

tyuk%& अल्मोड़ा से 32 कि0मी0 की दूरी पर स्थित जलना नामक स्थान समुद्र सतह से 5500 फीट की ऊॅचाई पर स्थित अति रमणीय पर्यटक स्थल है। जलना के चारों ओर सेब व अन्य पर्वतीय फलों के बगीचे बिखरे पड़े है। यहॉ से हिमालय की चोटियों का अत्यन्त विहंगम दृश्य दिखाई देता है। जलना से लगभग 2 कि0मी0 की दूरी पर प्रख्यात बानड़ी देवी का मंदिर है। आवास हेतु 40 शैय्याओं का पर्यटक आवास गृह उपलब्ध है।

miV dfyd%& रानीखेत–अल्मोड़ा मोटर मार्ग पर रानीखेत से 5 कि0मी0 दूरी पर स्थित उपट कालिका–गोल्फ कोर्स चारों ओर चीड़ के वनों से आच्छादित 9 होल वाला माउण्टेन रीजन का विष्व विख्यात गोल्फ कोर्स है। इसका प्राकृतिक सौन्दर्य एवं हिमालय द"ान के कारण यह फिल्म उद्योग जगत के आकर्षण का मुख्य केन्द्र रहा है। गोल्फ कोर्स के समीप ही प्राचीन कालिका मंदिर एवं फारेस्ट नर्सरी भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र हैं।

pkcfV;k xkMsu¼ jkt dh; m|ku½%&रानीखेत से 10 कि0मी0 की दूरी पर स्थित चौबटिया गार्डन अपने प्राकृति कसौन्दर्यता, विभिन्न प्रजातियों के फलों एवं पुष्पों के लिए वि"व विख्यात

है। उत्तराखण्ड का सबसे बड़ा राजकीय उद्यान चौबटिया में ही स्थित है। उक्त स्थल से नेपाल से लेकर गढ़वाल तक हिमालय श्रेणियां से दृष्टिगोचर होती है। एक अन्य पिकनिक स्पॉट भालू डै मात्र 3 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है। पैदल चलने के इच्छुक पर्यटकों के लिए यह स्पॉट अति उत्तम है।

**uFk.kk noh&**देवी शाक्ति पीठ के रूप में प्रसिद्ध नैथणा देवी का मंदिर रानीखेत से 54 कि0मी0 चौखुटिया से 15 कि0मी0 एवं भिकियासैण से 4 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है । रानीखेत से जालली मोटर मार्ग पर स्थित दौला नामक ग्राम से यहॉ पहुॅचने के लिए 4 कि0मी0 पैदल यात्रा तय करनी होती है। धार्मिक एवं साहसिक पर्यटन हेतु यह स्थल अति उत्तम है।

**i;kZoj.k fodkl&**विश्व में पर्यावरण सम्बन्धी विचार धाराऐं वर्तमान समय में सुनाई देती है किन्तु इन समस्याओं के निदान के संदर्भ में किसी को भी कुछ ज्ञात नहीं है। विश्व में कुछ स्थान ऐसे भी हैं। जहॉ ग्रीष्म ऋतु में तापमान 50 डिग्री सेन्टीग्रेट से अधिक पहुॅच जाता है। फसलें चौपट हो जाती हैं। तथा अकाल भूखमरी की स्थिति एवं जल श्रोत सूख जाते है। साथ ही जन धन हानि के साथ पशुधन का विनाश होता है उन्हीं प्रदेशों में शीत ऋतु में जीवन यापन बेहद कठिन होता है, इसी जलवायु में होते जा रहे परिवर्तन को हम पर्यावरण पर्यटन कहते है। जैसा अवगत है कि हमारे वायुमण्डल के अन्तिम छोर पर अखबार के कागज के समान मोटाई वाली ओजोन परत घिरी हुई है। जो कि सूर्य से आने वाली पैराबैंगनी किरणों में जो मानव जीवन को नष्ट करने में सक्षम हैं, को रोकती है। वायुमण्डल में स्थित वे पदार्थ जो आक्सीजन के घनत्व को कम करते है, वे ही ओजोन परत को कमजोर तथा पर्यावरण को नुकसान पहुॅचाते है। ओजोन परत के न होने पर विश्व में हिमालय, राकी, एण्डीज और आल्पस जैसे हिमाच्छादित पर्वत नहीं होते और जाडों की धूप उतनी नुकसानदेह होती जितनी गर्मी की, लोग त्वचा कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों से ग्रस्त रहते, फसलें, नदी नाले, समुद्र और बर्फ नहीं होती, जीवन जन शून्य अन्य ब्रहमाण्डीय गृहों के समान होता। वर्तमान समय में विश्व में पेड़ों की कटाई रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग और भूमण्डलीय के कारण समस्त विश्व तथा भारत में भी जलवायु परिवर्तन का प्रभाव दिखाई देने लगा है। गर्मी में अधिक गर्मी तथा जाडों में अधिक ठण्ड तथा ऋतु चक्र में परिवर्तन होने के कारण मौसमी फसलों का जीवन चक्र बदल गया है। विश्व में समस्त पदार्थो का प्रयोग बन्द करना होगा जो कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से ओजोन परत को नुकसान पहुॅचा रहे हैं। तथा जिनसे निकलने वाली क्लोरो फलोरो कार्बन गैस, कभी भी नष्ट न होने वाली पालीथीन प्लास्टिक के पदार्थो के विकल्प तलाशने होगें।

**bld fy, ge fuEu l>kok ij /;ku nuk gkxk&**

- प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण की शुद्धता का ध्यान रखते हुए वनीकरण के अन्तर्गत चौडी पत्ती वाले वृक्ष लगाने होगें। जो वातावरण में उत्पन्न दूषित गैसों को ग्रहण कर आक्सीजन की मात्रा में वृद्धि करें। जिससे ओजोन परत का घनत्व बढ़ सके।
- वे पदार्थ जो नष्ट न किये जा सकते हो उससे उत्पन्न होने वाली सामग्रियों के विकल्प उपलब्ध होने पर उन्हीं का उपयोग करें।
- रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम कर पारम्परिक एवं प्राकृतिक उर्वरकों का प्रयोग कर भूमि की उपज में वृद्धि कर सके उनका उपयोग किया जाना चाहिए।
- पर्यावरण संबंधी ज्ञान का प्रचार प्रसार समाज के प्रत्येक वर्ग में किया जाना चाहिए। जिससे प्रत्येक व्यक्ति जागरूक हो सके तथा इसे शुद्ध रखने में अपना योगदान दे सके।

**D;k dj&**

1- पालिथीन और प्लास्टिक जैसी वस्तुओं का प्रयोग हिमालय के पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक है। अतः यथा सम्भव इनका प्रयोग न करें।

2. कैम्प/भ्रमण की समाप्ति पर खाली बोतलें खाली टिन के डिब्बे एवं पालीथीन बैग आदि को अपने साथ वापस लाकर नगर पालिका परिषद के कूडादान में डाले, जिससे उक्त कूडे को नष्ट किया जा सके।

3. धार्मिक स्थलों का यथोचित सम्मान करें तथा उनकी स्वच्छता बनाये रखें।

4. रेडियो टेप एवं अन्य ध्वनि प्रसारक यंत्रों आदि का प्रयोग अत्यन्त धीमी आवाज में करें जिससे ध्वनि प्रदूषण न हों।

5- कैम्प स्थलों के समीप अस्थाई शौचालयों की यदि आव"यकता हो तो उपयोग करने के पश्चात रेत अथवा मिट्टी से ढक दें तथा यह सुनिश्चित कर लें कि आप पानी के स्रोत से कम से कम 30 मीटर की दूरी पर है।

D;k u dj%&

1- प्राकृतिक सम्पदाओं, पेड़ पौधों एवं वन्य जीवों को नुकसान न पहुॅचायें तथा हिमालय क्षेत्र में अनेक पौधो की कटिंग बीज एवं जड़े निकालना पूर्णतया वर्जित किया जाय।

2- नदियों, तालाबों, झीलों एवं जला"ायों आदि को स्वच्छ रखें। कूडा करकट एवं डिटर्जेन्ट जैसे प्रदूषण इनमें न डालें।

3. भ्रमण के समय ईधन के प्रयोग हेतु लकडी का प्रयोग न करें, एवं किसी भी द"ाा में वहां लगी वन–सम्पदा को क्षति न पहुंचायें। कैम्प/भ्रमण के दौरान आग्नेयास्त्र अथवा विस्फोटक सामग्री साथ रखना या ले जाना वर्जित है।

3- वन क्षेत्र में जलती हुई सिगरेट अथवा अग्नि न छोड़े।

4- स्थानीय बच्चों को खाने पीने की चीजें देकर प्रलोभित न करें।

5- स्थानीय ग्रामवासियों के सामान्य जन जीवन में हस्तक्षेप न करें। तथा कैमरे का प्रयोग पूर्वानुमति के बगैर न करें।

6- भ्रमण के दौरान मादक द्रव्यों अथवा नशीले पदार्थो का सेवन न करें।

# v/;k;&21
# lsok;kstu

जनपद अल्मोडा में वर्तमान में दो सेवायोजन कार्यालय क्रम"ाः क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, अल्मोडा एवं नगर सेवायोजन कार्यालय, रानीखेत में संचालित हैं।

वर्ष 2016–17 में जनपद अल्मोड़ा के सेवायोजन कार्यालयों में कुल 12373 बेरोजगार अभ्यर्थियों द्वारा अपना नाम पंजीकृत करवाया गया। वर्ष के अन्त में (31 मार्च 2017 तक) 72188 बेरोजगार अभ्यर्थी सेवायोजन कार्यालयों की सक्रिय पंजिका पर उपलब्ध थे। एन0सी0एस0 पोर्टल में पंजीकरण हेतु जागरूकता/मार्गद"ार्न का कार्य प्रारम्भ हो चुका है।

31 दिसम्बर, 2015 की स्थिति के अन्सार जनपद अल्मोडा में सार्वजनिक क्षेत्र में 373 नियोजक है जिनके यहॉ 15755 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत है तथा निजि क्षेत्र के अन्तर्गत 56 नियोजक है जिनके यहॉ 1965 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत है। निकट भविष्य में सभी नियोजकों को एन0सी0एस0 पोर्टल में पजीकृत होनी है।

इस कार्यालय में स्थापित व्यवसाय मार्ग निर्दे"ान इकाई को अब कैरियर सेन्टर के नाम से जाना जायेगा। इस काय्रक्रम के अन्तर्गत कार्यालय द्वारा पूर्ववत स्कूल एवं कालेजों में जाकर कैरियर वार्ता दिया जाना महत्वपूर्ण कार्य दायित्व है। वर्ष 2016–17 के अन्तर्गत 2156 बेरोजगार अभ्यर्थियों को विभिन्न व्यावसायिक प्र"िाक्षण सेवायोजना अवसर तथा स्वतः नियोजन के के अवसरों की जानकारी दी गई।

वर्ष 2016–17 (01 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017) में 605 अभ्यर्थियों को पंजीयन समय मार्ग निर्दे"ान दिया गया जिसमें से 387 अभ्यथियों ने सामूहिक वार्ताओं में भी भाग लिया। व्याक्तिगत रूप से 50 अभ्यर्थियों ने विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त कर व्यक्तिगत मार्ग निर्दे"ान प्राप्त किया। ऐसे अभ्यर्थी जिनको अभी तक रोजगार सहायता उपलब्ध नही हुई है, उन अभ्यर्थियों को स्वतः नियोजन आदि की जानकारी देकर इन मामलों का पुर्नावलोकन किया गया, 21 अभ्यर्थियों को स्वतः नियोजन आदि की जानकारी देकर इन मामलों का पुर्नावलोकन किया गया, 21 अभ्यर्थियों द्वारा पुर्नावलोकन का लाभ उठाया।

f"ाक्षण मार्गद"ार्न केन्द्र क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय अल्मोडा में वर्ष 2016–17 में टंकण वर्ग के अन्तर्गत कुल 72 आ"ाुलिपि वर्ग में कुल 48 प्र"िाक्षार्थियों को इस f"ाक्षण केन्द्र में प्रवे"ा दिया गया। तीन सत्र पूर्ण होने पर 38 प्र"िाक्षार्थियों ने परीक्षा में सफलता प्राप्त की एव इन अभ्यार्थियों को प्र"िाक्षण पूर्ण करने पर प्रमाणपत्र दिये गये। f"ाक्षण एवं मार्गद"ार्न केन्द्र द्वारा 6 मासी एवं एक वर्षीय प्र"िाक्षण में अनुसूचित जाति/अनु0जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के अभ्यार्थियों को कम्प्यूटर टंकण आ"ाुलिपि, भाषा हिन्दी सामान्य, अग्रेजी सामान्य ज्ञान सचिवीय पद्वति बुककीपिंग एवं एकाउन्टेंसी तथा अंकगणित एवं व्याक्ति विकास का प्र"िाक्षण दिया जा रहा है। वर्तमान में इस केन्द्र के अन्तर्गत 28 प्र"िाक्षार्थी अध्ययनरत है।

कैरियर सैण्टर अल्मोडा द्वारा 46 शाखाओं कैरियर कार्नर्स में व्यवसायिक इत्यादि सूचना सभी कैरियर कार्नर्स पर उपलब्ध करायी जा रही है।

क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय अल्मोडा द्वारा वर्ष 2016–17 में कुल 08 रोजगार मेरे लगाये गये जिसमें 281 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया। जिसमें 154 को अतिंम रूप में चयन किया गया। इस मेले में टेनी आपरेटर सुपरवाईजर एवं सुरक्षा गार्ड तथा सीखो एवं कमाओं योजनात्तर्गत डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीरिग कोर्स एवं आटोमोबाईल मैन्यूफैक्चरिंग व्यवसायों में चार वर्षीय डिप्लोमा भी सम्मिलित है। जिसमें अ"ाोक लिलैण्ड सिडकुल पंतनगर, उत्तराखण्ड मुक्तवि"विद्यालय मिन्डा इन्डस्ट्री में प्रतिभाग किया।

# v/;k;&22

## fucZy oxZ gsrq dY;k.kdkjh ;kstuk;s
## ftyk xzkE; fodkl vfHkdj.k vYeksM+k

### jk'Vªh; xzkeh.k vkthfodk fe'ku ¼NRLM½&

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्दे”य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को स्वतः रोजगार में स्थापित कर उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर लाना है तथा उनकी क्षमता विकास दर सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को सुदृढ करना है। योजना का क्रियान्वयन स्वंय सहायता समूह पुनःजीवित कर, उन्हें ऋण, ब्याज उपादान, तकनीकी प्रशिक्षण, अवस्थापना तथा विपणन व्यवस्था उपलब्ध कराना है।

भारत सरकार द्वारा 01.04.2013 से राष्ट्रीय आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0) प्रारम्भ किया गया है। वर्तमान में जनपद अल्मोड़ा राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अर्न्तगत असघन श्रेणी से आच्छादित है तथा पंच सूत्र (नियमित साप्ताहिक बैठक, नियमित साप्ताहिक बचत, नियमित साप्ताहिक लेखा जोखा, नियमित ऋण का संचालन,समय से ऋण तथा ब्याज वापसी) का पालन करने वाले सक्रिय महिला समूहो को ही रिवाल्विंग फण्ड, ऋण, ब्याज उपादान, तकनीकि प्रशिक्षण, अवस्थापना तथा विपणन वयवस्था आदि उपलब्ध करवायी जानी है। एन0आर0एल0एम0 के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में 48 सक्रिय महिला समूहो को 24.90 लाख रिवाल्विंग फण्ड प्रदान किया गया तथा 20 समूहो को वित्त पोषण (ऋण 41.25 लाख रू0 स्वीकृत एवं वितरित) किया गया।

**iz/kkuea=h vkokl ;kstuk&**आवास मानव की एक मौलिक आवश्यकता है। यह मानव जीवन और एक सम्मान जनक जीवन यापन की एक बुनियादी जरूरत है। मूलरूप से इन्दिरा आवास योजना बेघर और जीर्णशीर्ण एवं कच्चे मकानों में रह रहे गरीब परिवारो के लिये सार्वजनिक आवास योजना है। यह योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (बी0पी0एल0) परिवारो को सरकार द्वारा कुछ वित्तीय और तकनीकि सहायता उपल्ब्ध करा कर उन्हें अपने मकान बनाने के कार्य में मदद करने के लिये बनाई गयी है। बी0पी0एल0 परिवारो के लिये समय–समय पर सुझाये जाने वाले मादंडो का अनुपालन करते हुये, इन परिवारो का निर्धारण ग्रासभाओ के माध्यम से समुदाय द्वारा किया जाता है। योजना में प्रति आवास पर्वतीय क्षेत्रों हेतु 130000 रू0 मात्राकृत है। इसके अतिरिक्त 95 दिवस का मानवदिवस श्रमां”ा तथा शौचालय बनाये जाने पर 12000 रू0 प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। आवास में शौचालय, धूमरहित चूल्हा, आवास नाम पट्टिका होना आव”यक है।

योजनार्न्तगत वर्ष 2016–17 में 16.02 लाख रू0 केन्द्रांश तथा 1.78 लाख रू0 राज्यां”ा के रूप में शासन से अवमुक्त हुआ। इस प्रकार योजना में वर्ष 2016–17 में कुल उपलब्ध धनराशि 17.80 लाख रू0 के सापेक्ष पूर्ण धनराशि व्यय कर 54 आवास निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष 54 आवास पूर्ण कराये गये।

**lkaln {ks= fodkl ;kstuk&**इस योजना के अन्तर्गत माननीय संसद सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिवर्ष 5 करोड़ रूपये तक की लागत वाले निर्माण कार्य करवाए जाने का सुझाव दे सकते है। राज्य सभा के निर्वाचित माननीय सदस्य जिस राज्य से वे चुन कर आये है, उस राज्य के एक या अधिक जिलों का चयन इस योजना के अन्तर्गत अपनी पसंद के निर्माण कार्यो के क्रियान्वयन हेतु संस्तुति कर सकते है।

नोडल जनपद के रूप में योजना में वर्ष 2016–17 की कुल उपलब्ध धनराशि 228.15 लाख रू0 के सापेक्ष 155.50 लाख रू0 विभिन्न संस्थाओं में व्यय किया गया।

fo/kk;d {k= fodkl fuf/k& इस योजना के अर्न्तगत विधान सभा के प्रत्येक मा0 सदस्य 200.00 लाख रू0 की धनराषि तक निर्माण कार्य कराये जाने का प्रस्ताव दे सकते है। योजना के अधीन निर्माण कार्य स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित विकासात्मक प्रकृति के होने तथा स्थाई परिसम्पत्तियों के सृजन पर बल दिया जाता है । वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्रारम्भिक अव"ोष 2527.706 लाख रू0 की धनरा"ि थी तथा शासन द्वारा 1650.00 लाख रू0 निर्गत की गयी। इस प्रकार कुल धनरा"ि 4177.706 लाख है। जिसके सापेक्ष कुल 1357.652 लाख रू0 व्यय कर दिया गया है।

# v/;k;&23
# xkE;& fodkl

**1 ,dy i;ty ;kstuk&** त्वरित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधाओं को मुहैया कराये जाने के दृष्टिकोण से शासन द्वारा एकल पेयजल योजना प्रारम्भ की गई है, इसमें एक ग्राम्य की पेयजल योजना को ग्राम पंचायत द्वारा स्वयं अनुरक्षण/देख–रेख हेतु हस्तान्तरित किये जाने का निर्णय लिया गया है, ऐसी योजनाऐं जो एकल ग्राम पेयजल योजना होने के साथ–साथ ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित हो चुकी हो। योजना के अन्तर्गत योजना में कुल लागत का 10 प्रतिशत भाग ग्राम पंचायत का अंश तथा 90 प्रतिशत भाग में शासकीय धनराशि होती है। योजना के अन्तर्गत विकास खण्डों से प्राप्त प्रस्तावों तथा स्वीकृत आगणनों की तकनीकी स्वीकृति ,तकनीकी विभाग से प्राप्त करने के पश्चात पेयजल विभाग से तकनीकी आख्या प्राप्त की जाती है, तदुपरान्त प्रस्वात स्वीकृति हेतु निदेशालय प्रेषित किए जाने पर आवंटन प्राप्त किया जाता है और योजना ग्राम पंचायत के स्तर से प्रारम्भ की जाती है।

जनपद अल्मोड़ा में वित्तीय वर्ष 2016–17 में दिनांक 31 मार्च, 2017 तक योजना के अन्तर्गत निम्न प्रकार प्रगति रही हैः–

| | |
|---|---|
| 1. वर्ष 2003–04 से वर्ष 2016–17 तक कुल स्वीकृत योजनाऐंः– | 103 |
| 2. वर्ष 2003–04 से वर्ष 2016–17 तक पूर्ण की गई योजनाऐंः– | 102 |
| 3. योजनाऐं जो प्रगति पर हैं की संख्या | 01 |
| 4. वित्तीय वर्ष 2016–17 में उपलब्ध धनराशि | 00.705 लाख रू0 |
| 5. वित्तीय वर्ष 2016–17 में व्यय की गई धनराशि | 00.705 लाख रू0 |
| 6. अवशेष धनराशिः– | ”ून्य |

**2& nhu n;ky mRrjk[k.M xkeh.k vkokl ;kstuk&** यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित की गई है, जनपद स्तर पर जिला विकास अधिकारी योजना के संचालन हेतु नोडल अधिकारी होते है, योजना में बी0पी0एल0 में चयनित परिवारों में से आवास विहीन परिवारों को जो प्रतीक्षा सूची में छूट गये हों, को आवास दिये जाने हेतु खण्ड विकास अधिकारी एवं परगनाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से परीक्षण करने के बाद चयनित परिवारों की सूची का अनुमोदन जनपद स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा किया जाता है । आवासविहीनता के साथ–साथ अधिकतम रू0 21000/वार्षिक आय सीमा के ग्रामीण आवासविहीन परिवारों को पात्रता श्रेणी में इस प्रतिबन्ध के साथ रखा जाता है। कि आय प्रमाण–पत्र उप जिलाधिकारी से न्यून स्तर का न हो ।

जनपद अल्मोड़ा में योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में दिनांक 31 मार्च, 2017 की स्थिति निम्नवत् रही है :–

| | |
|---|---|
| ➢ वर्ष 2016–17 के अव”ोष आवास | 41 |
| ➢ वर्ष 2016–17 में आंवटित आवास | शून्य |
| ➢ कुल आवास | 41 |
| ➢ वर्षान्तर्गत पूर्ण किए गए आवासों की संख्या | 23 |
| ➢ प्रगति पर रहे आवास | 18 |
| ➢ दिनांक 01.04.2016 को अव”ोष धनरा”ाि | 20.137 लाख रू0 |
| ➢ वर्षान्तर्गत आवंटित धनरा”ाि | शून्य |
| ➢ अन्य प्राप्तियॉ | 0.614 लाख रू0 |
| ➢ वर्षान्तर्गत कुल उपलब्ध धनरा”ाि | 20.751 लाख रू0 |

- वर्षान्तर्गत व्यय धनरा"ि 16.244 लाख रू0
- अव"ोष धनरा"ि 04.507 लाख रू0

3&jk"Vh; ck;kxl dk;de&

बायोगैस कार्यक्रम एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है यह 20 सूत्रीय कार्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग है, दे"ा में ऊर्जा के बचत के दृष्टिकोण से योजना संचालित की जा रही है। इसमें ऐसे कृषकों का चयन किया जाता है जो संयंत्र स्थापित किये जाने के इच्छुक हो, जिसके अपने स्वयं के पास पॉच या उससे अधिक जानवर हों, उसके निवास के आस–पास पानी की प्रचुर मात्रा हो। कृषक का चयन विकास खण्ड स्तर से किया जाता है, और विकास खण्ड से ही अधिकतम जानकारी मुहैया करायी जाती है। चयन के पष्चात आवेदन पत्र प्राप्त कर संयंत्र का तकनीकी आंगणन विकास खण्ड के तकनीकी स्टाफ द्वारा तैयार किया जाता है, इसकी सूचना जिला स्तर को दी जाती है। जनपद के अन्तर्गत पूर्व वर्षो में संयंत्रों के निर्माण हेतु कुछ राज मिस्त्रियों को प्र"िाक्षित किया गया है जिनके द्वारा मांग के आधार पर संयंत्र निर्मित किए जाते है, इसके अलावा कुछ स्वैच्छिक संस्थाओं जैसे पॉल हिमालयन, कालिका, रानीखेत द्वारा भी संयंत्र निर्माण हेतु टर्नकी ऐजेन्सी का कार्य किया जा रहा है। जनपद में भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत् प्रायः 02 घन मीटर आकार के संयंत्र स्थापित किए जा रहे है, जिसमें मुवलिंग 11000.00 की अनुदान सब्सिडी तथा मु0 1500.00 टर्नकी एजेन्सी फीस निर्धारित में दी जा रही है।

जनपद अल्मोड़ा में योजना के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2016–17 की स्थिति निम्नवत् रही है :–

- वर्ष 2016–17 का संयंत्र निर्माण का लक्ष्य 22
- वर्ष 2016–17 की पूर्ति/संयंत्र निर्माण 22
- प्रगति प्रतिशत 100
- संयंत्र अनुदान हेतु प्राप्त धनरा"ि 2.92 लाख रूपया
- व्यय धनरा"ि 0.60 लाख रूपया
- अवशेष धनरा"ि 2.32 लाख रूपया

4&egkRek xka/kh jk"Vh; xzkeh.k jkstxkj xkjaVh ;kstuk& जनपद अल्मोड़ा में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना 01 अप्रैल 2008 से तृतीय फेज जनपद के रूप में क्रियान्वित हुई है। योजना का उद्दे"य ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिनके वयस्क अकु"ाल शारीरिक श्रम कार्य करना चाहते है को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनां का गांरटीयुक्त रोजगार उपलब्ध कराना है जिससे सामाजिक सुरक्षा, आजीविका सुरक्षा और लोकतांत्रिक अधिकारिता पर ग्रामीण भारत में सामावे"ी विकास सुनि"िचत हो सकें। वर्तमान तक वर्षवार वित्तीय/भौतिक प्रगति निम्नवत है। भारत सरकार द्वारा प्रदत्त मार्गदर्शी सिद्धान्तो के अनुरूप योजनान्तर्गत की गई मुख्य बिन्दुओं की प्रगति विवरण निम्नवत हैः–

1&iathdj.k&जनपद अल्मोड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2011 के सर्वेक्षण के आधार पर ग्रामीण परिवारों की कुल संख्या 564544 है। ग्राम पंचायत स्तर पर श्रम रोजगार के इच्छुक परिवारों में से माह मार्च, 2017 तक कुल 98704 परिवारों को पंजीकृत किया जा चुका है ।

2&tkc dkMZ& जनपद अल्मोड़ा में पंजीकृत परिवारों में से माह मार्च 2017 तक 98704 परिवारों को जॉब कार्ड वितरण किये जा चुके है। जिसमें 19728 अन0जाति, 54 अनु0 जनजाति एवं 78922 सामान्य श्रेणी के परिवार है।

3-cSd ,o iksLV vkfQl [kkrk%& इस योजना अन्तर्गत श्रमिकों को बैंक/पो0ऑफिस खातों के माध्यम से धनराशि भुगतान की जा रही है। जनपद में योजना प्रारम्भ से चालू वित्तीय वर्ष के माह मार्च 2017 तक 102999 जॉब कार्ड धारकों के कुल 89899 खाते बैंक एवं 5950 खाते पो0ऑफिस खोले गये हैं। इस प्रकार कुल 95849 खाते खाले गये हैं।

4- lkekftd vkWfMV¼ **Social Audit)** :– वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में 1162 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष कुल 491 ग्राम पंचायतों का Social Audit द्वितीय चरण में किया गया है।

5. eLVj jksy lR;kiu%& जनपद में रा0ग्रा0रो0गा0 योजनान्तर्गत मस्टर रौल सत्यापन कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में माह मार्च 2017 तक 28182 मस्टर रौल उपयोग में लाये गये जिसके सापेक्ष 21598 मस्टर रौलों का सत्यापन किया गया है।

6- fujh{k.k@lR;kiu%& इस योजनान्तर्गत निर्मित/निमार्णाधीन कार्यो के निरीक्षण सत्यापन की कार्यवाही सुचारू रूप से सम्पन्न की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में माह मार्च 2017 में 420 कार्यो का जिला स्तर से एवं 2432 कार्यो का विकास खण्ड स्तर से सत्यापन किया गया ।

7- chek ;kstuk%– इस योजनान्तर्गत समस्त पंजीकृत परिवारों को जनश्री बीमा योजना तथा आम आदमी बीमा योजना के अन्तर्गत आच्छादन हेतु कार्यक्रम अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।

8- VksyQzh nwjHkk"k ,oa f'kdk;r fuLrkj.k%& जनपद में टालॅफ्री फोन स्थापित कर स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार कर दिया गया है। जनपद का **Toll Free** दूरभाष न0 18001804121 एंव फोन न0 फैक्स न0 05962–234896 है। योजनान्तर्गत विकास खण्ड एवं जनपद स्तर पर शिकायतों के निस्तारण हेतु शिकायत पेटिकाएं स्थापित कर दी गई है।

9- LVsVl vkQ ,e0vkbZ0,l0%& विकास खण्डों में एम0आई0एस0 के तहत योजनान्तर्गत पंजीकरण, जॉबकार्ड वितरण, फंड मैनेजमेंट वर्क मैनेजमेंट मस्टरॉल इन्ट्री, लौन कनेक्टिविटी, ब्रॉड बैंड स्थापना स्वान केन्द्र आदि से डाटा एन0आर0ई0जी0एस0 वेव साइड पर आन लाईन की गई है।

10- eujsxk dk lkFk jsa[kh; foHkkxks dh ;kstukvks dk **Convergcnce/Dovetailing:&** शासन के निर्देश के कम में एम0जी0मनरेगा के साथ रेखीय विभागों की योजनाओं **Convergcnce/ Dovetailing** के तहत रेखीय विभागों को कुल 4215 योजनाओं **Convergcnce** के तहत स्वीकृत कर रू0 5892.62 लाख की धनराशि के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2010–11 से वर्ष 2014–15 तक रू0 1141.48 लाख एवं वर्ष 2015–16 में रू0 508.23 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई। इस प्रकार कुल (रू0 1649.71–158.749) रू0 1490.961 लाख मात्र अवमुक्त की जा चुकी हैं। जिसके सापेक्ष कुल 1471.47 लाख रू0 व्यय किया गया है।

11- egkRek xka/kh ,u0 bZ0 th0 ,0 dk vUrxZr dfeZ;ks dh O;oLFkk%& जनपद के 11 विकास खण्डों में दैनिक मानदेय के आधार पर कार्मिकों की व्यवस्था की गयी है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में विकास खण्डों में 07 उप कार्यक्रम अधिकारी, 37 ग्राम रोजगार सहायक, 20 कनिष्ट अभियन्ता एवं 11 कम्प्यूटर आपरेटर कार्यरत है।

13- dk;Z;kstuk ,oa Je ctV%& शासन के निर्देश के तहत वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु संशोधित लेबर बजट रू0 2236.70 लाख एवं राज्यांश के रूप में 248.52 लाख रू0 तथा गत वर्ष की अवशेष 5.00 लाख रू0, अन्य प्राप्तियॉ 1.21 लाख रू0 इस प्रकार कुल उपलब्ध धनराशि 2491.43 लाख रू0 है। जिसके सापेक्ष माह मार्च, 2016 तक 2485.21 लाख रू0 का व्यय कर लिया गया है।

# v/;k;&24
# lekt dY;k.k

**1&vuqlwfpr tkfr@tutkfr Nk=o`fRr%&**इस योजनान्तर्गत कक्षा 1 से उच्च कक्षाओं तक अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2016–17 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत 236.45 लाख के सापेक्ष धनराशि व्यय कर 10494 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया। अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति योजना में धनआवंटन न होने के कारण छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं हो पाया है।

**2&fiNM+h tkfr Nk=o`fRr%&**इस योजनान्तर्गत कक्षा 1 से उच्च कक्षाओं तक पढ़ने वाले पिछड़ी जाति एवं जनजाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2016–17 में रू0 5.168 लाख के सापेक्ष धनराशि व्यय कर 323 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

**3&vYila[;d Nk=o`fRr %&** इस योजनान्तर्गत कक्षा 1 से कक्षा 10 तक पढ़ने वाले अल्पसंख्यक जाति एवं जनजाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2016–17 में लाभार्थी संख्या शून्य है।

**4& fodykax Nk=o`fRr%&**इस योजनान्तर्गत कक्षा 1 से उच्च कक्षाओं तक पढ़ने वाले विकलांग छात्र/छात्राओं तथा विकलांग अभिभावकों के पाल्यों छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2016–17 में लाभार्थी संख्या शून्य है।

**5&o`)koLFkk isa"ku %&**योजनान्तर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करते है को रू0 1000 प्रतिमाह की दर से वृद्धावस्था पें"ान का भुगतान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू0 4857.73 लाख की धनराशि व्यय कर 47333 वृद्धजनों को लाभान्वित किया।

**6&fodykax Hkj.k iks"k.k vuqnku%&**योजनान्तर्गत 18 वर्ष से अधिक के विकलांजन जिनकी विकलांगता का प्रतिषत 40 या इससे अधिक है। तथा जिनकी मासिक आय रू0 4000/–प्रतिमाह से कम है, को रू0 1000/–प्रतिमाह की दर से पें"ान का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2016–17 में रू0 612.34 लाख की धनरा"ाि व्यय कर 5793 विकलांगजनों को लाभान्वित किया गया।

**7&fodykax nEifRr dks fookg izksRlkgu%**–योजनान्तर्गत सामान्य द्वारा विकलांग महिला/पुरूष से विवाह करने पर दम्पत्ति को प्रोत्साहन स्वरूप रू0 25000/–का प्रोत्साहन दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू0 3.75 लाख व्यय कर 15 दम्पत्तियों को लाभान्वित किया गया।

**8&jk"Vªh; ikfjokfjd ykHk ;kstuk %&**योजनान्तर्गत 18 वर्ष से 59 की आयु के मुख्य कमाउ सदस्य की मृत्यु होने पर उनके परिजनों को रू0 20,000/–प्रति परिवार आर्थिक सहायता दी जाती है। गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले तथा जिनके पुत्र बाल्कि नही है, को यह लाभ प्रदान किया जाता है। वर्ष 2016–17 में रू0 24.20 लाख की धनराशि व्यय कर 121 परिवारों को लाभान्वित किया गया।

**9&fo/kok isa'ku%&**योजनान्तर्गत 18 से अधिक वर्ष की आयु की विधवा महिला जिनकी मासिक आय रू0 4000/–से कम है को रू0 1000 प्रतिमाह की दर से पें"ान का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2016–17 में रू0 1469.83 लाख की धनरा"ाि व्यय कर 13087 विधवा महिलाओं को लाभान्वित किया गया।

**10–परित्यक्ता पेंशन**–योजनान्तर्गत परित्यक्ता महिला,मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति की पत्नी, निराश्रित आविवाहित महिलाओं को रू0 100/–प्रतिमाह की पें"ान दिये जाने का प्राविधान है। वर्ष 2016–17 में रू0 47.92 लाख की धनरा"ाि व्यय कर 508 महिलाओं को लाभान्वित किया गया।

11&'kknh chekjh vuqnku&अनुसूचित जाति के ऐसे व्यक्ति जिनकी रू0 15,000 वार्षिक आय तक है। तथा अधिकतम दो पुत्रियों की शादी के लिये रू0 50,000 तथा गम्भीर बीमार रूप से बीमार व्यक्ति के ईलाज हेतु रू0 10,000 आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2016–2017 में रू0 11.50 लाख व्यय कर 23 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है।

12&vVy vkokl ;kstuk–अनुसूचित जाति के ऐसे व्यक्ति जिनकी रू0 32,000 वार्षिक आय है तथा आवासहीन है, को रू0 38,500/–की आर्थिक सहायता आवास एवं शौचालय निर्माण हेतु दी गयी है। वर्ष 2016–2017 में धनआवंटन न होने के कारण लाभार्थी संख्या शून्य है।

13&xkSjknsoh dU;k/ku ;kstuk–इस योजना के अन्तर्गत इन्टर की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर छात्राओं को जिनके परिवारों ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक आय रू0 15976 तथा शहरी क्षेत्र में वार्षिक आय रू0 21206 है अधिकतम दो पुत्रियों तक रू0 25000.00 के एन0ए0सी f"k्षा प्रोत्साहन के लिए दी जाती है। वर्ष 2016–17 में 645.00 लाख रू सापेक्ष व्यय कर 1290 कन्याओं को लाभान्वित किया गया है।

14&fo/kok dh iq=h dh fookg gsrq vuqnku–विधवा पें"ान प्राप्त कर रही महिला की पुत्री के विवाह हेतु रू0 50,000 आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2015–16 में रू0 9.50 लाख का आंवटन प्राप्त हुआ जिसके सापेक्ष 19 विधवा महिलाओं को शादी हेतु अनुदान स्वीकृत किया गया।

15&Lojkstxkj–इस योजना के अन्तर्गत बैकों के माध्यम से अनुसूचित जातियों के बी0पी0एल0 परिवारों को स्वतःरोजगार (जीविका उपर्जन) हेतु ऋण़ उपलब्ध करा कर 10,000 रू0 ऋण के सापेक्ष अनुदान दिया जाता है। वर्ष 2016–17 में 177 व्यक्तियों को 33.35 लाख ऋण उपलब्ध कराकर 11.70 लाख रू0 अनुदान दिया गया। तथा रू0 0.38 लाख मार्जिन मनी उपलब्ध करायी गयी है।

# v/;k;&25

## tuin e: dkuu 0;oLFkk

जनपद अल्मोड़ा में कुल 10 थाने है जिसमें 4 नगरीय (3 पुरूष तथा 1 महिला) एवं 06 थाने ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत आते है। जनपद में थानों के नाम इस प्रकार है।
1–कोतवाली अल्मोड़ा 2–महिला थाना 3–थाना सोमे"वर 4–थाना दन्या 5–थाना लमगड़ा 6–कोतवाली रानीखेत 7–थाना द्वाराहाट 8–थाना चाखुटिया 9–थाना भतरौजखान 10–थाना सल्ट।

दिनांक 1.4.2016 से 31.3.2017 तक जनपद के रेगुलर पुलिस क्षेत्र में अपराध एवं कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य रही। पुलिस की सक्रिय एवं प्रभावी कार्यवाही के फलस्वरूप कानून व्यवस्था एवं अपराध की कोई गम्भीर घटना घटित नही हुई है।

<u>vijk/kk dk fooj.k%&</u> tuin d: rhu o"kh; rqyukRed vijk/k vkdM+s%& Md:rh%& भkU;

gR;k:–वर्ष 2016–17 में इस शीर्षक के अन्तर्गत 02 अभियोग पंजीकृत हुये है, जिसमें बाद विवेचना 01 अभियोग में अन्तिम रिपोर्ट मा0 न्यायालय प्रेषित की जा चुकी है तथा 01 अभियोग विवेचनाधीन चल रहा है। वर्ष 2015–16 में इस र्शीर्षक के अन्तर्गत कोई भी अभियोग पंजीकृत नहीं हुआ है। वर्ष 2014–15 में 04 अभियोग पंजीकृत हुए सभी अभियोगों में आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किये जा चुके है।

yV%&वर्ष 2016–17 में इस शीर्षक के अन्तर्गत 02 अभियोग पंजीकृत हुये है, जिसमें शत्–प्रति"ात बरामदगी कर 01 अभियोग में आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है तथा 01 अभियोग विवेचनाधीन चल रहा है। वर्ष 2015–16 में इस शीर्षक के अन्तर्गत 01 अभियोग पंजीकृत हुआ है, जिसमें आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया है। वर्ष 2014–15 में 01 अभियोग पंजीकृत हुआ, जिसमें आरोप पत्र प्रेषित किया गया है।

ngt gR;k:–इस शीर्षक के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में कोई भी अभियोग नही हुआ है। वर्ष 2015–16 में 01 अभियोग पंजीकृत हुआ जिसमें विवेचक द्वारा बाद विवेचना के आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है। वर्ष 2014–15 में 01 अभियोग पंजीकृत हुआ है, जिसमें आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया है।

जाली नोट :– वष्र 2016–17 में इस शीर्षक के अन्तर्गत 03 अभियोग पंजीकृत हुये है, जिनमें बाद विवेचना 01 अभियोग में आरोप पत्र व 02 अभियोगों में अन्तिम रिपोर्ट मा0 न्यायालय प्रेषित की जा चुकी है। वर्ष 2015–16 एवं वर्ष 2014–15 में इस शीर्षक के अन्तर्गत कोई भी अभियोग पंजीकृत नहीं हुआ है।

cykRdkj%&बलात्कार र्शीर्षक के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में 06 अभियोग पंजीकृत हुये है, जिनमें से 01 अभियोग मा0 न्यायालय के आदे"ाानुसार खारिज व 05 अभियोग में आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किये जा चुके है। वर्ष 2015–16 में इस र्शीषक के अन्तर्गत 06 अभियोग पंजीकृत हुए, जिसमें बाद विवेचना के सभी अभियोगों में आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किये गये है। वर्ष 2014–15 में 06 अभियोग पंजीकृत हुए जिनमें 06 अभियोग में आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किये गये है।

304 Hkknfo%& वर्ष 2016–17 में इस शीर्षक अन्तर्गत 03 अभियोग पंजीकृत हुआ है जिनमें तीनों अभियोगों का सफल निस्तारण कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किये जा चुके है। वर्ष 2015–16 में इस शीर्षक के अन्तर्गत कोई अभियोग पंजीकृत नहीं हुआ है। वर्ष 2014–15 में 01 अभियोग पंजीकृत हुआ है, जिसमें बाद विवेचना आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है।

udctuh& वर्ष 2016–17 में नकबजनी शीर्षक के अन्तर्गत 18 अभियोग पंजीकृत हुए है, जिनमें से 07 अभियोगों का सफल निस्तारण कर आरोप पत्र व 07 अभियोगों में अन्तिम रिपोर्ट मा0 न्यायालय प्रेषित किये जा चुके है तथा 4 अभियोग वर्तमान में विवेचनाधीन चल रहे है। वर्ष 2015–16 में इस शीर्षक के अन्तर्गत 07 अन्तिम रिपोर्ट मा0 न्यायालय प्रेषित किये जा चुके है। इसी प्रकार वर्ष 2014–15 में 08 अभियोग पंजीकृत हुए, जिसमें से 01 अभियोगों में आरोप पत्र एवं 07 अभियोगों में अन्तिम रिपोर्ट माननीय न्यायालय प्रेषित की गयी है।

cYok&वर्ष 2016–17 में इस शीर्षक के अन्तर्गत 04 अभियोग पंजीकृत हुए, जिसमें जिसमें 01 अभियोगों में आरोप पत्र व 01 अभियोग में अन्तिम रिपोर्ट मा0 न्यायालय प्रेषित की जा चुकी है तथा 02 अभियोग विवेचनाधीन चल रहे है। वर्ष 2015–16 में इस शीर्षक के अन्तर्गत 03 अभियोग पंजीकृत हुए है, जिसमें विवेचक द्वारा बाद विवेचना के तीनों अभियोगों में आरोप पत्र मा. न्यायालय में प्रे"ित किये जा चुके है। वर्ष 2014–15 में 04 अभ्योिग पंजीकृत हुए जिसमें बाद समाप्त विवेचना सभी अभियोगों में आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किये गये है।

okgu pksjh& वर्ष 2016–17 में इस शीर्षक के अन्तर्गत 02 अभियोग पंजीकृत हुए जिनमें से 01 आरोप पत्र व 01 अभियोग खारिज कर अन्तिम रिपोर्ट मा0 न्यायालय प्रेषित किये जा चुके है। वर्ष 2015–16 में इस शीर्षक के अन्तर्गत 02 अभियोग पंजीकृत किये गये है, जिसमें विवेचक द्वारा बाद विवेचना 01 अभियो में आरोप पत्र व 01 अभ्योिग में 02 अभियोग पंजीकृत हुए, जिसमें से 01 अभियोग में आरोप पत्र व 01 अभियोग में अन्तिम रिपोर्ट माननीय न्यायालय प्रेषित की गयी है।

pksjh rkj@fctyh@VsyhQksu&तीन वर्षो में ट्रांसफार्मर इस शीर्षक के अन्तर्गत को अभियोग पंजीकृत नही हुआ है।

Vk lQkej pksjh & तीन वर्षो में ट्रांसफार्मर इस शीर्षक के अन्तर्गत को अभियोग पंजीकृत नही हुआ है।

vU; pksjh& इस शीर्षक के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में 10 अभियोग पंजीकृत हुये है, जिनमें से 04 अभियोग में आरोप पत्र 02 अभियोगों में अन्तिम रिपोर्ट मा0 न्यायालय प्रेषित किये जा चुके है तथा 04 अभियोग विवेचनाधीन चल रहे है। वर्ष 2015–16 में इस शीर्षक के अन्तर्गत 04 अभियोग पंजीकृत हुए है, जिसमें से 01 अभियोग में आरोप पत्र एवं 03 अभियोगों में अन्तिम रिपोर्ट मा0 न्यायालय में प्रेषित की जा चुकी है। वर्ष 2014–15 में कुल 05 अभियोग पंजीकृत हुए, जिनमें दौराने विवेचना 03 अभियोगो में आरोप पत्र एवं 02 अभ्योिग में अन्तिम रिपोर्ट मा0 न्यायालय प्रेषित की जा चुकी है।

ekVj okgu n?kVuk ¼?kkrd@lk/kkj.k½&वर्ष 2016–17 में इस शीर्षक के अन्तर्गत कुल 12 अभियोग पंजीकृत हुए, जिनमें 11 अभियोगों मे आरोप पत्र, 01 अभियोगों में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित माननीय न्यायालय प्रेषित की गयी है। वर्ष 2015–16 में कुल 12 अभियोग पंजीकृत हुए दौराने जिनमें बाद समाप्त विवेचना 09 अभियोगों में आरोप पत्र तथा 03 अभियोग खारिज किया गया अन्तिम रिपोर्ट माननीय न्यायालय प्रेषित की गयी है। वर्ष 2014–15 में कुल 15 अभियोग पंजीकृत हुए दौराने विवेचना 15 अभियोगों में अरोप पत्र रिपोर्ट माननीय न्यायालय प्रेषित की गयी है।

vU; vigj.k¼ xHkZ"kknxh½& इस शीर्षक के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में 01 अभियोग पंजीकृत हुआ है, जिसमें बाद विवेचना अन्तिम रिपोर्ट मा0 न्यायालय प्रेषित की जा चुकी है। वर्ष 2015 में इस शीर्षक के अन्तर्गत 01 अभियोग पंजीकृत हुआ है, जिसमें बाद विवेचना अन्तिम रिपोर्ट मा0 न्यायालय प्रेषित की जा चुकी है। वर्ष 2014 में इस र्शीषक के अन्तर्गत कुल 01 अभियोग पंजीकृत हुआ है। जिसमें बाद विवेचना आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है।

gR;k dk i;kl%& वर्ष 2016–17 इस शीर्षक के अन्तर्गत 02 अभियोग पंजीकृत हुआ। जिनमें बाद समाप्त विवेचना आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया है तथा 01 आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। वर्ा 2015–16 में 1 अभियोग पंजीकृत हुआ है, जिसमें बाद विवेचना के आरोप पत्र मा. न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। वर्ष 2014–15 में कुल 01 अभियोग पंजीकृत हुए, जिनमें बाद समाप्त विवेचना आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित की जा चुकी है।

/kk[kk/kMh %&इस शीर्षक के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में 09 अभियोग पंजीकृत हुये है, जिनमें से 02 अभयोगों में आरोप पत्र 02 अभियोगों में अन्तिम रिपोर्ट मा0 न्यायालय प्रेषित किये जा चुके है तथा 05 अभियोग विवेचनाधीन चल रहे है। वर्ष 2015–16 में इस शीर्षक के अन्तर्गत 09 अभियोग पंजीकृत हुये है, जिसमें बाद विवेचना 05 अभियोगों में आरोप पत्र, 03 अभियोगों में अन्तिम रिपोर्ट मा0 न्यायालय प्रेषित की जा चुकी है तथा 01 अभियोग विवेचनाधीन चल रहा है। वर्ष 2014–15 में इस शीर्षक के अन्तर्गत कुल 06 अभियोग पंजीकृत हुए, जिनमें बाद समाप्त विवेचना 04 अभियोगों में आरोप पत्र व 02 अभियोग में अन्तिम रिपोर्ट माननीय न्यायालय प्रेषित किये जा चुके है।

vekur e [k;kur %& इस शीर्षक के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में 01 अभियोग पंजीकृत हुआ है, जिसमें बाद विवेचना अन्तिम रिपोर्ट मा0 न्यायालय प्रेषित की जा चुकी है। वर्ष 2015–16 में इस शीर्षक के अन्तर्गत 01 अभियोग पंजीकृत हुआ है। जो वर्तमान में विवेचनाधीन चल रहा है। वर्ष 2014–15 में इस शीर्षक के अन्तर्गत कोई अभियोग पंजीकृत नहीं हुआ है।

vU; Hkknfo %& उपरोक्त शीर्षकों के अतिरिक्त वर्ष 2016–17 में अन्य भादवि र्शीषक मे कुल 57 अभियोग पंजीकृत हुये है, जिनमें से 19 अभियोगह खारिज, 27 अभियोगों में आरोप पत्र व 11 अभियोगों में अन्तिम रिपोर्ट मा0 न्यायालय प्रेषित किये जा चुके है। वर्ष 2015–16 में इस र्शीषक के अन्तर्गत कुल 57 अभियोगह पंजीकृत हुए है, जिसमें 19 अभियोग खारिज 29 अभियोगों में आरोप पत्र 09 अभियोगों में अन्तिम रिपोर्ट मा0 न्यायालय प्रेषित किये गये है वर्ष 2014–15 में इस शीर्षक के अन्तर्गत 93 अभियोग पंजीकृत हुए जिसमें से दौराने विवेचना 26 अभियोगा खारिज करते हुए 41 अभियोगों में आरोप पत्र 26 अभियोगों में अन्तिम रिपोर्ट माननीय न्यायालय प्रेषित की गई है।

jk0l0dk0%& इस शीर्षक के अन्तर्गत तीनों वर्षो में कोई अभियोग पंजीकृत नही हुआ है।

fxjkg cUn vf/kfu;e%& इस अधिनियम के अन्तर्गत तीनों वर्षो में कोई कार्यवाही नही हुई है।

VkMk%& इस अधिनियम के अन्तर्गत तीनों वर्षो में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं हुआ है।

,u0Mh0i0,l0 ,DV%& इस शीर्षक के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में 15 अभियोग पंजीकृत हुये है, जिनमें से बाद विवेचना 11 अभियोगों में आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किये जा चुके है तथा 04 अभियोग विवेचनाधीन चल रहे है। वर्ष 2015–16 में इस "ीर्षक के अन्तर्गत 01 अभियोग पंजीकृत हुआ जिसमें बाद विवेचना आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया है। वर्ष 2014 में कुल 03 अभियोग पंजीकृत हुए जिनमें से तीनों अभियोगों में आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किये गये हैं।

'kL= vf/kfu;e%& इस शीर्षक के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में 07 अभियोग पंजीकृत हुये है, जिनमें से बाद विवेचना सभी अभियोगों में आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किये जा चुके है। वर्ष 2015–16 में bस शीर्षक के अन्तर्गत 03 अभियोग पंजीकृत हुए जिसमें से 03 अभियोगों में बाद विवेचना आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किये गये हैं। वर्ष 2014–15 में कुल 06 अभियोग पंजीकृत हुए, जिनमें आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किये गये हैं।

vkcdkjh vf/kfu;e%& इस शीर्षक के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में 68 अभियोग पंजीकृत हुये है, जिनमें से बाद विवेचना 67 अभियोगों में आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किये जा चुके है, तथा 01 अभियोग विवेचनाधीन चल रहे है। वर्ष 2015–16 में bस शीर्षक के अन्तर्गत 47 अभियोग पंजीकृत हुए, जिसमें बाद विवेचना सभी अभियोगों में आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित

किये गये हैं। वर्ष 2014–15 में bस शीर्षक के अन्तर्गत 48 अभियोग पंजीकृत हुए, जिसमें बाद विवेचना सभी अभियोगों में आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किये गये हैं।

foLQkVd vf/kfu;e@foLQkVd inkFk vf/kfu;e :–इस शीर्षक के अन्तर्गत तीनों वर्षो में कोई अभियोग पंजीकृत नही हुआ है।

tjk vf/kfu;e:– इस शीर्षक के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में 01 अभियोग पंजीकृत हुये है, जिनमें विवेचना के बाद मा0 न्यायालय प्रेषित किये जा चुके है, वर्ष 2015–16 में इस शीर्षक के अन्तर्गत 01 अभियोग पंजीकृत हुआ है, जिसमें बाद विवेचना आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया है। वर्ष 2014 में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं हुआ है।

,e0oh0 ,DV%& इस शीर्षक के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में 34936 वाहनों का, वर्ष 2015–16 में इस शीर्षक के अन्तर्गत 21584, वर्ष 2014 में कुल 13891 वाहनों का, वर्ष 2013 में 13796 वाहनों का एम0वी0 एक्ट के अन्तर्गत तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर चालान किया गया हैं।

**आवश्यक वस्तु अधिनियमः**– इस शीर्षक के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं हुआ है। वर्ष 2015–16 में इस शीर्षक के अन्तर्गत 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है जिसमें बाद विवेचना आरोप पत्र मा0 न्यायलय प्रेषित किया जा चुका है। वर्ष 2014 एवं 2013 में इस शीर्षक के अन्तर्गत कोई अभियोग पंजीकृत नही हुआ है।

81 ifyl vf/kfu;e%&वर्ष 2016–17 में 1016, वर्ष 2015–16 में 742, वर्ष 2014–15 में कुल 481 मामलों में कार्यवाही की गयी है।

109 n0i0l0:–वर्ष 2016–17 में 06,2015–16 में 01 मामले में कार्यवाही करते हुये चालनी रिर्पोट प्रेषित की गयी है। वर्ष 2014–15 में इस शीर्षक के अन्तर्गत 01 मामलों में कार्यवाही करते हुए चालानी रिपोर्ट प्रेषित की गयी है।

110 n0i0l0%&वर्ष 2016–17 में इस शीर्षक के अन्तर्गत 07 मामलों में चालान,वर्ष 2015–16 में कोई अभियोग पंजीकृत नही हुआ है। वर्ष 2014–15 में 04 मामलों में चालान किया गया है।

## v/;k;&26
## vU; fofo/k

**26-1 eukjatu&**जनपद अल्मोड़ा में एक छविगृह जनता के मनोरंजन हेतु उपलब्ध है। अल्मोडा में तथा रानीखेत में खेलकूद स्टेडियम भी उपलब्ध है। मृग विहार योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में एन0टी0डी0 के पास वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए एक निषिद्ध क्षेत्र बनाया गया है, जिसमें विभिन्न देशों एवं जाति के वन्य जन्तु रखे गये है, जिनमें तेदुऐ, चीतल, सॉभर, काकड़, भालू, तथा सफेद एवं सामान्य बंदर आदि वन्य जन्तु है।

**26-2 राश्ट्रीय बचत ;kstuk&** राष्ट्रीय बचत योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिऐ जनपद अल्मोडा का लक्ष्य रू0 4450.00 लाख की शुद्व धनरा”ि योजना की दीर्घकालिक प्रतिभूतियों में जमा कराने का निर्धारित था, जिसके विपरीत 31 मार्च, 2017 तक रू0 6234.75 लाख की शुद्व घनरा”ि योजना की दीर्घकालीन प्रतिभूतियों में जमा कराकर 140.11 प्रति”ात की उपलब्धि प्राप्त की गई है। इसके अतिरिक्त जनपद के विभिन्न कार्यालयों से सम्पर्क स्थापित कर वेतन बचत समूह के अन्तर्गत डाकघर आवर्ती खातों मे कार्मिकों के खाते खोले गये जिनमें रू0 2.00 करोड प्रतिमाह जमा किया जाता है।

**26-3 vfXu'keu dsUnz&**–जनपद अल्मोडा में दो अग्निशमन केन्द्र अल्मोड़ा नगर व रानीखेत छावनी क्षेत्र है, जो समय–समय पर आवश्यकतानुसार उपयोग में लाये जाते है।

**26-4 "k"Be vkfFkZd x.kuk&** षष्ठ्मं आर्थिक गणना वर्ष 2012–13 के अनुसार जनपद अल्मोडा में कुल 25716 उद्यम हैं। जनपद अल्मोड़ा में उद्यमों में सामान्यतः कुल कार्यरत व्यक्तियों की संख्या 39223 है। कुल वैतनिक व्यक्तियों की संख्या 21806 है। जनपद में हस्त”िल्प/हथकरघा उद्यमों की संख्या 836 है।

**26-5 fodsUnzhd`r fu;kstu iz.kkyh&**–

वर्ष 2014–15 में जनपद की जिला योजना में 5468.00 लाख रू0 परिव्यय स्वीकृत के सापेक्ष 5468.00 लाख रू0 अवमुक्त हुआ तथा विभिन्न विभागों द्वारा 5468.00 लाख रू0 व्यय किया गया है।

वर्ष 2015–16 में जनपद की जिला योजना में 6355.00 लाख रू0 परिव्यय स्वीकृत के सापेक्ष 5233.20 लाख रू0 अवमुक्त हुआ तथा विभिन्न विभागों द्वारा 5233.20 लाख रू0 व्यय किया गया है।

वर्ष 2016–17 में जनपद की जिला योजना में 6355.00 लाख रू0 परिव्यय स्वीकृत के सापेक्ष 3721.81 लाख रू0 अवमुक्त हुआ तथा विभिन्न विभागों द्वारा 3608.44 लाख रू0 व्यय किया गया है।

**26-6 ftyk uokpkj fuf/k**– भारत सरकार के 13वें वित्त में जिला नवाचार निधि के अन्तर्गत प्रथम चरण में कुल 16 परियोजनाऐं जिला स्तरीय समिति से संस्तुति के प”चात राज्य स्तरीय समिति (अर्थ एवं संख्या विभाग) द्वारा स्वीकृत की गयी थी। जिसमें से पॉच परियोजनाऐं निरस्त की गयी तथा शेष 11 परियोजनाऐं पूर्ण की गयी। द्वितीय चरण वर्ष 2015–2016 में कुल 7 परियोजऐं स्वीकृत की गयी थी जिसमें से 1 परियोजना संस्था के अनुरोध पर निरस्त कर दी गयी। शेष 5 परियोजनाऐं जनपद में गतिमान हैं। उक्त परियोजनाओं में कुछ सफल परियोजनाऐं निम्न हैं:–

1- ekMul ,o: bukxfVo ,tid:"ku eFkyk th bu ikbejh Ldly vkQ vYekMk & विभाग द्वारा उक्त परियोजना हेतु आई0टी0डी0एस0 मासी संस्था को विकासखण्ड चौखुटिया के 5 चयनित राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेज के माध्यम से ि"ाक्षा प्रदान किये जाने हेतु कुल रू0 23.25 लाख स्वीकृत की गयी थी जिसमें से 10 प्रति"ात संस्था का अं"ादान था।
प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत लगभग 200 विद्यार्थियों को स्मार्ट क्लासेज के माध्यम से ि"ाक्षा प्रदान की गयी। जिससे विद्यार्थियों की अध्ययन में रूचि बढी तथा उनका शैक्षिक मानसिक,सामाजिक व तकनीकी विकास तीव्र गति से हुआ। परियोजना पूर्ण हो जाने के प"चात समस्त तकनीकी सामाग्री प्राथमिक विद्यालयों को हस्तान्तरित कर दी गयी। ताकि स्मार्ट क्लासेज के माध्यम से ि"ाक्षा सुचारू रूप से प्रदान जा सकें। परियोजना पूर्ण हो जाने के प"चात भी राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या काफी वृद्वि हुई हैं यह परियोजना अपने उद्दे"य में सफल रही।
2- ch0,y0 L;kgh noh ykg gy fuek.k ifj;ktuk & वनों के कटान को रोकने, पर्यावरण संरक्षण तथा कृषकों को परम्परागत लकडी के हल की अप्रेक्षा मजबूत एवं टिकाऊ लौह हल के उपयोग को बढावा देने के उद्दे"य से स्याही देवी विकास समिति शीतलाखेत अल्मोड़ा संस्था को परियोजना हेतु कुल रू0 7.37 लाख की धनरा"ाि स्वीकृत की गयी थी। जिसमें से संस्था का 10 प्रति"ात अं"ादान था।
प्रतिवर्ष लगभग 52 हजार वृक्षों को कटने से बचाया जा सकेगा सिससे न केवल जलस्रोतो, जैव विविधता एव पर्यावरण की रक्षा वरन जलवायु परिर्वतन तथा वै"िवक ताप वृद्वि के दुष्परिणामों को कम करने में मदद मिलेगी। परियोजना के अन्तर्गत विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोडा में लौह हल निर्माण हेतु तकनीकी प्र"िाक्षण प्राप्त कर संस्था द्वारा शीतलाखेत में कार्य"ााला स्थापित की गयी जिसमें स्थानीय कारीगारों को प्र"िाक्षित कर परियोजना के अन्तर्गत 500 बी0एल0स्याही लौह हलों का निर्माण किया गया तथा किसानों को लकडी से निर्मित हल की लागत मूल्य से कम लागत पर उपलब्ध कराया गया जिससे हजारों वृक्षों को कटाव से रोका जाना संभव हुआ। यह परियोजना अपने उद्दे"य में सफल रही।

# v/;k;&27
# vkfFkZd leL;k,a ,oa lq>ko

जनपद अल्मोड़ा का स्वरूप कालान्तर में काफी बदल गया है। वर्ष 1960 से पूर्व जनपद पिथौरागढ़,अल्मोडा जनपद की एक तहसील थी। वर्तमान का जनपद चम्पावत भी इसी जनपद का एक भाग था। वर्ष 1997 में इस जनपद की तहसील बागेश्वर को भी अलग जनपद बनाया जा चुका है। जनपद अल्मोड़ा से अब तक कुल तीन जनपद अलग बनाये जा चुके है,फिर भी जनपद का भौगौलिक क्षेत्रफल काफी विस्तृत है। वर्तमान में यहॉ की प्रमुख समस्या पलायन है। जनपद के स्थानीय निवासी शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा आदि सुविधाओं के अभाव में तेजी से बड़े नगरों एवं मैदानी क्षेत्रों की ओर रूख कर रहें है। जनपद में विभिन्न विभागों के अन्तर्गत आने वाली समस्या यें निम्नानुसार हैं।

**1&fpfdRlk foHkkx %&** जनपद में सरकारी चिकित्सालयों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी है। जनपद में दुरस्त ग्रामों के रोगियों को उपचार हेतु जनपद से बाहर जाना पड़ता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों व प्रा0 स्वा0 केन्द्रों में चिकित्सकों एवं पैरामेंडीकल स्टॉफ की भी काफी कमी है।

**2- flapkbZ foHkkx %&** वर्तमान में पर्वतीय क्षेत्र में पयायन की मुख्य समस्या है जिससे कि पर्वतीय क्षेत्र की खेती पर अत्यधिक कुप्रभाव पड रहा है, कृषि योग्य क्षेत्र के घटने से विभाग द्वारा सिंचाई हेतु दी गई सुविधा का भरपूर उपयोग नही हो पा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जंगली जानवरों के आतंक से भी कृषक गण खेती में रूची नहीं ले रहे है। स्थानीय कृषकों में फसल चक्र की अनभिज्ञता भी सिंचाई को प्रभावित करने के लिये एक मुख्य कारण है। अतः इस सम्बन्ध में फसल चक्र हेतु स्थानिय कृषकों को प्रि”ाक्षण दिया जाना अति आव”यक है ताकि वो जलवायु परिर्वतन के अनुरूप फसले तैयार कर सकें। इसके साथ साथ स्थानीय नदियों/गधेरों का जलस्तर दिन प्रतिदिन कम हो रहा है, जिसके विकल्प रूप में जल सवंर्धन एवं जल संरक्षण के कार्यो पर ज्यादा ध्यान देने की आव”यकता महसूस की जा रही है।

**3- fo/kqr foHkkx %&** राजीव गॉधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत लक्ष्यों को पूरा करने में निम्नलिखित समस्यायें है –

1– कम्पनी के लोकल स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों, पैटी कान्ट्रैक्टर्स को समय से न ही सामग्री उपलब्ध हो पा रही है और न ही मैनपावर मिल पा रही है, न ही कार्य कराने के लिए आव”यक धनरा”ा प्राप्त हो पा रही है, जिस कारण लोकल स्तर पर अपेक्षित प्रगति कम्पनी से नहीं ली जा पा रही है।

2– लगातार विभाग द्वारा अनुबन्ध की शर्तानुसार कम्पनी के विरूद्ध अनु”ाासनात्मक कार्यवाही करने हेतु उ0पा0का0लि0 मुख्यालय को लिखा जा रहा है।

3–जनपद में कई ग्राम ऐसे हैं जहॉ पूर्व में कम्पनी द्वारा लाईन भी बनायी गयी थी, लेकिन पिछली दो दैवीय आपदाओं से लाईनें एवं कार्य प्रभावित हुआ है परन्तु इन्हे भी कम्पनी द्वारा ठीक नहीं किया जा रहा है। जिससे स्थानिय निवासियों को परे”ाानी का सामना करना पड़ता है।

4. f'k{kk foHkkx %& जनपद के राजकीय प्राथमिक विद्यालयो में विद्यार्थीयों की संख्या में निरन्तर कमी आ रही है। जनपद में राजकीय एवं आ"ाासकीय विद्यालयों में f"ाक्षकों की संख्या काफी कम है। जनपद के काफी विद्यालय केवल एक या दो अध्यपको के सहारे चल रहें है। राजकीय विद्यालयों में प्रार्याप्त सुविधाओं के अभाव के रहते कुछ विद्यार्थी प्राइवेट विद्यालयों में प्रवे"ा ले रहें हैं और कुछ विद्यार्थी f"ाक्षा से वचिंत रह जा रहें है। राजकीय विद्यालयों में विद्याथीयों हेतु आव"यक f"ाक्ष्क एवं मूलभूत सुविधायें उपलब्ध करायी जानी चाहिये।

**5 कृशिः**— -कृषि हेतु उन्नतशील बीजों तथा कृषि यंत्रो का प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिये। सिंचाई की सुविधा हेतु ऊॅचाई वाले क्षेत्रों में नदियों के पानी से नहरों तथा ऊचें क्षेत्रों में हौज, हाइड्रैम तथा गूल का निर्माण कर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यकतानुसार पूर्ति की जा सकती है।

➢ इस क्षेत्र का 90 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है जो कि मुख्यतः कृषि पर आश्रित है, भूमि अधिकतर वनों से आच्छादित होने के कारण भी अवशेष भूमि कृषि अयोग्य है। कृषि योग्य भूमि का क्षेत्र काफी कम है 90 से 95 प्रतिशत कृषकों के पास एक हैक्टेयर से कम भूमि है, ऐसी स्थिति में परम्परागत कृषि के माध्यम से इस क्षेत्र का विकास किया जाना सम्भव नहीं है।

➢ कृषि हेतु सिंचाई की व्यवस्था प्राकृतिक साधनों पर ही निर्भर होने के कारण पानी की समस्या में सिंचाई की उपयुक्त मात्रा तथा उन्नतशील बीजों एवं रासायनिक उर्वरको का प्रयोग सम्भव नहीं हो पाता है।

➢ चूंकि अधिकाश किसानो के पास जोतों की कमी है, अतः अधिक आय अर्जन हेतु औद्योगिक नीति को प्रोत्साहन देना चाहिए। बीज एवं खाद के पैकेटों की पूर्ति तथा इनके लाभदायक परिणामों की जानकारी कृषकों को दी जानी चाहिए, जिससे कृषको को अत्यधिक रूप से कृषि पर निर्भर रहकर खाली न बैठना पडे तथा उनका आर्थिक पक्ष भी सबल हो सके।

कृषि क्षेत्र में समस्याऐं –

1. अनियमित वर्षा।
2. बन्दरों एवं जंगली सूवरों द्वारा फसल खराब कराना।
3. युवा वर्ग का अधिक रूचि न लेना।

सुझाव –

1. कम दरों पर बोयी जाने वाली फसलों का बीमा अनिवार्य रूप से किया जाये।
2. उन्नत किस्म के बीज किसानों को उपलब्ध कराये जायें एवं किसानों के यंत्रिकरण द्वारा खेती के लाभ से अवगत कराया जाये।
3. सभी किसानों को दुग्ध उत्पादन से जोडने हेतु जानकारी उपलब्ध करायी जाये।
4. सब्जीयों एवं नकदी फसलों को अधिक से अधिक उगाने हेतु नविनतम जानकारी उपलब्ध करायी जाये।

6- m|ku%& फल उत्पादन, भी आर्थिक दृष्टि से जनपद अल्मोड़ा पिछडे क्षेत्र में आता है, क्योंकि इस क्षेत्र का सम्पूर्ण भू–भाग पर्वतीय है कुछ क्षेत्र जो कि विकासखण्ड चौखुटिया तथा ताकुला के अन्तर्गत आता है, घाटी क्षेत्र में है। इस कारण यहॉ विकास की गति अत्यन्त धीमी है। इस जनपद की प्रमुख आर्थिक समस्याऐं निम्नवत् है।

➢ अधिकांशतया परम्परागत बीजों जैसे मडुवा, सॉवा, अनाजों की खेती पर ही निर्भर रहना पडता है, इस क्षेत्र में आलू एवं फलों का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होता है, परन्तु शीतगृह एवं फल संरक्षण विधायन इकाईयों के अभाव में अधिकांश फल सब्जी सस्ते दामों में मैदानी क्षेत्रों में निर्यात हो जाती है तथा इस क्षेत्र में पुनः फल एवं सब्जियॉ बिक्री के लिए आयात की जाती है, जिस कारण ये काफी महॅगी होती है।

➢ जडी बूटियों की पर्याप्त मात्रा इस क्षेत्र में होने के उपरान्त भी इन जडी बूटियों का दोहन पर्याप्त मात्रा में नही हो रहा है। जड़ी बूटियो के उचित दोहन हेतु अनुसन्धान केन्द्रों एवं इकाईयों की स्थापना इस क्षेत्र मे विकास एवं रोजगार की दृष्टि से सुलभ साधन है। इस हेतु अधिक से अधिक प्रयास किया जाना चाहिए।

7- ifjogu%&यातायात सुविधा सुलभ नहीं है, वैसे विभिन्न निजी एवं सरकारी संस्थाओं द्वारा यातायात एवं परिवहन की सुविधाऐं लागू की गई है परन्तु किराये की आपसी दरें अधिक होने तथा आर्थिक विकास न होने के कारण ग्रामों को कोई लाभ नहीं पहुॅचाया जा सकता है।
परिवहन एवं यातायात की सेवाओं के अन्तर्गत ऐसी सडकों के निर्माण को प्राथमिकता देनी चाहिए जिससे अधिक से अधिक ग्राम सड़कों से जोड़ सके। जनसंख्या के आधार पर सडकों का निर्माण प्रत्येक ग्राम को आर्थिक विकास की ओर अग्रसर कर सकेगा। साथ ही पर्यटन क्षेत्रो को जोड़ने वाली सड़को की दशा को भी सुधारा जाना चाहिए, ताकि पर्यटन के साथ–साथ रोजगार को भी बढ़ावा मिल सके।

8-i'kikyu%& पशुपालन के क्षेत्र में भी यह क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है। दुधारू पशुओं का औसत दुग्ध उत्पादन अपेक्षाकृत कम है, इस क्षेत्र में अधिकांश पशु देशी नस्ल के है, इसके अतिरिक्त पर्याप्त चारे के अभाव में दुग्ध उत्पादन बढाया जाना सम्भव नहीं है। जिन क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन होता भी है, वहां खोया अथवा मॉवा बनाकर दुग्ध पदार्थो, मिष्ठानों से अधिक आय अर्जित कर लेते है।

पशुधन के विकास के लिए देशी नस्लों से उत्तम जातियॉ प्राप्त करने हेतु उन्नतशील कृत्रिम विधियों का उपयोग किया जाना चाहिए तथा अधिक से अधिक कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों का निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे पशुओं की उन्नत किस्म की नस्लो के साथ–साथ जनपद की पशुशक्ति में वृद्धि हो सके तथा दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थो की समस्याओं का भी निदान हो सके। साथ ही ग्रामीण जनता को चारे की उन्नत किस्मों एवं उससे होने वाले लाभ के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने चाहिए।

9- m|kx%& जनपद अल्मोड़ा औद्योगिक विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ा है। इस जनपद का समस्त भाग पर्वतीय है, जिसके कारण यह जनपद औद्योगिक विकास में मैदानी जनपदों की अपेक्षा पिछड़ गया है। जनपद में लधु एवं हस्ति"ाल्प इकाइयां कार्यरत है,किन्तु ऊनी शाल,पंखी

आदि मंहगी लागत व अधिक विक्रय मूल्य होने के कारण प्रर्याप्त क्रेता (बाजार) नही मिल पा रहें है जिस कारण ये लघु उद्योग पिछड़ते जा रहें है।

10- ou%& वन सम्पदा पर आधारित उद्योगों को स्थापित किया जाना चाहिए जिससे जनपद की श्रम एवं वन सम्पदा जैसे लीसा लकड़ी एवं खनिज पदार्थ का दोहन एवं मैदानी क्षेत्रों में न होकर वहीं उद्योगों को विकसित किया जाय तो निर्मित वस्तुओं को यही से निर्यात कर आय अर्जित की जा सकती है जिससे जनपद में रोजगार भी उपलब्ध हो सकेगा। गीष्म मौसम में लगातार तापमान बढ़ने सें वनों में आग लग रही है जिससे किमती लकड़ा के साथ–साथ कई प्रकार की वनस्पतियॉ भी नष्ट होती जा रही है। स्थानीय निवासियों एवं विभाग को मिलकर वनाग्नि को रोकना चाहिये जिससे वनों को आग से बचाया जा सकें।

11. पर्यटनः– Hkkkxkfyd ikdfrd nf"V ls vU; iofrh; {ks=ks dh Hkkfr ;g tuin Hkh ikdfrd lkUn;Z ls Hkjiwj gSA ;gka je.kh; LFkyksa dh deh ugha gS fdUrq i;ZVu gsrq lqfo/kkvksa ds vHkko esa tuin ds dbZ i;ZVu LFky ,frgkfld] /kkfeZd ,oa ikdfrd je.kh; LFky fodkl ls vNwrs jg x;s gS] bu i;ZVu LFkyksa esa i;ZVu lqfo/kk,sa ugha ds cjkcj gSA fgekpy iznss'k dh rjg i;ZVu lqfo/kkvksa dk fodkl dj tuin dh fodkl/kkjk dks jkstxkj ,oa vk; vtZu ls tksM+dj vkfFkZd izxfr ,oa LkekftZd c<kus dh vko';drk gS] blls tuin dk lEiw.kZ fodkl lEHko gSA